सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2016–17

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
www.mdws.gov.in

विषय सूची

क्र. सं.	भाग	पृष्ठ सं.
	संक्षिप्ताक्षर	**i-iii**
	कार्यकारी सारांश	**vi-vii**
1	मंत्रालय के बारे में	**1-3**
1.1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	1
1.2	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1
1.3	विजन	2
1.4	लक्ष्य	2
1.5	उद्देश्य	2
1.6	कार्यनीति योजना	3
1.6.1	वर्ष 2017 तक	3
1.6.2	वर्ष 2019 तक	3
1.6.3	वर्ष 2022 तक	3
2	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)**	**5-30**
2.1	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)**	5-18
2.1.1	एनआरडीडब्लूपी के घटक	6
2.1.2	निधि आबंटन के लिए मानदंड	7
2.1.3	ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन	7
2.1.4	वर्तमान स्थिति	9
2.1.5	ग्रामीण जलापूर्ति में वित्तपोषण	9
2.1.6	एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत वित्तीय कार्य–निष्पादन	10
2.1.7	12वीं पंचवर्षीय योजना में नई पहलें	12
2.1.8	एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत वास्तविक कार्य–निष्पादन	14
2.1.9	बढ़ती हुई अपेक्षाएं – लक्ष्य	14
2.1.10	वार्षिक कार्य योजना (एएपी) : 2015–16 के लिए योजना	15
2.1.11	अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी), जनजाति उपयोजना (टीएसपी), वामपंथ उग्रवाद (एलडब्लूई) प्रभावित जिलों तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लिए योजना	15
2.1.12	समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में सौर द्वारा चालित दोहरे पंप	17
2.1.13	पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरडीडब्लूपी की प्रगति	18
2.2	जल गुणवत्ता गतिविधियाँ (डब्लू क्यू)	19-30
2.2.1	पेयजल गुणवत्ता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीडीडब्लूक्यू) की स्थापना	19
2.2.2	सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से देश में फ्लोराइड, आर्सेनिक, प्रभावित ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना	19
2.2.3	जल गुणवत्ता निगरानी और जांच	21
2.2.4	जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएँ	23
2.2.5	जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्याओं के सुधार में उपलब्धियाँ	23
2.2.6	हाइड्रो–जियो मॉर्फोलॉजिकल मानचित्र (एमजीएम)	25
2.2.7	ग्रामीण पेयजल शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियों पर राज्यों के लिए सहायता	28

क्र. सं.	भाग	पृष्ठ सं.
2.2.8	जापानी एनसैफेलाइटिस/उग्र एनसैफेलाइटिस (जेई/एईएस) का न्यूनीकरण	28
2.2.9	प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन	29
2.2.10	सहायक गतिविधियां और मानिटरिंग एवं मूल्यांकन ढांचा	30
3	**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**	**31-74**
3.1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	32
3.2	पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) की गतिविधियॉ	46
3.3	अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) तथा जनजाति उप–योजना (टीएसपी)	48
3.4	व्यवहारगत परिवर्तन हेतु संवाद (बीसीसी)	49
3.5	अंतर मंत्रालय एवं अंतर क्षेत्रीय समन्वय	50
3.6	अन्य स्कीमों के साथ एसबीएम (जी) का तालमेल	56
3.7	एसबीएम (जी) के अंतर्गत मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (एमएंडई)	59
3.8	मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	61
3.9	अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)	64
4	समीक्षा बैठकें/महत्वपूर्ण सम्मेलन/प्रदशनियां	**67**
4.1	राज्य मंत्रियों तथा सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें	67
4.2	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)	67
5	**प्रशासन**	**75-78**
5.1	संगठन	75
5.2	मंत्रालय में की गई नई पहलें	76
5.3	सतर्कता एवं आरटीआई/शिकायत निवारण तंत्र	76
5.4	वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा हिन्दी से संबंधित गतिविधियां	77
6	अनुलग्नक **I** से **VII**	**80-101**
अनुलग्नक–I	मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	81
अनुलग्नक–II (क)	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें (2015–16)	82
अनुलग्नक–II (ख)	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (2015–16)	83
अनुलग्नक–III (क)	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें (2016–17, दिनांक 31.12.2016 तक)	84
अनुलग्नक–III (ख)	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (2016–17, दिनांक 31.12.2016 तक)	85
अनुलग्नक–IV	मंत्रालय में नियमित पदों की संस्वीकृत संख्या	86
अनुलग्नक–V	वर्ष 2015–16 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति	87
अनुलग्नक–VI	वर्ष 2016–17 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (दिसंबर, 2016 तक)	88
अनुलग्नक–VII	वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य वार जारी निधियों की स्थिति	89
अनुलग्नक–VIII	वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य वार जारी निधियों की स्थिति	90
अनुलग्नक–IX	राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र–वार ओडीएफ घोषित गांव, ग्राम पंचायतें ब्लॉक तथा जिले	91
अनुलग्नक–X	वर्ष 2016–17 के दौरान कुल और अ.जा./अ.ज.जा. आईएचएचएल की उपलब्धियां (31.12.2016 तक)	92
अनुलग्नक–XI	2015 का प्रतिवेदन सं. 28–संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान की निष्पादन लेखा–परीक्षा 8 दिसम्बर 2015 को संसद में प्रस्तुत	93

संक्षिप्ताक्षर

एएपी	वार्षिक कार्य योजना
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
एआरडब्लूएसपी	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एएसएचए	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
एईएस	तीव्र एनसेफेलाइटस सिंड्रोम
बीसीसी	व्यवहारगत परिवर्तन संप्रेषण
बीपी	ब्लॉक पंचायत
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीआरसी	ब्लाक संसाधन केंद्र
सीसीडीयू	संचार एवं क्षमता विकास इकाई
सीजीडब्ल्यूबी	केन्द्रीय भू–जल बोर्ड
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीआरएसपी	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
सीबीओ	समुदाय–आधारित संगठन
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीय जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
डीडीपी	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
डीडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
डीपीएपी	सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डीडब्ल्यूएसएम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
ईसीबीआई	बाह्य क्षमता निर्माण पहल
ईपीसी	इंजीनियरी, प्राप्ति एवं निर्माण
एफटीके	फील्ड जाँच किटें
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएसडीए	भू–जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी
एचएडीपी	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
एचजीएम	भू–जल संदर्शी हाइड्रो–जियोलोजीकल मानचित्र
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचएच	श्रवण विकलांगता
आईएपी	समेकित कार्य योजना

आईआरसी	अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र
आईसीडीडब्लूक्यू	पेयजल गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र
आईआईटीएफ	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आईएचएचएल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
आईएमआईएस	समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली
आईडब्ल्यूएमपी	समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेई	जापानी एनसेफेलाइटस
केआरसी	मुख्य संसाधन केन्द्र
एलपीसीडी	लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन
एलडब्लूई	वामपंथ उग्रवाद
एलएसके	एकमुश्त टर्न–की
एम एंड ई	निगरानी एवं मूल्यांकन
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमपीआर	मासिक प्रगति रिपोर्ट
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमडीजी	मिलेनियम विकास लक्ष्य
एमआईएस	निगरानी सूचना प्रणाली
एमसीडी	अल्पसंख्यक बहुल जिले
एमवीएस	बहु–ग्राम योजना
एमडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एमएचएम	मासिक धर्म वैयक्तिक साफ–सफाई प्रबंधन
एनईईआरआई	राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान
एनईएस	पूर्वोत्तर राज्य
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय आसूचना केंद्र
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जाँच कार्यक्रम
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

एनआरएससी	राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
एनडब्लूपी	राष्ट्रीय जल नीति
ओ एंड एम	प्रचालन एवं अनुरक्षण
ओडीएफ	खुले में शौचमुक्ति
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओएच	अस्थि विकलांग
पीसी	उत्पादन केंद्र
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आर एंड डीएसी	अनुसंधान एवं विकास परामर्शदात्री समिति
आरजीएनडीडब्ल्यूएम	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
आरएसएम	ग्रामीण स्वच्छता बाजार
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप–योजना
एसपी	स्वच्छता पखवाड़ा
एसएपी	स्वच्छता कार्य योजना
एसआईपी	स्वच्छ प्रसिद्ध सिल
एसएसएस	स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र
एसडब्ल्यूएसएम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
एसबीएम (जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एसएचजी	स्वः सहायता समूह
एसएसएस	सर्व शिक्षा अभियान
टीएससी	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष
यूटी	संघ शासित प्रदेश
डब्ल्यूएसपी	जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम
डब्ल्यूएसएसओ	जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन
जेडपी	जिला पंचायत

माननीय प्रधानमंत्री इंडोसेन 2016 को संबोधित करते हुए

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

राष्ट्रीय आबादी के लिए पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित कराने का महत्व सबसे अधिक है। इसी लक्ष्य के साथ वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) शुरू किया गया था ताकि पीने की योग्यता, पर्याप्तता, उपयुक्तता, वहनीयता तथा निष्पक्षता की दृष्टि से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रालय वर्तमान में केंद्रीय स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सशक्त निगरानी पर बल दे रहा है। जलापूर्ति योजनाओं की गहन निगरानी से समयबद्ध तरीके से सभी परिवारों के लिए 100 प्रतिशत नलजलापूर्ति उपलब्ध कराने पर नवीन रूप से बल दिया जा रहा है। इसलिए मंत्रालय ने अपनी एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) को अद्यतन किया है और बसावट–वार मॉनीटरिंग दृष्टिकोण के बदले स्कीम–वार मॉनीटरिंग दृष्टिकोण पर बल दिया जा रहा है।

एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने, इसे अधिक परिणाम उन्मुख बनाने तथा स्थायित्व पर अधिक बल देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। यथाशीघ्र अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने उन स्कीमों को प्राथमिक रूप से वित्तपोषण देने की सिफारिश की है जो पूर्णता के अग्रिम चरण पर हैं (जो 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हैं और वे जो 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हैं)।

भारत में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 77 प्रतिशत ग्रामीण बसावटों ने पूर्ण रूप से कवर (एफसी) की गई स्थिति (40 लीटर प्रति लीटर प्रति व्यक्ति) प्राप्त कर ली है और 55 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास नल जल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, स्कीमों में जल गुणवत्ता के मुद्दे को हल करने के लिए मंत्रालय ने विशेष कदम उठाए हैं। एक उप–मिशन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका लक्ष्य आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित लगभग 28000 बसावटों में वर्ष 2020 तक जल गुणवत्ता की समस्या का समाधान करना है। अगले चरण में, एमडीडब्ल्यूएस नाइट्रेट, लवणता, लौह जैसे अन्य संदूषणों पर बल देगा।

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों के समग्र जल प्रबंधन पर बल देने वाली नई पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन का समन्वय कर रहा है। इसके बाद ऐसा पूरे देश में किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत के लिए सुरक्षित स्वच्छता उपलब्ध कराना और खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई स्वास्थ्य संबंधी विशेषकर बाल संबंधी मुद्दों से जुड़ा है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार सुरक्षित स्वच्छता की कमी से पांच वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु होने पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है और यह भारत के 40 प्रतिशत से अधिक बच्चों की वास्तविक तथा बोधन क्षमता में रूकावट पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इसके कारण बड़ी संख्या में हमारे बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और देश के समग्र विकास में यह एक रूकावट है। खुले में शौच महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए खतरा है।

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) तथा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की है जिसका बल ओडीएफ परिणामों पर बल देना है न कि शौचालय निर्माण पर। यह मिशन व्यवहारगत परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है जिसका लक्ष्य

'स्वच्छता प्रत्येक की जिम्मेदारी' है।

शुरूआत से अब तक ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को बढ़ाने और ओडीएफ समुदायों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो मिशन के प्रारंभ में मात्र 42 प्रतिशत था अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में ही ग्रामीण स्वच्छता कवरेज ने 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। 01 फरवरी, 2017 तक कुल 151451 गांव, 85 जिले और तीन राज्यों को ओडीएफ घोषित किया गया है (वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रारंभ में 53973 गांव, 9 जिले तथा एक राज्य था)!

वित्तीय वर्ष 2016–17 में मंत्रालय द्वारा शुरू की गईं कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं :–

1. क्षमता संवर्धन, ज्ञान साझा करना और मॉनीटरिंग

- आभासी कक्षाओं के माध्यम से समुदाय चालित कुल स्वच्छता (सीएलटीएस) पर प्रशिक्षण
- भारत में एक अग्रणी निजी सेक्टर के समाज–सेवी संगठन द्वारा प्रायोजित युवा पेशेवरों (जिला स्वच्छ भारत प्रेरक) को नियोजित किया जा रहा है।
- दिनांक 31 मार्च, 2017 तक गंगा तट पर स्थित सभी गांवों को ओडीएफ बनाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।
- स्वच्छ संग्रह, एक केंद्रीय ज्ञान प्रबंधन पोर्टल की शुरूआत
- स्वच्छता, प्रौद्योगिकी तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन पर बीडीओ, कलेक्टरों और प्रधान सचिवों के लिए विभिन्न राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम और कार्यशालाएं।
- पब्लिक डोमेन में स्वच्छ ऐप और वास्तविक समय का डैश बोर्ड उपलब्ध है।
- राष्ट्रीय स्तर की मॉनीटरिंग और केंद्रीय सत्यापन हेतु स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी।

2. अंतर मंत्रालयी तालमेल

- बजट के भीतर स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) तैयार करने के लिए 50 से अधिक मंत्रालयों ने प्रेरणा दी है।
- 100 स्वच्छ महत्वपूर्ण स्थानों (एसआईपी) में स्वच्छता के उच्चतम स्तर प्राप्त किए जाएंगे।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तालमेल से शुरू किए गए 'स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' पर स्कूली पाठ्यक्रमों और सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों में स्वच्छता पर एक अध्याय जोड़ा जाएगा।

राजमार्गों पर स्वच्छता में सुधार हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ तालमेल किया गया है।

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
www.mdws.gov.in

1 मंत्रालय के विषय में

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय देश में सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल हेतु चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) एवं स्वच्छता हेतु चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एसबीएम (जी) के लिए समग्र नीति बनाने, योजना बनाने, उसके लिए वित्तपोषण का कार्य करने और समन्वयन का कार्य करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त और सुरक्षित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। एनआरडीडब्ल्यूपी अवस्थापना के सृजन, सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने और जलापूर्ति स्कीमों के स्थायित्व पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके परिणामस्वरूप जल सेक्टर के लिए पर्याप्त अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था हुई है। इसके अतिरिक्त एनआरडीडब्ल्यूपी से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफल संचालन के लिए ढांचे एवं क्षमताओं के विकास हेतु एक वातावरण भी पैदा हुआ है।

1.2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में भारत में ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में वर्ष 1954 के आरंभ में एक पहल शुरू की गई थी। भारत सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) के रूप में एक ढांचागत योजना शुरू की थी जिसका प्राथमिक उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छता उपलब्ध कराना था। ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' (टीएससी), के अंतर्गत ''मांग जनित'' दृष्टिकोण के साथ यह 1999 से शुरू किया गया था जिसमें ग्रामीण भारतीयों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), क्षमता विकास गतिविधियों और स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन पर अधिक बल दिया गया था। ''निर्मल भारत अभियान'' (एनबीए) जो सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का उत्तरवर्ती कार्यक्रम था, को 01.04.2012 से शुरू किया गया और उसका उद्देश्य निर्मल ग्रामों का सृजन करना था। यद्यपि ये कार्यक्रम काफी हद तक सफल रहे, तथापि अभी भी ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग शेष है जिसे शौचालय की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई। नए कार्यक्रम का फोकस राज्य सरकारों को राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी कार्यान्वयन नीति एवं तंत्र पर निर्णय लेने हेतु लचीलापन प्रदान करते हुए ''स्वच्छ भारत'' की ओर अग्रसर होना है। इसमें राज्यों को कार्यान्वयन रूपरेखा (फ्रेमवर्क) विकसित करने हेतु समर्थ बनाया जाएगा जिससे कि वे मिशन के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थितियों के अनुसार प्रावधानों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें तथा इन पहलों के प्रभाव को बढ़ा सकें।

1.2.1 स्वच्छ भारत मिशन (समन्वय)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को संपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन के समन्वय तथा आयोजन का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। हाल के महीनों में इस भूमिका के तहत कार्यसूची निरंतर बढ़ती जा रही है और इस भूमिका के अंतर्गत कई विशेष पहलें की गई हैं। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के लिए स्वच्छ कार्य योजनाएँ (एसएपी) तैयार की जा रही है। सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा कैलेंडर के अनुसार तथा एक फार्मेट में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। स्वच्छ महत्वपूर्ण स्थानों (एसआईपी) की आयोजना की गई है और उनपर कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस अतिरिक्त भूमिका में व्यापक सामाजिक जागृति और गहन अंतर–मंत्रालयी, अंतर–वर्गीय तथा केन्द्र–राज्य के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। कुछ समन्वय कार्य तेजी से पूर्ण परियोजना तथा कार्यक्रम के रूप में विकसित हो रहे हैं जिनकी निगरानी पीएमओ/मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा की जाती है। एमडीडब्ल्यूएस ऐसे मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है इनसे कुछ इस प्रकार हैं स्कूली स्वच्छता तथा छात्रों तथा पाठ्यक्रम समेकन पर मानव संसाधन विकास के साथ मिलकर कार्य कर रहा है स्वच्छ पीएचसी विकसित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर; स्वच्छ आंगनवाड़ियों और स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की अधिक भूमिका हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर, रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, ट्रैकों की सफाई के लिए रेल मंत्रालय के साथ मिलकर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों पर अलग–अलग शौचालय सुविधाओं के निर्माण हेतु पीएनजी मंत्रालय तथा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ यह कार्य कर रहा है।

1.3 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का विजन

ग्रामीण भारत में सभी के लिए हर समय स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति तथा स्वच्छता का माहौल प्रदान कराना।

1.4 लक्ष्य

- प्रत्येक ग्रामीण को पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू मूलभूत जरूरतों के लिए स्थायी आधार पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।
- 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत की स्थिति प्राप्ति करना है।

1.5 उद्देश्य

(क) सभी परिवारों को एक यथोचित दूरी पर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना संभव बनाना।

(ख) समुदायों को उनके पीने के पानी के स्रोतों की जाँच करने हेतु सक्षम बनाना।

(ग) पेयजल आपूर्ति के संबंध में पानी का पीने योग्य होना, विश्वसनीयता, उसकी निरंतर उपलब्धता, सुविधाजनक होना, समानता एवं उपभोक्ताओं की पसंद – सुनिश्चित करना। समुदाय आधारित जलापूर्ति प्रणाली के लिए योजना बनाते समय ये सभी मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे।

(घ) पेयजल की सुविधा, विशेष रूप से पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा उन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना जहां प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर ली गई हो।

(ड.) यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाडियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो।

(च) पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के लिए उनके गांवों में स्वयं के पेयजल स्रोतों और प्रणालियों का प्रबन्धन करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना।

(छ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग, छोटे और सुविधाहीन किसानों और महिला प्रमुख परिवारों सहित

बीपीएल परिवारों और निर्धारित एपीएल परिवारों में शौचालय के निमार्ण और उपयोग के लिए प्रोत्साहन के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के सभी ग्राम परिवारों को स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(ज) स्वच्छता एवं जलापूर्ति पर कार्य करने हेतु सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छ भारत प्रगामी रूप से आगे बढ़ेगा और सभी सरकारी स्कूलों के शौचालयों में निरन्तर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(झ) व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक पैमाने पर सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण अभियान शुरू करना जिससे कि शौचालयों के उपयोग, स्थायित्व एवं पर्याप्त प्रचालन और रख–रखाव को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ञ) सभी ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य शुरू करना।

1.6 कार्यनीति–परक योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता हेतु कार्यनीति–परक योजना में निम्नांकित समय सीमा रखी गई है:

1.6.1 वर्ष 2017 तक

(क) पेयजल सुविधाएँ

यह सुनिश्चित करना कि

- कम से कम 50% ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त और सुरक्षित पाइप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिनमें से कम से कम 35% ग्रामीण परिवारों को एक घरेलू कनेक्शन उपलब्ध हो।
- प्रतिदिन जल की गुणवत्ता और जलापूर्ति के घंटों के हिसाब से सभी सेवाएँ तयशुदा मानदण्डों के अनुसार पूरी की जाएँ।

1.6.2 वर्ष 2019 तक

(क) ग्रामीण स्वच्छता सुविधाएँ

2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत की स्थिति प्राप्त करना।

1.6.3 वर्ष 2022 तक

(क) पेयजल सुविधाएँ

यह सुनिश्चित करना कि

- कम से कम 90% ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त और सुरक्षित पाइप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिनमें से कम से कम 80% ग्रामीण परिवारों में एक घेरलू कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो।
- प्रतिदिन जल की गुणवत्ता और जलापूर्ति के घंटों के हिसाब से सभी सेवाएं तयशुदा मानदण्डों के अनुसार पूरी की जाएं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

''ग्रामीण पेयजल आपूर्ति'' राज्य का विषय है, अन्य विषयों में यह विषय भी भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल है जिसे राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है। अतः ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भागीदारी होना इस क्षेत्र में फोकस के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

भारत सरकार ने 'समस्या–ग्रस्त ग्रामों' में पेयजल आपूर्ति के कवरेज को बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से जल क्षेत्र में अपनी प्रमुख पहल को 1972–73 में शुरू किया था। 1986 में, जल गुणवत्ता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी पहल, मानव संसाधन विकास सहायता के साथ एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। इस मिशन का नाम 1991 में बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) कर दिया गया था। 1999–2000 में, पेयजल से संबंधित योजनाओं की स्कीमें, कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी करने हेतु क्षेत्र सुधार परियोजनाएँ शुरू की गईं जिसका 2002 में, स्व–जलधारा कार्यक्रम के रूप में उन्नयन किया गया।

ग्रामीण जलापूर्ति आधारभूत ढांचों का निर्माण करने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा 2005 में एक अभियान शुरू किया गया था। कार्यक्रम का चरण–I 2005–06 से 2008–09 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया जबकि चरण–II 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया था। ग्रामीण पेयजल, इस कार्यक्रम के छः घटकों में से एक है।

2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी):

एक संशोधित कार्यक्रम जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का नाम दिया गया 1.4.2009 में शुरू किया गया। यह एक **केन्द्र प्रायोजित एक योजना है** जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र को पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफल संचालन के लिए ढांचे एवं क्षमताओं के विकास हेतु एक वातावरण सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

इसे 2012 में संशोधित कर दिया गया है। जल गुणवत्ता समस्या का निवारण करने को प्राथमिकता प्रदान करते हुए, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को लौह, लवणता, नाइट्रेट तथा अन्य सन्दूषणों के बाद प्राथमिकता दी जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन बसावटों को एक बार पेयजल आपूर्ति की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, वे निचली श्रेणी में न लौट पाएं तथा उन्हें पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। पेयजल स्रोतों के स्थायित्व तथा प्रणालियों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्राम/बसावट स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, जल के सम्मिलित प्रयोग अर्थात वर्षा जल, सतही जल और भूजल के न्यायसंगत उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

2.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के घटक

(क) केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न घटकों के तहत आबंटन का वितरण इस प्रकार हैं :

आबंटन/घटक	एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत केंद्रीय आबंटन	केंद्र-राज्य के मध्य हिस्से का पैटर्न
पूर्वोत्तर राज्य	10 %	अगली तालिका के अनुसार
अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	73 %	अगली तालिका के अनुसार
डीडीपी क्षेत्र राज्य	10 %	90:10 हिमालयी राज्यों के लिए 60:40 अन्य के लिए
जल गुणवत्ता (निर्धारित)	5 %	90:10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 100:0 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 50:50 अन्य के लिए
प्राकृतिक आपदा	2 %	90:10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 100:0 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 अन्य के लिए
कुल	100 %	

(ख) राज्य स्तर पर एनआरडीडब्लूपी के घटक, उद्देश्य, वितरण और केन्द्र–राज्य भागीदारी पैटर्न

घटक	प्रयोजन	राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी आबंटन का वितरण	केन्द्र-राज्य भागीदारी पद्धति
कवरेज	कवर न की गई, आंशिक रूप से कवर तथा निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति कराना।	47 प्रतिशत	◆ 90:10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ◆ 100:0 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ◆ 50:50 अन्य के लिए
गुणवत्ता	जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	20 प्रतिशत	
प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम)	पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के प्रचालन, मरम्मत एवं प्रतिस्थापन लागतों पर व्यय	अधिकतम 15 प्रतिशत	
स्थायित्व	स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा हासिल करने हेतु स्रोतों एवं पद्धतियों के स्थायित्व के जरिये राज्यों को प्रोत्साहित करना।	अधिकतम 10 प्रतिशत	◆ 90:10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ◆ 100:0 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ◆ 60:40 अन्य के लिए
सहायता	सहायता गतिविधियॉ जैसाकि जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण आदि।	5 प्रतिशत	
जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी	बसावटों में जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग तथा निगरानी	3 प्रतिशत	
कुल		**100 प्रतिशत**	

2.1.2 निधि के आबंटन के लिए मानदण्ड

राज्यों को कवरेज, गुणवत्ता, निरंतरता, प्रचालन एवं रखरखाव, सहायता एवं जल जांच अनुवीक्षण और निगरानी घटक के लिए एनआरडीडब्लूपी निधियों का आबंटन करते समय जो मानदण्ड अपनाए जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं :

मानदण्ड	अधिमान्य (% में)
जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी	40
जनगणना के अनुसार ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाली आबादी	10
ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में डीडीपी (मरूस्थल विकास कार्यक्रम), डीपीएपी (सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम), एचएडीपी (पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के अंतर्गत आने वाले राज्य और विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य	40
प्रबंधन अंतरण सूचकांक (एमडीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रामीण जनसंख्या प्रबन्धन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमें	10
कुल	**100**

एनआरडीडब्लूपी बजट के 10% तक का डीडीपी घटक समान मानदण्ड पर डीडीपी क्षेत्रों वाले राज्यों को आबंटित किया जाता है। प्राकृतिक आपदा संबंधी घटक का आबंटन उन केन्द्रीय दलों की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है जो कि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राज्यों का दौरा करते हैं। गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को किए गए वितरण (75% अधिमानता के साथ) और जेई/एईएस (25%) के मामलों से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के आधार पर राज्यों को जल गुणवत्ता घटक हेतु चिन्हित 5% का आबंटन किया जाता है।

2.1.3 ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन

पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम एवं नीतियां विहंगम दृष्टि में	
वर्ष	**कार्यक्रम/घटना**
1949	पर्यावरण व्यक्तिगत स्वच्छता समिति (1949) (भोर समिति) 40 वर्षों की समय सीमा में भारत की 90 फीसदी आबादी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रावधान की अनुशंसा करती है।
1950	भारत का संविधान 'जल' को राज्य के विषय के रूप में उल्लिखित करता है।
1969	यूनिसेफ से तकनीकी सहायता प्राप्त करके राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरूआत की गई और 254.90 करोड़ रू. इस चरण के दौरान खर्च किए गए, जिसके तहत 1.2 मिलियन बोरवैल खोदे गए और पाइप द्वारा जलापूर्ति की 17,000 स्कीमें उपलब्ध कराई गईं।
1972.73	पेयजल आपूर्ति की कवरेज की गति में तेजी लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने हेतु भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडब्लूएसपी) की शुरूआत।
1981	भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशाब्द (1981–1990) की घोषणा के दौरान सभी गांवों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्षस्थ समिति गठित की।

1986	राष्ट्रीय पेयजल मिशन (एनडीडब्लूएम) की शुरूआत देश में पेयजल की उपलब्धता संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए की गई।
1987	जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पहली राष्ट्रीय जल नीति की रूपरेखा बनाई गई जिसमें पेयजल आपूर्ति को पहली प्राथमिकता दी गई।
1991	राष्ट्रीय पेयजल मिशन (एनडीडब्लूएम) को नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्लूएम) दिया गया।
1994	संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रावधान किए गए।
1999	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में पेयजल आपूर्ति विभाग का अलग से गठन हुआ।
2002	प्रणालियों की निरंतरता को सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को संस्था का रूप देने हेतु क्षेत्र में सुधार के माध्यम से प्रयास शुरू किए गए। क्षेत्र में सुधार किए जाने से ''सरकार–उन्मुख आपूर्ति–चालित दृष्टिकोण'' के बजाए ''जन–उन्मुख मांग–चालित दृष्टिकोण' को अपनाकर आमूल–चूल परिवर्तन किया गया। सरकार की भूमिका 'सेवा प्रदाता' से बदलकर 'सुगमकर्ता' की हो गई।
2005	संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) की शुरूआत सन 1999 में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की सुविधाएँ सुनिश्चित करने हेतु सुधार सिद्धान्तों के एक भाग के रूप में हुई थी। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत पंचायती राज संस्थाओं, सीबीओ और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता से प्रभावशाली व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण, क्षमता निर्माण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी शिक्षण पर अत्यधिक बल टीएससी द्वारा दिया जाता है।
2007	सेक्टर सुधार के स्तर को ऊपर उठाना जिसकी शुरूआत स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में की गई। राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन किए गए, इसके तहत उन सेवा प्रदत्त गांवों को प्राथमिकता दी गई जिनमें स्वच्छ पानी का पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार से उन गांवों में सेवा स्तर में सुधार लाया गया जिनकी पहचान केवल आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों के रूप में हुई थी।
2009	भारत वर्ष 1990 के दशक के दौरान स्वच्छ पेयजल एवं मूलभूत स्वच्छता सुविधाओं के बिना रह रहे लोगों के उस समय के अनुपात को वर्ष 2015 के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों तक आधा करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
2010	भारत सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिसके तहत 2003 के सर्वेक्षण के आधार पर 55,069 कवर न की गई बसावटों, ऐसी बसावटें जहां लोग पीने के पानी की गुणवत्ता से प्रभावित हों और ऐसी बसावटें, जो पूर्व स्थिति में लौट आई हों, उनमें पेयजल की सुविधा 5 वर्ष की अवधि के भीतर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों पर विशेष रूप से केन्द्रित वित्त पोषण के लिए एआरडब्लूएसपी के घटक के रूप में संशोधित उप–मिशन शुरू किया गया।
2011	स्व जलधारा के तहत वित्तपोषण का ढ़ांचा इस प्रकार से बदला : 50:50 केन्द्र–राज्य हिस्सा।
2012	पिछले त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में संशोधन लाकर और पिछले उपमिशन, विविध स्कीमों को एक साथ लाकर और स्वजलधारा सिद्धान्तों को मुख्य धारा में लाकर 01.04.09 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरूआत की गई।
2013	पेयजल आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग किया गया।
2014	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक पृथक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के रूप में उन्नयन किया गया।

2016	12वीं पंचवर्षीय योजना जिसके तहत 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पाइप द्वारा जलापूर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जल गुणवत्ता से प्रभावित एवं साथ ही साथ 60 ऐसे जिलों को, जो जेई/एईएस से प्रभावित हैं, कवर करने के लिए 5 प्रतिशत निधियाँ चिन्हित करना। चार निम्न आय वाले राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु विश्व बैंक के सहयोग से विशेष कार्यक्रम की शुरूआत करना। ग्रामीण पेयजल के लिए नई प्रौद्योगिकी संबंधी अभिनव पहल। एनआरडीडब्ल्यूपी और इसके कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए राज्यों, बाह्य निधियन एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थाओं सहित स्टेकहोल्डरों के साथ सामूहिक चर्चा और परामर्श करना ताकि इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी और निष्पादन संबद्ध वितपोषण कार्यक्रम बनाया जा सके परंतु यह भी ध्यान में रखा जाए कि सीमित राजस्व और औसत निष्पादन वाले राज्य पीछे न छूट जाएं,

2.1.4 वर्तमान स्थिति

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि समाज में लिंग, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्कूली बच्चों, सामाजिक रूप से संवेदनशील समूहों जैसे कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं, विशिष्ट रूप से अयोग्यता रखने वाले और वरिष्ठ नागरिकों आदि के संबंध में समानता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण विचार के साथ ऐसे मुख्य मुद्दे जिनका कि इस अवधि के दौरान समाधान किए जाने की जरूरत है, वे हैं – स्थायित्व, जल की उपलब्धता और आपूर्ति की समस्या, जल की खराब गुणवत्ता, केन्द्रीकृत बनाम विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण और न्यायसंगत रूप से प्रचालन एवं रखरखाव, लागत का वित्तपोषण करना है।

बारहवीं योजना अवधि के लिए घरेलू जल एवं स्वच्छता पर कार्यदल ने अन्य पहलों में से निम्नांकित पहलों की अनुशंसा की है

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सेवा स्तरों को 40 एलपीसीडी (लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) से 55 एलपीसीडी (लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) तक बढ़ाने की आवश्यकता,

(ii) पाइप द्वारा जलापूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करना और

(iii) पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता पर संयुक्त रूप से बल।

2.1.5 ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए वित्तपोषण

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए किया गया निधियों का आबंटन निम्नांकित तालिका और ग्राफ में दर्शाया गया है।

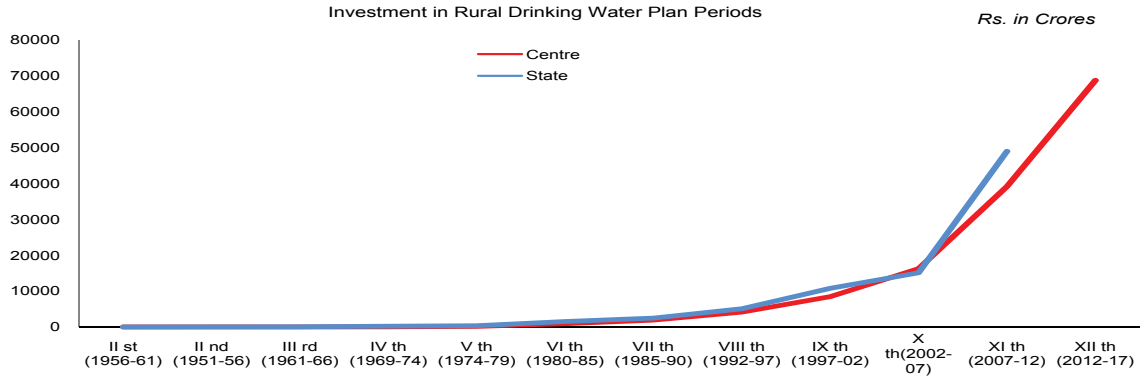

	II st (1956-61)	II nd (1951-56)	III rd (1961-66)	IV th (1969-74)	V th (1974-79)	VI th (1980-85)	VII th (1985-90)	VIII th (1992-97)	IX th (1997-02)	X th(2002-07)	XI th (2007-12)	XII th (2012-17)
Centre	0	0	0	34.1	157.17	895.38	1905.64	4139.74	8454.57	16254.42	39191	68786
State	3	30	48	208	348	1530.17	2471.53	5084.44	10773.11	15102.42	49000	

12वीं योजना अवधि (2012.13 से 2016.17 तक) में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की सुपुर्दगी के सेवा मानदंड के आधार पर बसावटों की वर्षःवार कवरेज स्थिति							
तक	कुल	पूर्ण रूप से कवर		आंशिक रूप से कवर		गुणवत्ता प्रभावित	
	संख्या	संख्या	%	संख्या	संख्या	संख्या	%
01.04.12	16,66,075	12,31,411	73.9	3,30,504	19.8	1,04,160	6.3
01.04.13	16,92,251	11,61,018	68.6	4,48,439	26.5	82,794	4.9
01.04.14	16,96,664	12,49,695	73.6	3,68,463	21.7	78,506	4.6
01.04.15	17,13,303	12,70,199	74.1	3,76,343	22.0	66,761	3.9
01.04.16	17,14,528	13,06,580	76.2	3,36,871	19.7	71,077	4.1
31.12.16	17,14,528	13,23,079	77.2	3,22,925	18.8	68,524	4.0

- पिछले 5 वर्षों (12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि) में 1.4.2012 से 31.12.2016 तक पूर्ण रूप से कवर किए गए बसावटों का प्रतिशत 73.9% से बढकर 77.2% हो गया है (अर्थात् पूर्ण रूप से कवर बसावटों में कुल 91668 की वृद्धि)।

  निम्नलिखित चुनौतियों के कारण अपेक्षा से कम विकास हुआ है

  (क) कृषि/उद्योग जैसे प्रतिस्पर्धी सेक्टर द्वारा अत्यधिक प्रतिदोहन के कारण भूजल स्तर में गिरावट,

  (ख) सिल्टिंग के कारण जल निकायों और इसकी भंडारण क्षमता में कमी,

  (ग) निरंतर सूखा और अपर्याप्त वर्षा,

  (घ) कीटनाशकों/उर्वरकों के वर्धित प्रयोग तथा उद्योगों से निकलने वाले उत्प्रवाहों के कारण जल निकायों में प्रदूषण, इनमें से अधिकांश राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर हैं।

- उक्त अवधि में, आंशिक रूप से कवर बसावटें 19.8% से घटकर 18.8% हो गई हैं।

- उक्त अवधि में, गुणवत्ता प्रभावित बसावटें 6.3%से घटकर 4.0% हो गई हैं।

2.1.6 एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2005–06 से एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत मंत्रालय को वित्तीय आबंटन और राज्यों द्वारा व्यय निम्नलिखित है:

- राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय कार्यनिष्पादन, कार्यक्रम के तहत जारी की गई राशियों के आधार पर आकलित किया जाता है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और की गई रिलीज इस प्रकार है:

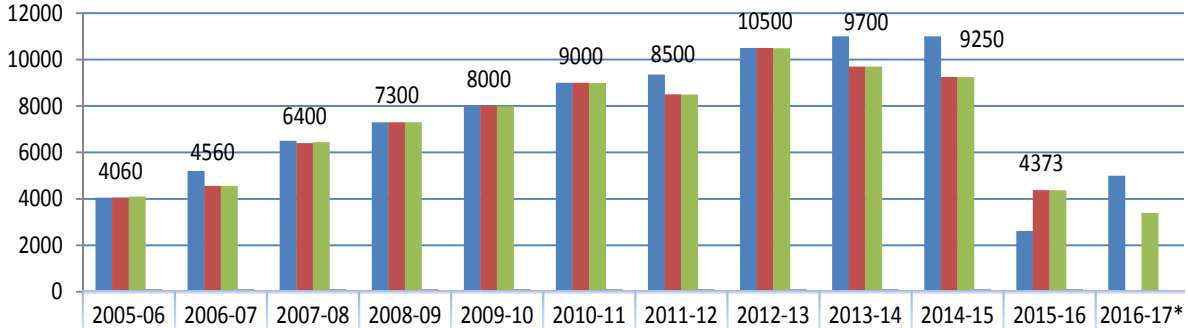

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
Budget Estimates	4050	5200	6500	7300	8000	9000	9350	10500	11000	11000	2611	5000
Revised Estimates	4060	4560	6400	7300	8000	9000	8500	10500	9700	9250	4373	
Expenditure	4098	4560	6442.76	7298.79	7989.72	8986.74	8493.15	10489.05	9697.27	9242.76	4369.55	3397.65
Expenditure in % of RE	100	100	100	99.98	99.87	99.85	99.91	99.89	99.97	99.92	99.92	67.95

वर्ष 2015–16 के दौरान, 4373 करोड़ रु. का संशोधित आबंटन उपलब्ध कराया गया। इसमें से, 4369.55 करोड़ रु. राज्यों को जारी किए गए अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए गए।

वर्ष 2016–17 के लिए, बीई आबंटन 5000 करोड़ रु. था। तदुपरांत, संशोधित अनुमान में, कुल 6000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए किया गया है। अब तक दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार 3397.65 करोड़ रु. राज्यों को जारी किए गए हैं।

5750 करोड़ रु. के प्रस्तावित अंतिम आबंटन को पूरा करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष तीन महीने (जनवरी से मार्च) के लिए निधियों के उपयोग हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रक्षेपण 2352.35 करोड़ रु. होगा।

- संबंधित अवधि में राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

Expenditure in Rs. Crore of NRDWP Funds

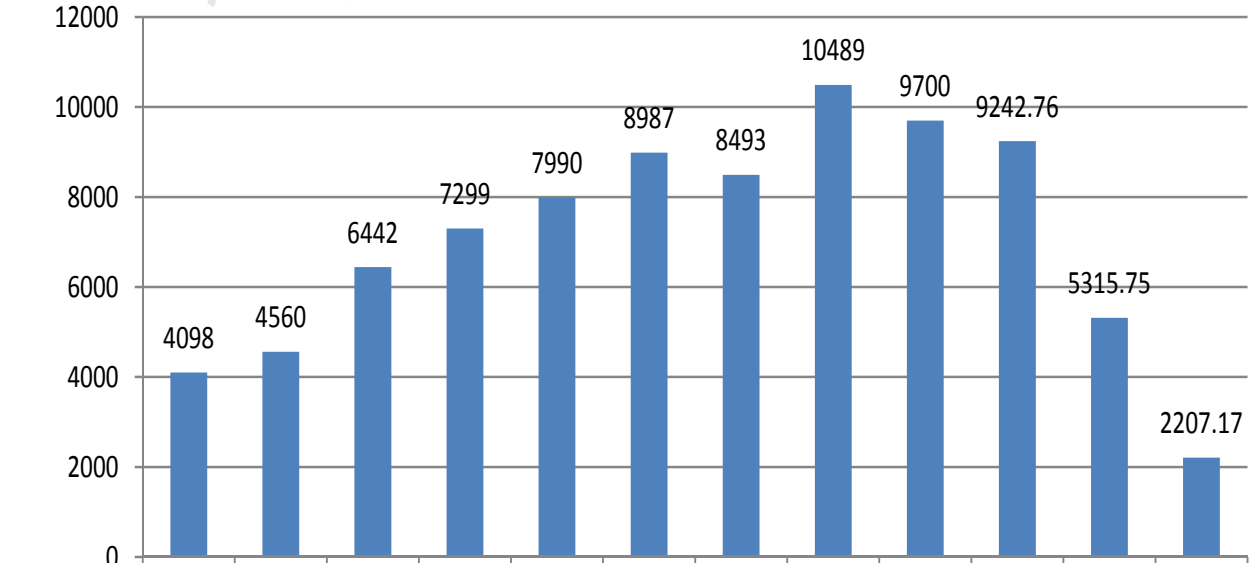

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
Expenditure	4098	4560	6442	7299	7990	8987	8493	10489	9700	9242.76	5315.75	2207.17

* 31.12.2016 तक

राज्यों के लिए किए गए बजट की कुल राशि में से वर्ष 2016–17 के दौरान सहायता कार्यकलापों के फोकस क्षेत्रों में और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी हेतु सहायता निधि के अंतर्गत 237.50 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिसमें से 130.36 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं, जबकि डब्ल्यूक्यूएमएंडएस के अंतर्गत 142.48 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं और 74.57 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और जल गुणवत्ता के अंतर्गत निर्धारित निधियों के लिए 237.50 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं और 31.12.2016 तक 51.98 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

2.1.7 12वीं पंचवर्षीय योजना में नई पहलें

- **सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंपों से पाइप से जलापूर्ति स्कीमें (पीडब्ल्यूएसएस)**: मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के सहयोग से एकीकृत कार्य योजना जिलों (आईएपी) के लिए लक्षित सुदूर बसावटों में 10000 सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंपों वाली पीडब्ल्यूएसएस स्कीमों की संस्थापना का समर्थन किया है। यह पहल सफल रहा है और वर्ष 2016–17 में सभी राज्यों के सुदूर क्षेत्रों जहाँ बिजली अब तक नहीं है अथवा अनियमित है, उनमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) की सहायता से ऐसी 15,400 सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंपों वाले पीडब्ल्यूएसएस का समर्थन किया जा रहा है।
- हैंड पम्पों/नल कूपों/भूजल आधारित स्कीमों की बजाए सतही जल आधारित स्कीमों पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है। इससे भू–जल के विदोहन पर दवाब को कम किया जा सकेगा और जल को पीने योग्य बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- स्टैंड पोस्ट के जरिए नल जल आपूर्ति पर फोकस।
- आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के लिए स्वच्छ पेयजल के प्रावधान पर बल देने हेतु राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप–मिशन की शुरूआत। उप–मिशन की निगरानी इसके समर्पित वेबसाइट और डैशबोर्ड द्वारा गहन तरीके से की जाएगी।
- व्यापक आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण) के जरिए घरेलू कनेक्शन को बढ़ाने पर गहन फोकस।
- जल स्रोतों एवं निधियों की उपलब्धता के अनुरूप प्रणालियां तैयार करने हेतु 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के वर्तमान मानक से ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए सेवा स्तरों में बढ़ोत्तरी करना।
- सभी नई पेयजल आपूर्ति स्कीमों के डिजाइन, आकलन और कार्यान्वयन जीवन चक्र लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाए न कि केवल प्रति व्यक्ति लागत को ध्यान में रखते हुए।
- जल बजटिंग और आपूर्ति एवं मांग दोनों पक्षों की दृष्टि से योजना तैयार करके समेकित जल संसाधन प्रबंधन की भागीदारी योजना बनाना तथा क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना।
- अनु. जाति एवं अनु. जनजाति आबादी बहुल बसावटों के कवरेज हेतु निधियों का निर्धारण करना।
- एलडब्ल्यूई क्षेत्रों, अल्पसंख्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता।

- आईएसओ 9001:2008: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को दिनांक 27.09.2015 को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्रदान किया गया।

- मंत्रालय ने दस्तावेजों और फाइलों के वास्तविक रूपों में संचलन प्रक्रिया को हटाकर ई–आफिस को कार्यान्वित किया है और इस प्रकार पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य की गति में बढ़ोत्तरी हुई है।

- **स्कीमों के कार्यान्वयन का तीसरा पक्ष मूल्यांकन:**

  - नीति आयोग के माध्यम से, 6 राज्यों में आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम 10 स्कीमों को कवर करते हुए 50 पूरी कर ली गई पेयजल आपूर्ति स्कीमों के कार्य–निष्पादन को समझने हेतु एक अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन में प्रचालन और रख–रखाव मॉडल, प्रशुल्क संग्रह के स्तर, जल शोधन के तरीकों, गुणवत्ता के स्तरों और जल स्रोत की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। उत्साहजनक फीडबैक प्राप्त हुए हैं और कुछ चिंताओं का भी पता चला है।

  - इसके अलावा, मंत्रालय ने स्कीमों (एकल ग्राम स्कीमों तथा बहु ग्राम स्कीमों) के कार्यात्मकता के आकलन का कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को सौंपा है। क्यूसीआई 5600 गांवों के चालू जलापूर्ति स्कीमों का अध्ययन करेगा और आईएमआईएस पर सूचित वर्तमान डाटा की तुलना में वास्तविकता पर रिपोर्ट देगा।

  - इसी प्रकार, इस मंत्रालय ने चालू जलापूर्ति स्कीमों के नियमित आकलन (राष्ट्रीय स्तर की मॉनीटरिंग), सेवा सुपुर्दगी पहलुओं और ग्रामीण आबादी के मध्य समग्र संतुष्टि स्तर के नियमित आकलन हेतु पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं की।

- **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन**

- पीएमओ के निर्देशानुसार, सचिव, एमडीडब्ल्यूएस के संयोजन में एक समिति गठित की गई थी। समिति में सरकार तथा विषय के विशेषज्ञ शामिल हैं जिन्होंने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और आगे का पथ प्रदर्शित किया। समग्र जल शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार हेतु समिति ने देश में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और जल शिक्षा पर ध्यान देने का निर्णय लिया।

- समिति ने जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर बल देने का निर्णय लिया और उप–समिति के निर्माण की सिफारिश की। रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज से संबंधित उप–समिति ने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के भाग के रूप में आईडब्ल्यूआरएम पर एक पूर्वस्नातक विषय जल इंजीनियरिंग तथा जल प्रबंधन पर क्रमशः दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर ड्राफ्ट पाठ्यक्रम तैयार किया। ये पाठ्यक्रम मार्च, 2017 के अंत तक रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यान्वित होंगे।

2.1.8 एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वास्तविक

निष्पादन

वर्ष 2015–16 के लिए, 47080 आंशिक रूप से कवर और 9111 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज के लक्ष्य (40 एलपीसीडी) की तुलना में 39399 आंशिक रूप से कवर और 8125 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज की उपलब्धि रही।

वर्ष 2016–17 (31 दिसंबर, 2016 तक) के लिए, 44023 आंशिक रूप से कवर और 12812 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज के लक्ष्य की तुलना में 12978 आंशिक रूप से कवर और 2517 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज की उपलब्धि रही।

वास्तविक निष्पादन के वर्तमान रूझान को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2016–17 के शेष तीन महीने (जनवरी से मार्च) के दौरान कुल 4326 आंशिक रूप से कवर और 840 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को आगे कवर किए जाने का अनुमान है।

राज्य–वार विवरण अनुलग्नक II (क), II (ख), III (क) और III (ख) में उपलब्ध हैं।

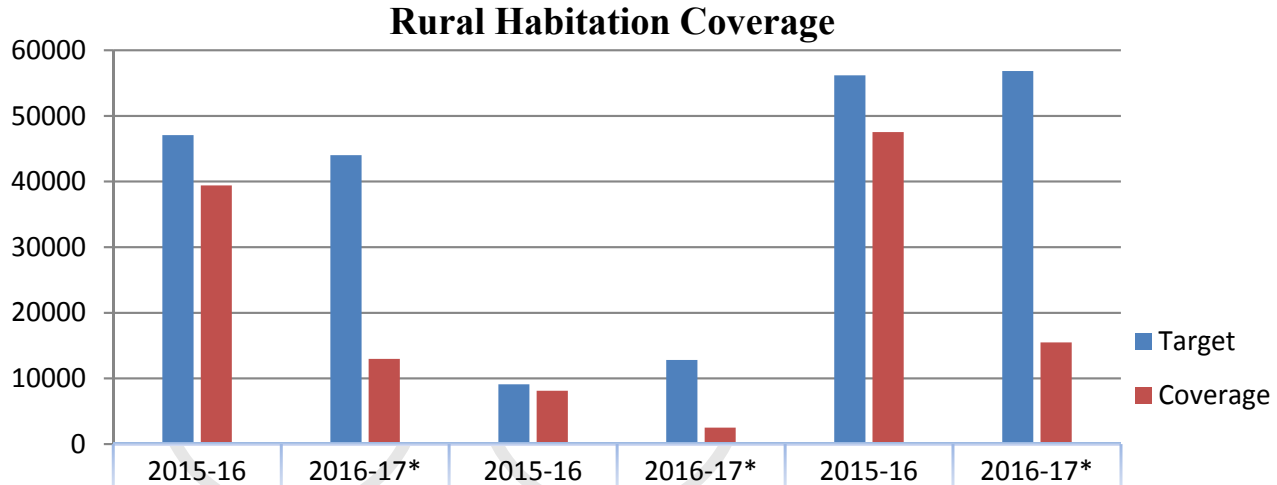

	2015-16 Partially Covered	2016-17* Partially Covered	2015-16 Quality Affected	2016-17* Quality Affected	2015-16 Total	2016-17* Total
Target	47080	44023	9111	12812	56191	56835
Coverage	39399	12978	8125	2517	47524	15495

** 31.12.2016* तक उपलब्धि

2.1.9 बढ़ती अपेक्षाएं : लक्ष्य

मंत्रालय का लक्ष्य ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सेवा सुपुर्दगी के बेहतर मानकों के लिए ग्रामीण लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने में राज्यों की सहायता करना है जैसाकि नीचे दी गई जल सीढ़ी में दर्शाया गया है।

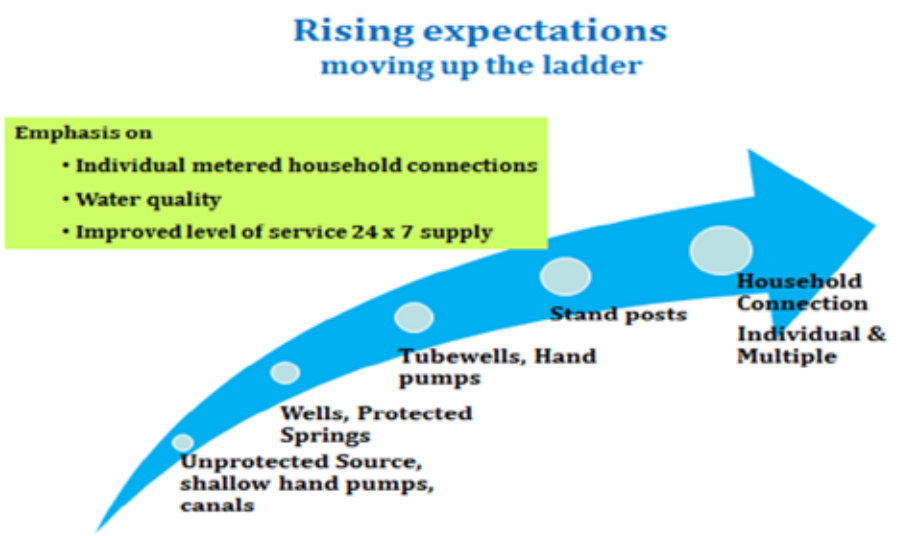

2.1.10 वार्षिक कार्य योजनाएँ (एएपी): 2016–17 के लिए योजना तैयार करना

वर्ष 2010–11 से, वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर प्रत्येक राज्य के साथ राज्य–वार विचार–विमर्श किए गए। इस प्रक्रिया में राज्यों ने वर्ष के दौरान उनके द्वारा की जाने हेतु प्रस्तावित गतिविधियों, और उन प्रस्तावों में लगने वाली वित्तीय लागतों के संबंध में विस्तृत विवरण देते हुए अपनी वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। वर्ष 2016–17 हेतु राज्य की वार्षिक कार्य योजनाओं पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के बीच मार्च, 2016 में बीच विस्तृत विचार विमर्श किए गए।

वर्ष 2012–13 से वार्षिक कार्ययोजना हेतु ऑनलाइन फॉर्मेट पूरी तरह तैयार कर लिया गया और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया था। इससे राज्यों का वार्षिक योजनाओं के प्रति विकेन्द्रीकृत नजरिया बना है। विचार विमर्शों के बाद वार्षिक कार्य योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया गया एवं कार्ययोजनाओं की पहचान की गई। राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं के तैयार होने के पश्चात् और ऑनलाइन लक्षित बसावटों की आईएमआईएस पर पहचान के पश्चात् राज्यों ने निधियां जारी की। वार्षिक कार्य योजना के आधार पर ही राज्यों ने वर्ष के दौरान एनआरडीडब्लूपी के तहत गतिविधियां चलाईं। एनआरडीडब्लूपी हेतु वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार करने, उन पर विचार विमर्श करने और उनका कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निधियों को उचित ढंग से लक्ष्यबद्ध करने और उनकी मॉनीटरिंग करने हेतु एक रूपरेखा उभरकर सामने आई है। वार्षिक कार्य योजना सहित राज्यों की उपलब्धियों की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एनआरडीडब्लूपी की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय रूप से मजबूती आई है।

2.1.11 अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी), जनजातीय उप–योजना (टीएसपी), वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों (एलडब्ल्यूई) तथा अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों के लिए कार्यनीति बनाना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान

एनआरडीडब्ल्यूपी में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी के कवरेज पर फोकस सुनिश्चित करने के विशेष प्रावधान हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को निधि आवंटन के लिए मानदण्ड में राज्य की ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजाति की आबादी के लिए 10 प्रतिशत वैटेज की व्यवस्था है। अतः अनु. जाति तथा अनु. जनजाति की अधिक आबादी वाले राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का अधिक आवंटन प्राप्त करते हैं।

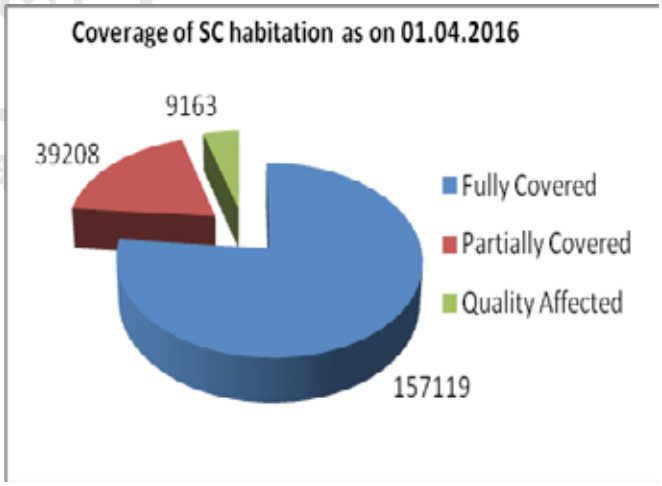

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनु.जाति और अनु. जनजाति बहुल क्षेत्रों में राज्यों द्वारा पर्याप्त निधियों का उपयोग किया जाता है, वर्ष 2016–2017 के लिए, अनु.जातियों के लिए व्यय हेतु 1320 करोड़ रू. (6000 करोड़ रू. के कुल आवंटन का 22 प्रतिशत) तथा अनु. जनजातियों के लिए व्यय हेतु 600 करोड़ रू. (6000 करोड़ रू. के कुल आवंटन का 10 प्रतिशत) निर्धारित किया गया है। ऊपर उल्लिखित राशि में अनु. जाति

और अनु. जनजाति आबादी के कवरेज के लिए राज्यों को 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार 906.61 करोड़ रू. की राशि जारी कर दी गई है।

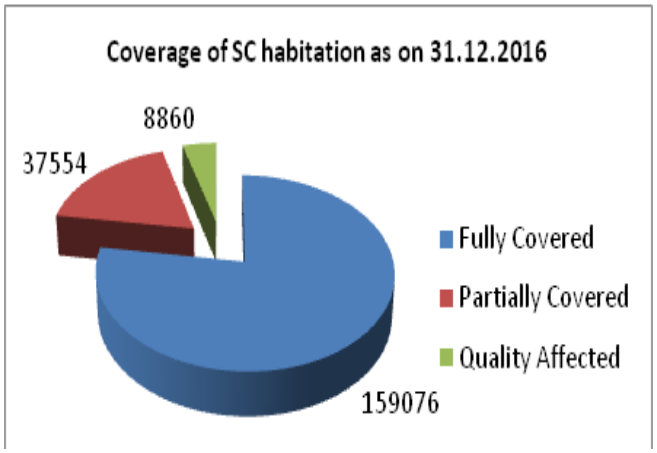

मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के जरिए अनु. जाति और अनु. जनजाति बहुल बसावटों के कवरेज की प्रगति की गहन निगरानी की जा रही है। उपर्युक्त कार्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने अपने वेबसाइट और आईएमआईएस को अद्यतन किया है ताकि आकड़ों को लेने और उनके विश्लेषण की क्षमताओं में सुधार हो सके।

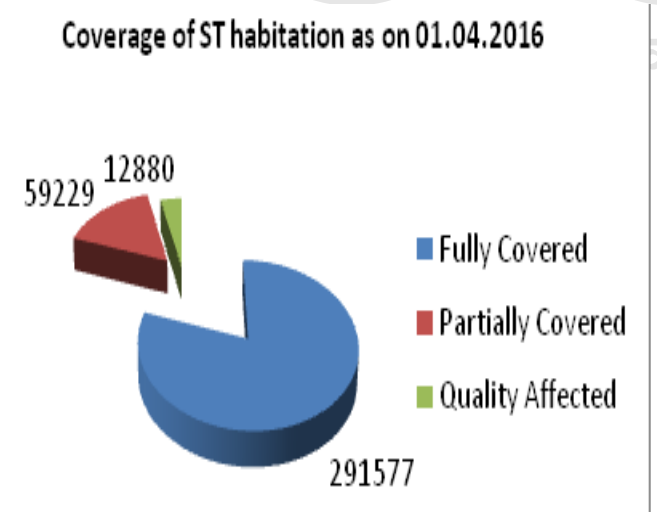

दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार, देश में अनु. जाति बहुल कुल 205490 बसावटों में से 157119 बसावटें पूर्णतः कवर हैं, 39208 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं तथा 9163 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। 2016–17 में, 8154 अनुसूचित जाति बहुल बसावटों के कवरेज का लक्ष्य रखा गया था तथा दिनांक 31.12.2016 तक 3419 बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के साथ कवर किया गया।

दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार अनु. जनजाति बहुलता वाली कुल 363686 बसावटों में से 291577 बसावटें पूर्णतः कवर हैं, 59229 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं और 12880 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। 2016–17 में अनु. जनजाति बहुल 9942 बसावटों के कवरेज के लक्ष्य की तुलना में, दिनांक 31.12.2016 तक 8252 बसावटों को कवर कर लिया गया है।

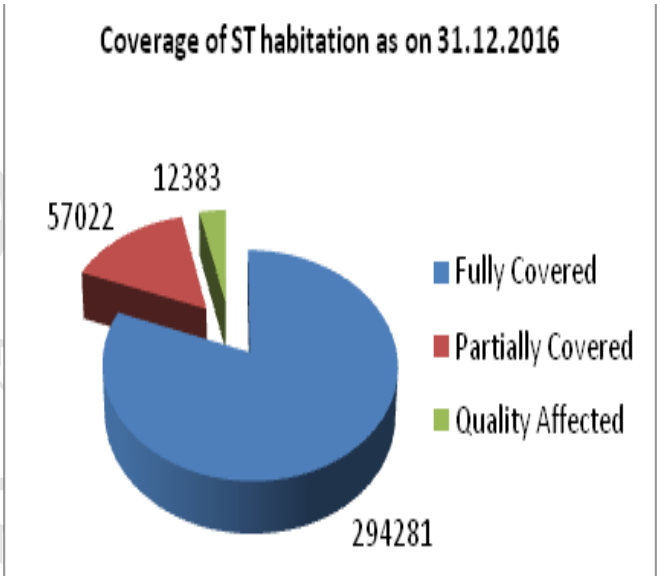

अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान

हालांकि अल्पसंख्यक बहुल जिलों में व्यय के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का कोई भी निर्धारण नहीं किया जाता है, फिर भी, योजना प्रक्रिया में इस प्रकार की बसावटों के कवरेज पर ध्यान दिया जाता है। 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में (एमसीडी) कुल 234757 बसावटों में से 157595 बसावटें पूर्णत कवर हैं, 64621 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं और 12541 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। वर्ष 2016–17 में 8579 बसावटों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था और दिनांक 31.12.2016 तक 3376 बसावटों को पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई।

वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति

ऐसे 88 जिले हैं जो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत हैं तथा समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत आते हैं। जल आपूर्ति परियोजनाओं सहित विकास परक योजनाएं शुरू करने के लिए इन जिलों के जिला प्रशासन को आईएपी के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके अलावा, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य सरकारें इन जिलों में अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्राथमिकता देती हैं।

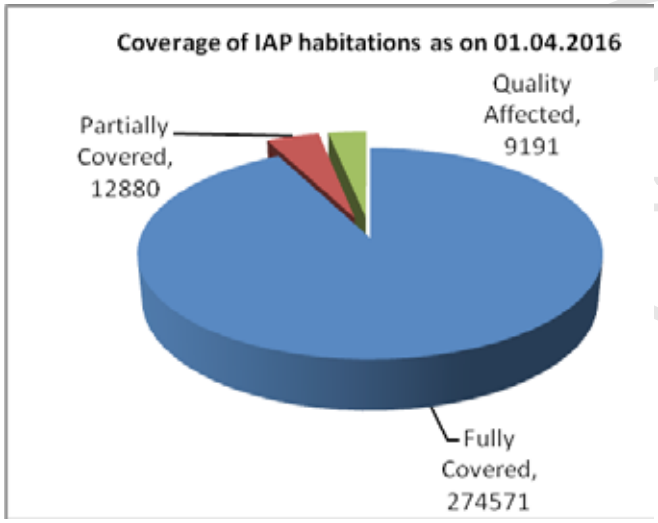

01.04.2016 की स्थिति के अनुसार, देश में 17.14 लाख ग्रामीण बसावटों में से 343591 बसावटें आईएपी जिलों में हैं। इनमें से 2,74,571 बसावटें (79.91 प्रतिशत) पूर्णतः कवर की गई हैं। 59829 बसावटें (17.41 प्रतिशत) आंशिक रूप से कवर हैं। इसके अलावा, 9191 बसावटें (2.67 प्रतिशत) गुणवत्ता प्रभावित हैं।

वर्ष 2016–17 में, एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत 7294 बसावटों को कवर करने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकारों द्वारा आईएपी जिलों को 271.99 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, 8001 बसावटें कवर की गई हैं।

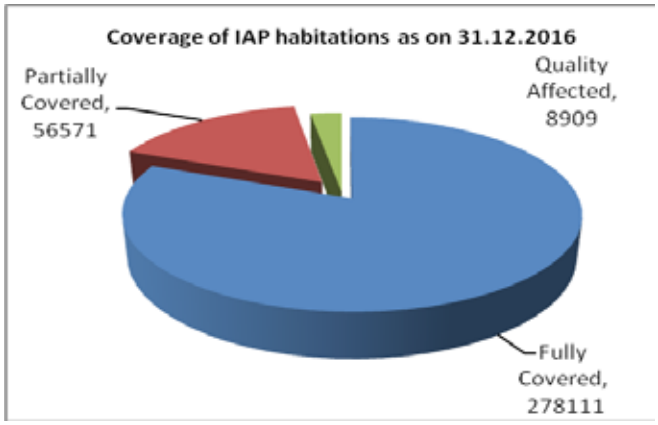

2.1.12 समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में सौर ऊर्जा द्वारा चालित दोहरे पम्प

मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के सहयोग से देश के 88 समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में सौर ऊर्जा द्वारा चालित दोहरे पम्पों को संस्थापित कर रहा है। सौर डुअल पंप की एक इकाई लागत लगभग 5 लाख रुपए है। एमडीडब्लूएस और राज्यों के बीच निधि भागीदारी पैटर्न क्रमशः 40 (एनसीईएफ) : 30 (एनआरडीडब्ल्यूपी केंद्रीय) : 30 (एनआरडीडब्ल्यूपी राज्य) है।

सौर ऊर्जा द्वारा चलने वाले दोहरे पम्प स्कीम के तहत एक 900 वॉट की क्षमता का सौर ऊर्जा आधारित सबमर्सिबल पम्प, बोरवैल में लगाया गया है जो कि हैंडपम्प के साथ भी जुड़ा हुआ है। पम्प किया गया पानी 5000 लिटर के टैंक में जमा किया जाता है जिसका उपयोग प्रत्येक घर में नलों के द्वारा पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।

यह स्कीम 250 लोगों की पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त है। सौर ऊर्जा द्वारा चालित पम्प में किसी प्रकार की समस्या आने पर हैंडपम्प को उसी बोरवैल में विकल्प के रूप में रखा जाता है ताकि आबादी को पेयजल की अबाधित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत 10,571 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं।

सौर ऊर्जा पंप

2.1.13 पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, इन राज्यों को राष्ट्रीय आवंटन का 10 प्रतिशत उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थापना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2015–16 में, पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 437.30 करोड़ रू. उपलब्ध कराए गए थे।

राज्य	कुल ग्रामीण बसावटें	कवरेज की स्थिति (01.04.2016 के अनुसार)			लक्ष्य 2016-17		31.12.2016 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि	
		पूर्णत कवर बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें
अरूणाचल प्रदेश	7577	2849	4673	55	177	11	23	2
असम	88099	55875	23447	8777	1090	662	98	65
मणिपुर	2868	2241	627	0	50	0	76	0
मेघालय	10475	1674	8791	10	100	10	21	0
मिजोरम	738	447	291	0	35	0	7	0
नागालैण्ड	1530	731	756	43	38	16	108	0
सिक्किम	2084	731	1353	0	40	0	10	0
त्रिपुरा	8723	4276	518	3929	41	524	8	131
कुल	122094	68824	40456	12814	1571	1223	351	198

2.2 जल गुणवत्ता (डब्ल्यूक्यू) गतिविधियां

2.2.1 पेयजल गुणवत्ता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना (आईसीडीडब्लूक्यू)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, जोका, डायमण्ड हार्बर रोड, कोलकाता, में पेयजल गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीडीडब्लूक्यू) की स्थापना कर रहा है। आईसीडीडब्लूक्यू को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में नई दिल्ली में पंजीकृत कर लिया गया है। आईसीडीडब्लूक्यू, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के संपूर्ण मार्गदर्शन में मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित एवं संचालित होगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को वर्ष 2013 में अनुमोदित किया गया है।

सोसाइटी का मूलभूत उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और सामान्यतः ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के अन्तर्गत नीतिगत स्तर पर निर्णय लेने हेतु इनपुट उपलब्ध कराने के लिए आर्सेनिक, फ्लोराइड पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ भारत एवं भारत से बाहर पेयजल गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं की पहचान करने, उन समस्याओं को कम करने और इनका प्रबंधन करने के क्षेत्र में कार्य करना है। केन्द्र, मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, विभिन्न शोधन प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन, लोगों को प्रशिक्षण देने सभी संबंधित संगठनों के साथ नेटवर्किंग, पेयजल गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर स्नातक और परास्नातक अध्ययनों को बढ़ावा देने आदि पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह केन्द्र भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों को भी अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, यह केन्द्र, आवश्यकता होने पर, अन्य देशों को भी सहायता करेगा।

आईसीडीडब्ल्यूक्यू के कार्यकारी परिषद (ईसी) ने दिनाँक 24 अगस्त, 2015 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में सीपीडब्यूडी, कोलकाता को आईसीडीडब्ल्यूक्यू की संपूर्ण रुपरेखा, निर्माण और विकास की गतिविधियों को सौंपने का निर्णय लिया। सीपीडब्ल्यूडी, कोलकाता द्वारा कार्य को निर्माणकर्त्ता एजेंसी को उप संविदागत किया गया है और कार्य प्रगति पर है। आईसीडीडब्ल्यूक्यू के लिए सिविल, संरचनात्मक और बिजली की अनुमानित लागत 96 करोड़ रुपए है।

2.2.2 देश में फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्रों के माध्यम से स्वच्छ पेयजलापूर्ति हेतु स्कीम।

इस मंत्रालय ने अधिमानतया सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों के जरिए देश की 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को एक दीर्घकालिक स्थायी समाधान के रूप में वर्ष 2022 तक, निधियों की उपलब्धता की शर्त के अधीन सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार की है। राज्यों द्वारा संदूषित क्षेत्रों में ''सुरक्षित'' पेयजल आपूर्ति करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) निधियों का उपयोग अधिकतर बहुल ग्राम स्कीमों सहित वैकल्पिक सुरक्षित नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए एक नीति के रूप में किया जाता है।

मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचित किया है कि सभी जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में एक दीर्घकालिक स्थायी समाधान के रूप में सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों को लागू करें। तथापि, चूंकि नलजल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 3–5 वर्ष लग जाते हैं और इस अवधि के दौरान ग्रामीण लोगों को संदूषित जल पीने के जोखिम पर नहीं छोड़ा जा सकता, सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सूचित आर्सेनिक और फ्लोराइड बसावटों में मार्च, 2017 तक सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करें। यह कार्य केवल पीने एवं रसोई परियोजन हेतु 8–10 एलपीसीडी (लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन) सुरक्षित जल उपलब्ध कराने हेतु एक अल्पकालिक तात्कालिक के रूप में किया जा रहा है।

चूंकि वर्ष 2015–16 के दौरान मंत्रालय का आबंटन कम कर दिया गया, नीति आयोग ने इस प्रयोजनार्थ एक मुश्त केंद्रीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रु. जारी किए हैं जिसमें पेयजल में फ्लोराइड एवं

आर्सेनिक संदूषकों से सर्वाधिक प्रभावित राजस्थान और पश्चिम बंगाल में नल जल आपूर्ति स्कीमों की अंतिम कनेक्टिविटी के लिए निधियां भी शामिल हैं।

नीति आयोग की सिफारिश से जारी निधियों के संबंध में, राज्यों ने अब तक ऑनलाइन आईएमआईएस (फॉर्मेट–सी 40 ए) पर अपनी सूचना अद्यतन नहीं की है। दिनांक 31.12.2016 तक, इन निधियों का उपयोग करते हुए केवल 35 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में और 188 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र काम कर रहें हैं। नियमित रूप से इस पहलु की प्रगति की समीक्षा की जाती रहेगी और मार्च, 2017 तक इसे और भी बेहतर किया जाएगा।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31.12.2016 तक एनआरडीडब्लयूपी के अंतर्गत अधिकतर रिवर्स ओस्मोसिस (आरओ) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 8226 सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अधिकांश आरओ संयंत्र कर्नाटक (7073), राजस्थान (250), पंजाब (245) और आंध्र प्रदेश (212) में स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों की कुछ तस्वीरें नीचे दर्शायी गई हैं:

आंध्र प्रदेश राज्य में थिरुमनलारेड्डी पल्ली वेडुल्लाइचेरूवू ग्राम पंचायत, वेलीगांडला ब्लॉ क, प्रकासम जिले में संस्थापित नैनो–टेक्नोलॉजी पर आधारित फ्लोराइड निपटान हेतु संयंत्र

पश्चिम बंगाल राज्य में 24 माणिकतला मथपाड़ा बसावट, सुतिया ग्राम पंचायत, बिष्णुंपुर ग्राम, गैघाटा ब्लॉक उत्तरी 24 परगना जिले में संस्थापित सौर ऊर्जा आधारित आर्सेनिक निपटान संयंत्र

पश्चिम बंगाल राज्य में गंगापुर बसावट, महुला–II ग्राम पंचायत, भाबटा गांव, बेल्डंगा ब्लॉक, मुर्शीदाबाद जिले में संस्थापित सौर ऊर्जा आधारित आर्सेनिक निपटान संयंत्र

पंजाब राज्यत में चन्को4ई गांव, सरोया ब्लॉ क, एसबीएस नगर जिले में आरओ आधारित सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र का दृश्य

मध्य् प्रदेश राज्य् के सिओनी जिले के सारंगपुर गांव में सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रो लाइटिक डीफ्लोरीडेशन संयंत्र

पंजाब राज्यत में बोडली गांव, गहलेवाल ब्लॉ क, माछीवाड़ा जिले में आरओ आधारित सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र का दृश्य

2.2.3 जल गुणवत्ता निगरानी और जाँच

ग्रामीण समुदाय में स्वच्छ और साफ पेयजल के प्रति समझ का विकास करने और गुण–दोष की विवेचना करने के लिए तथा उन्हें पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जॉच करने में सक्षम बनाने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और जॉच कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी), फरवरी, 2006 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा ग्रामीण समुदायों को सशक्त करना बनाना था :

1. खराब पेयजल गुणवत्ता के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिम, स्वास्थ्य, स्वच्छता सर्वेक्षण, पर्यावरणीय स्वच्छता के महत्व, प्रणालियों के स्वामित्व को समाप्त करने आदि के बारे में सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता सृजन।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में निचले स्तर के पॉच कर्मियों को प्रशिक्षण, जो आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी, विज्ञान अध्यापक, हाई स्कूल की छात्रा, पंचायत सदस्य, सेना के सेवा निवृत कर्मचारी आदि हो सकते हैं।

3. 5 ग्राम पंचायत कर्मियों के अलावा राज्य स्तर पर दो व्यक्तियों, जिला स्तर पर 4 कर्मियों और ब्लॉक स्तर पर 5 व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

4. प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए जल जॉच किट का प्रावधान।

ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, राज्यों को शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई है। इस कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर 31.12.2016 तक राज्यों द्वारा सूचित ऑनलाइन आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4.99 लाख रासायनिक किटों तथा 119.52 लाख

बैक्टीरियोलॉजिकल वायल खरीदे गए हैं/ उनकी आपूर्ति की गई है। इन किटों का उपयोग करते हुए प्रयोगशालाओं में 44.63 लाख ग्रामीण पेयजल स्रोतों की जांच की गई तथा राज्यों द्वारा आईएमआईएस पर सूचित ऑनलाइन डाटा के अनुसार विभिन्न राज्यों में 34.84 लाख व्यक्तियों (ग्राम पंचायतों में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे लोग, ब्लॉक और जिला अधिकारियों को शामिल करते हुए) को जल गुणवत्ता जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इससे पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता संबंधी पहलुओं के पर्यवेक्षण में सहायता मिलती है। दिनांक 1.4.2009 से एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी को एनआरडीडब्ल्यूपी में मिला दिया गया है। वर्ष 2011–12 से जल गुणवत्ता निगरानी का एक अलग घटक सृजित किया गया है जिसके लिए 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियॉ आवंटित की जाती हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं (31/12/2016 तक)

वितरित रासायनिक एफटीके की संख्या	=	3,523
वितरित/परिष्कृत सूक्ष्म जैविकीय वायलों की संख्या	=	2.22 लाख
एफटीके का उपयोग करने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की संण	=	1.45 लाख
किए गए स्वच्छता सर्वेक्षणों की संख्या	=	1,06ए251
एफटीके का प्रयोग करते हुए जांच किए गए स्रोतों की संख्या	=	3.71 लाख

अपेक्षित है कि मार्च, 2017 तक एफटीके तथा जैविक वायल का उपयोग करके स्थानीय लोगों द्वारा लगभग 5 लाख जल स्रोतों की जांच की जाएगी।

गुजरात राज्य में क्षेत्र जांच किट, (एफटीके) द्वारा जल गुणवत्ता जांच का प्रदर्शन

गुजरात राज्य में ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र जांच किट (एफटीके) का उपयोग

2.2.4 जल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाएं

यह मंत्रालय राज्यों में जिला स्तरीय तथा उप–जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन में भी सहायता करता है। 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता), अपने स्वयं के संसाधनों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों का प्रयोग करते हुए 27 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं, 729 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं, 279 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं, 1,117 उप प्रभागीय प्रयोगशालाएं और 88 चल जाँच प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। मंत्रालय की आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा इन प्रयोगशालाओं में वर्ष 2016–17 के दौरान 21.25 जल नमूनों की जाँच की गई है।

सभी राज्यों से कहा गया है कि वे उन सभी जिलों में मार्च 2017 तक जिला स्तरीय जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करें जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अपेक्षित है कि मार्च 2017 तक 26 लाख पेयजल स्रोतों/नमूनों की जांच कर ली जाएगी।

मोहाली, पंजाब में एनएबीएल प्रत्यायित अग्रणी पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का एक दृश्य

एनएबीएल प्रत्यायित वड़ोदरा जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, गुजरात

एनएबीएल प्रत्यायित गुंटूर जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, आंध्रप्रदेश

2.2.5 जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्या का समाधान करने में उपलब्धियाँ:

वर्ष 2016–17 में राज्यों ने 12,812 जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्याओं को हल करने का लक्ष्य रखा था जिसकी तुलना में दिनाँक 31.12.2016 तक 2,553 बसावटों को कवर किया जा चुका है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि अल्पकालिक उपाय (सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्र) अथवा

दीर्घकालिक उपाय (पाइप से जलापूर्ति स्कीम) के कार्यान्वयन के माध्यम से मार्च 2017 तक सभी शेष आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों को कवर करें। जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के लिए स्थायी समाधान के रूप में मुख्य रूप से सुरक्षित सतही आधारित पेयजल स्रोतों का उपयोग करके नल जलापूर्ति प्रदान करना है। कई राज्यों ने गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करते हुए ग्रामीण बसावटों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मेगा जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाई है। तेलंगाना में तेलंगाना जलापूर्ति ग्रिड परियोजना (मिशन भगीरथ) कार्यान्वित की जा रही है जो फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को कवर करेगी। पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश राज्य भी मेगा जलापूर्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं के चयनित चित्र नीचे दर्शाए गए हैं:

आर्सेनिक प्रभावित बसावटों के लिए दक्षिण 24 परगना जिले में फाल्टा–मथुरापुर क्षेत्र में सतही जल आधारित स्कीमें

तेलंगाना जलापूर्ति ग्रिड परियोजना (मिशन भागीरथ) का निष्पादन। तेलंगाना राज्य में एसआरएसपी जलाश्यों में जैक वेल का निर्माण

2.2.6 हाइड्रो-जियो मॉर्फोलॉजिकल (एचजीएम) मानचित्र

इस मंत्रालय ने समूचे देश के लिए हाइड्रो–जियोमार्फोलाजीकल मानचित्र (जल गुणवत्ता लेअर के बगैर संभावित मानचित्र) तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। राज्यों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, हैदराबाद के माध्यम से 1:50,000 स्केल पर 4,898 मानचित्रों को तैयार किया गया है। इन मानचित्रों का इस्तेमाल करके राज्य जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए भू–जल स्रोतों के लिए स्थानों की पहचान कर सकते हैं तथा मौजूदा जल आपूर्ति स्रोतों की निरंतर उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए पुनर्भरण ढांचों के निर्माण के लिए स्थान की पहचान कर सकते हैं।

तेलंगाना जलापूर्ति ग्रिड परियोजना का कार्यान्वयनः तेलंगाना राज्य में करीमनगर जिले में जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण

तेलंगाना जलापूर्ति ग्रिड परियोजना का कार्यान्वयनः तेलंगाना राज्य में महबूबनगर जिले में पाइप लाइन बिछाना

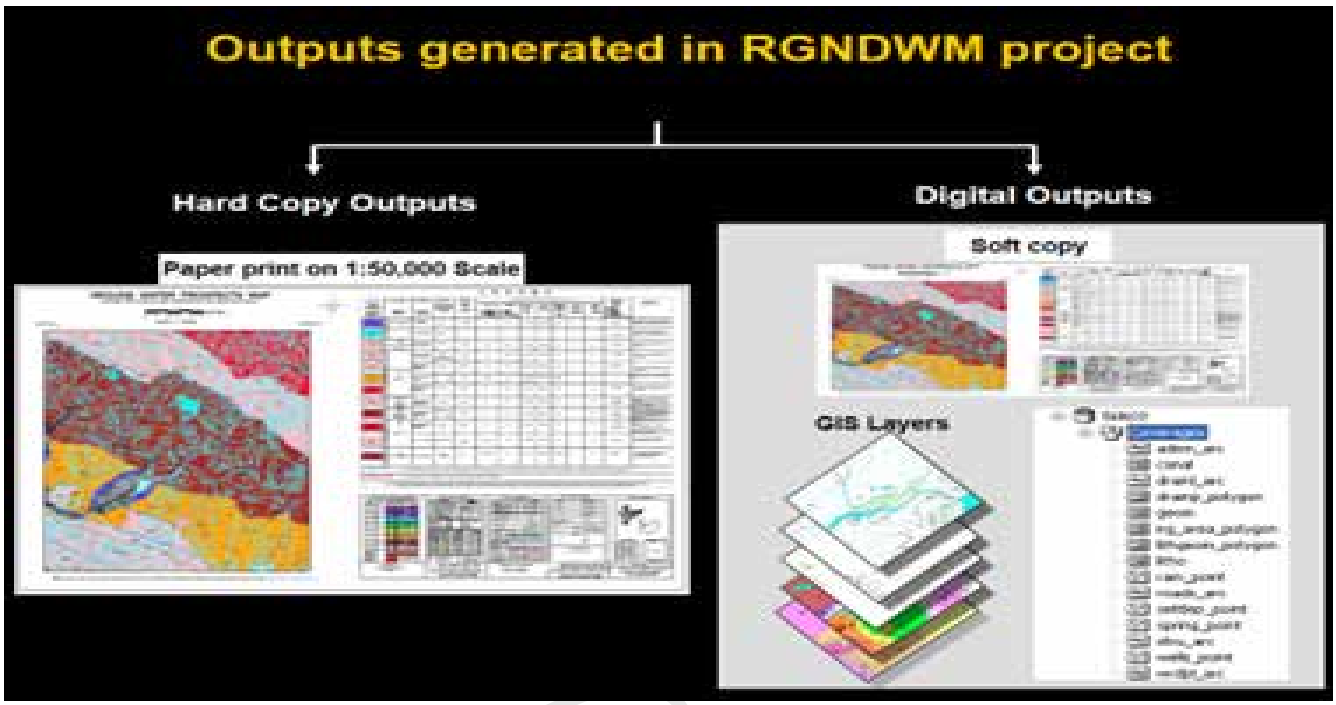

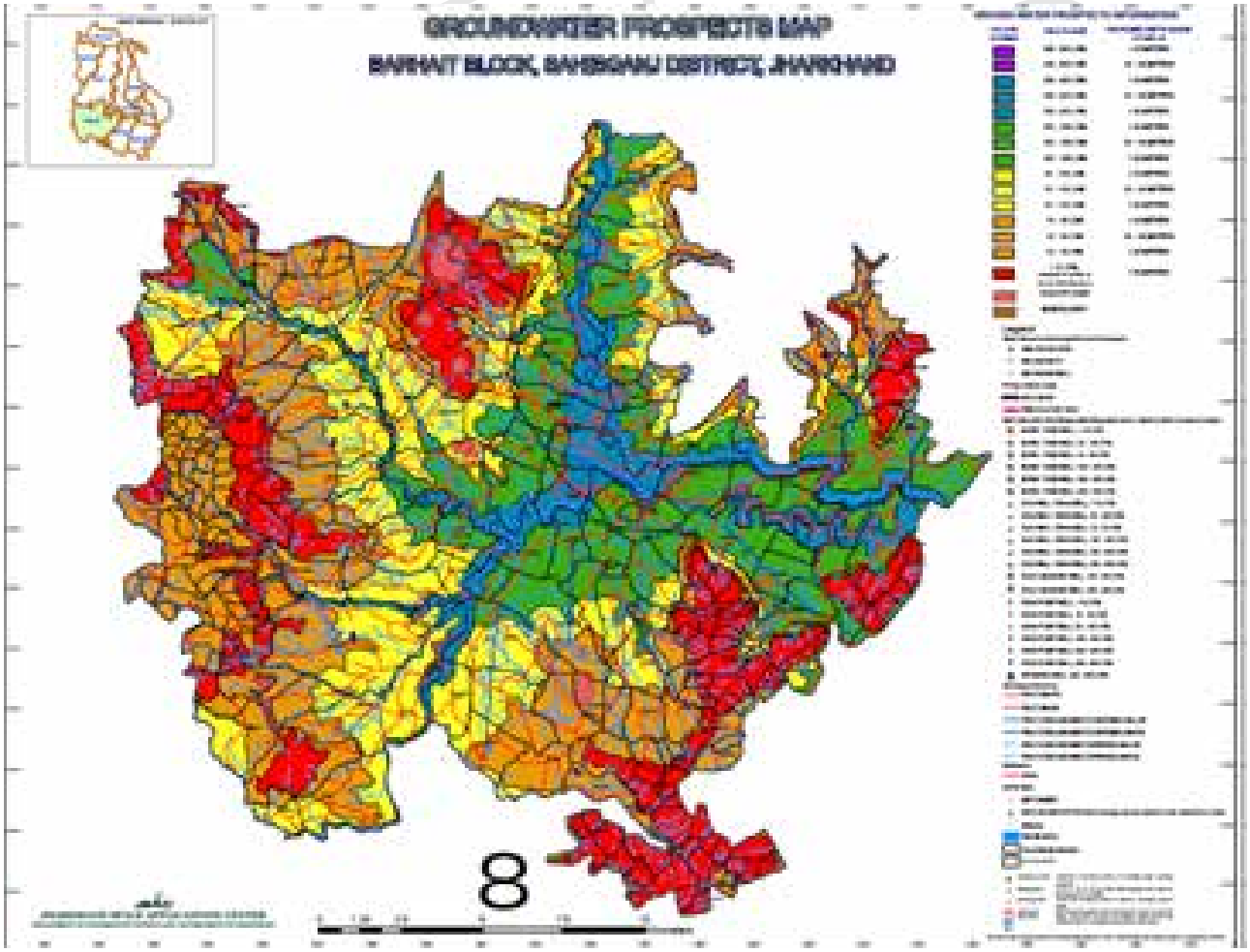

जीआईएस लेयर (जीयोग्राफिकल सूचना प्रणाली) लेयरों का निर्माण और झारखंड राज्य के बरहैत ब्लॉक के एचजीएम नक्शे का दृश्य

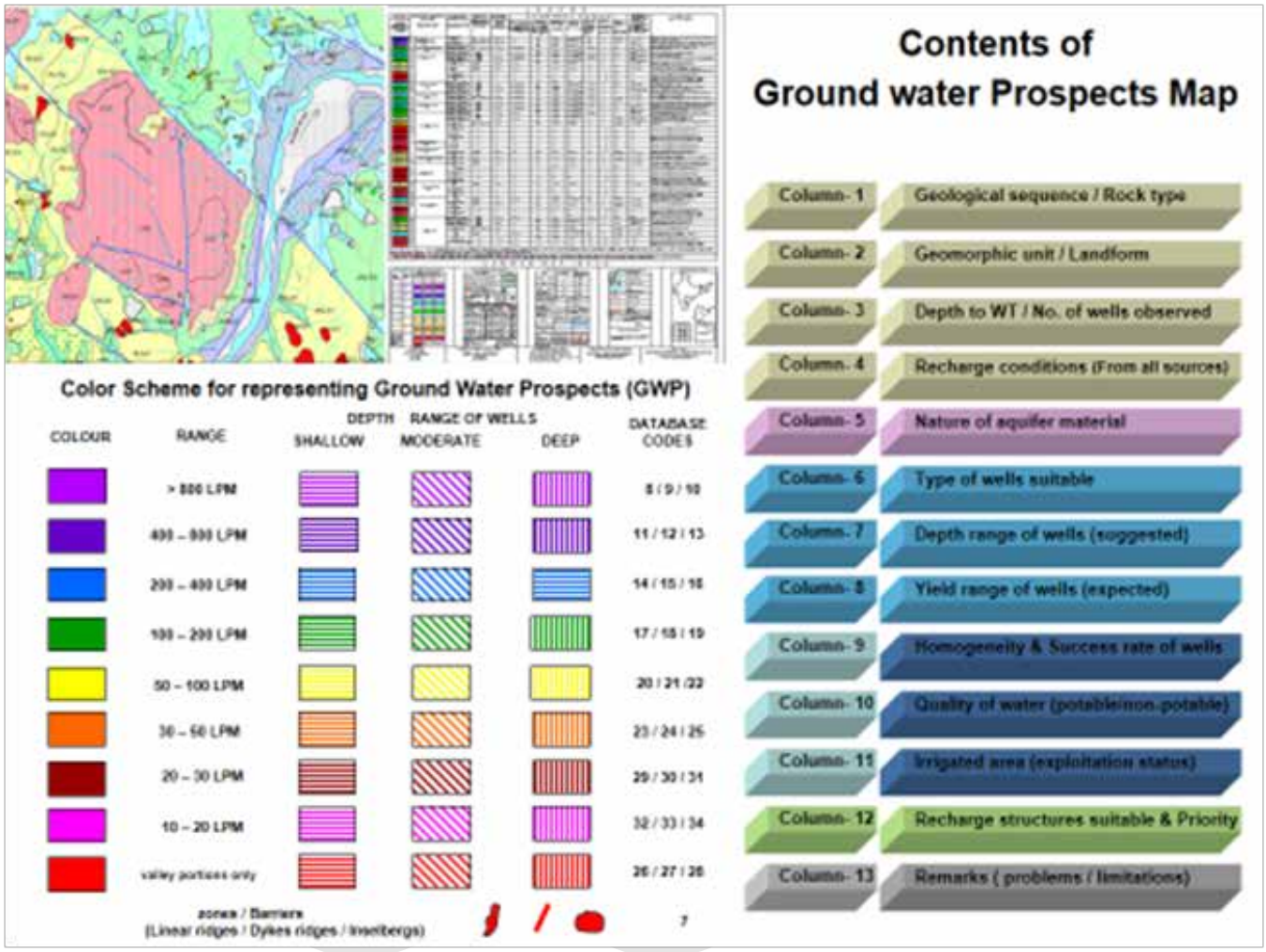

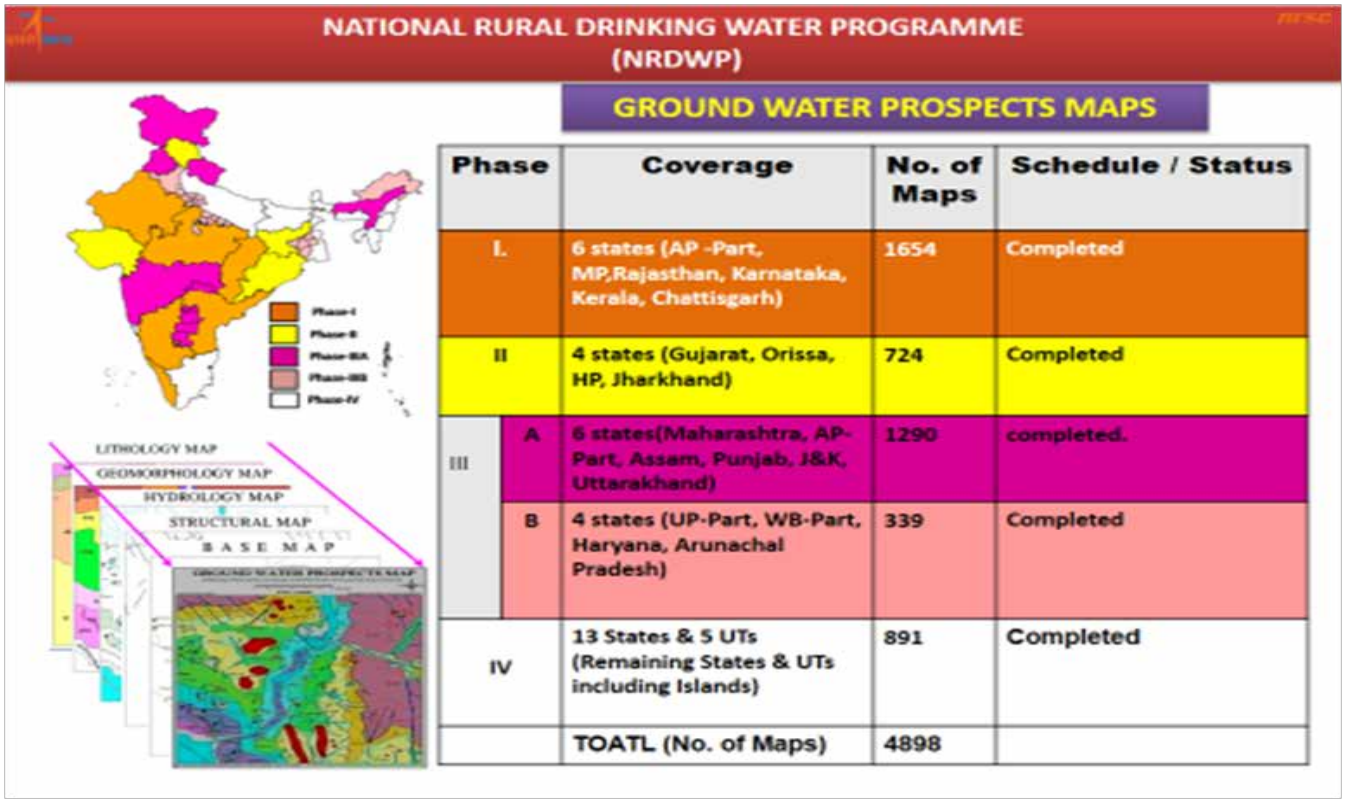

Phase		Coverage	No. of Maps	Schedule / Status
I.		6 states (AP -Part, MP,Rajasthan, Karnataka, Kerala, Chattisgarh)	1654	Completed
II		4 states (Gujarat, Orissa, HP, Jharkhand)	724	Completed
III	A	6 states(Maharashtra, AP-Part, Assam, Punjab, J&K, Uttarakhand)	1290	completed.
	B	4 states (UP-Part, WB-Part, Haryana, Arunachal Pradesh)	339	Completed
IV		13 States & 5 UTs (Remaining States & UTs including Islands)	891	Completed
		TOATL (No. of Maps)	4898	

भूजल संभाव्य नक्शों का विवरण

ये भू–जल संभावित मानचित्र राज्यों को सौंप दिए गए हैं जिससे कि इनकी सहायता से राज्यों में कृत्रिम भू–जल पुनर्भण्डारण के लिए उत्पादन कार्य में सहायक कुओं और स्थाई ढांचों के लिए सही स्थलों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। भू–भौतिकी अध्ययन के साथ इन मानचित्रों के उपयोग से बोरवैल/ट्यूबवैलों के असफल होने की दर में उल्लेखनीय रूप से कमी आयेगी और साथ ही इससे कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक संदूषकों के यथास्थान मिल जाने में भी सहायता मिलेगी।

राज्यों को मानसून पूर्व और मानसून के पश्चात् के मौसमों के दौरान चुने गए एक जैसे जल स्रोतों के लिए प्रत्येक जिले में यादृच्छिक तरीके से किन्तु समरूपों मानदंडों पर जल गुणवत्ता डाटा एकत्रित करने की सलाह दी गई है। तदुपरांत इस डाटा को उनके जीपीएस संयोजकों और ट्यूबवैल की गहराई के साथ भेजने को कहा गया है जिससे कि भू–जल गुणवत्ता जीआईएस परत का एचजीएम मानचित्रों में समावेशन किया जा सके। कई राज्य भूजल गुणवत्ता मैपिंग के आगामी चरणों पर हैं (अर्थात् एचजीएम नक्शों में भू–जल गुणवत्ता लेयर डाल रहे हैं) जबकि कुछ राज्य एनआरएससी को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हैं। संभाव्य नक्शों का निर्माण पूरा हो चुका है और जल गुणवत्ता नक्शों का निर्माण कार्य चल रहा है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने एक्वीफायर मैपिंग और प्रबंधन में जीयो–स्पेशियल तकनीक का संयुक्त रूप से उपयोग करने हेतु दिनॉक 21 सितंबर, 2015 को केंद्रीय भू–जल बोर्ड और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

2.2.7 ग्रामीण पेयजल शुद्धिकरण तकनीकों पर राज्यों के लिए सहायता

मंत्रालय ने ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में अभिनव तकनीकों की सिफारिश हेतु भारत सरकार के अंतर्गत तथा पद्म विभूषण प्रोफेसर आर०ए० माशेलकर, पूर्व डीजी–सीएसआईआर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की है। प्रोफेसर आर. ए. माशेल्कर, पूर्व डीजी– सीएसआईआर की अध्यक्षता में गठित जल एवं स्वच्छता की तकनीकों पर स्थायी समिति द्वारा तकनीकों और नवाचारों को पुनरीक्षित किया गया।

अब तक समिति ने 40 तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया गया है (पेयजल हेतु 30 और स्वच्छता 10)। तथापि, प्रो0 माशेल्कर समिति द्वारा पुनरीक्षित तकनीक राज्यों के लिए सुझाव मात्र हैं क्योंकि तकनीकों को चुनना पूर्णतः राज्य पर निर्भर है।

ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित अद्यतन तकनीकों के साथ राज्य को परिचित कराने के लिए मंत्रालय प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है, जिनका उद्घाटन औपचारिक रूप से माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और माननीय राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता द्वारा किया जाता है।

2.2.8 जापानी एनसेफेलाइटिस ध्उग्र एनसेफेलाइटिस (जेई/एईएस) का न्यूनीकरण

भारत के 17 राज्यों में 171 स्थानिक भारी जिलों से जेई/एईएस की सूचना मिली थी। जापानी एन्सेफलाइटिस/एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम (जेई/एईएस) के निवारण और नियंत्रण संबंध ी राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 60 उच्च प्राथमिकता वाले जेई/एईएस जिलों की पहचान की थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	उच्च प्राथमिकता वाले जेई/एईएस जिलों की संख्या
1	असम	10
2	बिहार	15
3	तमिलनाडु	5
4	उत्तर प्रदेश	20
5	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	**60**

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, एनआरडीडब्ल्यूपी – डब्ल्यूक्यूएमएस निर्धारित निधियों (बैक्टीरियोलॉजीकल) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) द्वारा निर्धारित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के लिए निधियां प्रदान करता है (एनआरडीडब्ल्यूपी का 25% – 5% विशेष जल गुणवत्ता निधि)। शुरू की जाने वाली गतिविधियों को निर्दिष्ट करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश का एक संग्रह भी जारी किया गया है। जेई/एईएस प्रभावित जिलों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान के लिए प्रमुख गतिविधियों को शुरू किए जाने की आवश्यकता है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

1. प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्रोतों का स्वच्छता संबंधी निरीक्षण।
2. हैंड पम्प प्लेटफार्मों को बढ़ाना।
3. हैंड पम्प प्लेटफार्मों और केसिंग पाइप में सभी लीकों और क्रेकों को बंद कर देना।
4. हैंड पम्पों से जुड़े सोकेज पिटों और ड्रेनेज चैनलों को साफ करते हुए उपयुक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।
5. उथले सार्वजनिक हैंड पम्पों के स्थान पर इंडिया मार्क – II हैंड पम्प लगाना।
6. गहरे ट्यूब वैल खोदना, इन्हें 1 हार्स पावर मोटर के साथ ऊर्जा प्रदान करना तथा आस–पास बने स्टैंड पोस्टों (कम से कम चार नलों के साथ) में से जल निकालना और ब्लीचिंग पाउडर मिलाना।
7. सभी सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को विसंक्रमित करना।
8. केवल स्वच्छ पेयजल प्रयोग में लाने हेतु लोगों के बीच जागरूकता सृजित करना तथा जल को उबालकर पीने की आदत डालना।
9. इनके अलावा, राज्यों द्वारा 67 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी – कवरेज एवं गुणवत्ता निधियों के अन्तर्गत दीर्घकालीन स्थायी समाधान के रूप में प्राथमिकता आधार पर वैकल्पिक सुरक्षित सतही जल/भूजल स्रोत से परिवार आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी – डब्ल्यूक्यूएमएस निर्धारित (बैक्टीरियोलॉजिकल) निधियों के उपयोग पर प्रगति की निगरानी करने हेतु अपनी ऑन लाइन आईएमआईएस पर विशेष प्रावधान भी किया है।

मंत्रालय की आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार जेई/एईएस प्रभावित राज्यों को जल गुणवत्ता के लिए चिन्हित (बैक्टेरियोलॉजिकल) निधियों के अंतर्गत जारी किए गए 76.43 करोड़ रुपयों में से राज्यों ने 44.63 करोड़ रुपए (अर्थात् 58.39 प्रतिशत) खर्च कर दिए हैं।

2.2.9 प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन

मंत्रालय ने पेयजल जाँच प्रयोगशालाओं के एनएबीएल (राष्ट्रीय परीक्षण तथा अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) प्रत्यायन के लिए दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को राष्ट्रीय अनुस्थापना कार्यशाला आयोजित की। इसके बाद, एनएबीएल प्रत्यायन हेतु चुने गए पेशेवरों को प्रशिक्षित करने हेतु 4 क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

चिह्नित प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन

चरण–वार तरीके से किया जाएगा। चरण–1 में एनएबीएल प्रत्यायन के लिए विभिन्न राज्यों 30 प्रयोगशालाओं को चिह्नित किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया था कि वे अपनी कम से कम एक प्रयोगशाला का एनएबीएल प्रत्यायन कराएं। उपलब्धियों की समीक्षा के बाद वर्ष 2016–17 के दौरान मंत्रालय ने बड़े राज्यों से अनुरोध किया था कि वे यथाशीघ्र अपनी चार प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन करवाएं और छोटे राज्यों से अनुरोध किया है कि वे यथाशीघ्र दो प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करवाएं ताकि समय के साथ–साथ अन्य प्रयोगशालाओं में इस सफलता को दोहराया जा सके।

आज की तिथि के अनुसार राज्य/जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रत्यायन के लिए राज्यों द्वारा 37 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 23 प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन किया गया है और अन्य 13 प्रयोगशालाओं में कार्य चल रहा है। वर्तमान में दीमापुर जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला के एनएबीएल प्रत्यायन का प्रस्ताव पर रोक लगाया है क्योंकि एनएबीएल द्वारा सुझाव दिए गए एनसी के सुधारात्मक कार्रवाइयों का कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया जा सका है।

एनएबीएल प्रत्यायन के लिए: पंजाब राज्य के एसएएस नगर में अधिकारियों द्वारा प्रयोगशाला के अंतिम मूल्यांकन का दृश्य

2.2.10 सहायक गतिविधियां और मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन ढांचा

2.2.10.1 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाऐं

अनुसंधान एवं विकास सलाहकार समिति (आरडीएसी) की सिफारिशों के आधार पर प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठनों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्वात्त संगठनों को सहायता अनुदान देना संस्वीकृत करके जल एवं स्वच्छता सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान जल एवं स्वच्छता सेक्टर में चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की कुल संख्या इक्कीस (21) और छः (6) थी। पेयजल सेक्टर में पांच (5) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, आठ (8) औपचारिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया में है और शेष आठ (8) कार्यान्वयन अधीन है। स्वच्छता सेक्टर में चार (4) परियोजनाएं बंद होने की प्रक्रिया में हैं और शेष दो (2) कार्यान्वयन अधीन हैं।

2.2.10.2 सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

ग्रामीण भारत में एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत प्रमुख ध्यान उनके परिसर के भीतर संपूर्ण आबादी को पीने योग्य पेयजल प्रदान करना रहा है। पेयजल में विभिन्न संक्रमण के खतरों से लोगों को जागरूक करने, पेयजल के बचत के लाभ और विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए, मंत्रालय द्वारा लोक सेवा प्रसारण आयोजित किया जा रहा है। इन्हें ऑल इंडिया रेडियो और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क, प्राइवेट एफएम चैनलों, दूरदर्शन और इसके क्षेत्रीय चैनलों व प्राइवेट केबल में और सैटेलाइट चैनलों में भी जारी किया जा चुका है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2017 को एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला का फोकस परिवारों के लिए शत प्रतिशत स्थायी नल जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्यनीति तैयार करने पर है।

2.2.10.3 मुख्य संसाधन केंद्र (केआरसी)

मंत्रालय ने जल क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता वाले संस्थानों/संगठनों की पहचान की और उन्हें राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्रों (केआरसी) के रूप में चयनित किया है। राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र (केआरसी) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा के क्षेत्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण, विभिन्न हितधारकों के पुनर्भिविन्यास, ज्ञान और जानकारी के प्रसार में सर्वोत्तम रीतियों के प्रलेखीकरण आदि में सक्रिय मुख्य संस्थान हैं।

केआरसी एनआरडीडब्ल्यू कार्यक्रम के मुद्दों और चुनौतियों पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), संचार एवं क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) और सामुदायिक संगठनों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मुख्य संसाधन केन्द्रों की पहचान ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में संबंधित संस्थानों/संगठनों के राष्ट्रीय आधार, अनुभव, पूर्व कार्य और संलग्नता के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पहचाने जाते हैं।

कुल 52 मुख्य संसाधन केन्द्र पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 11 केआरसी पेयजल के लिए और क्षमता निर्माण के लिए स्वच्छता हेतु और 7 तथा 36 पेयजल एवं स्वच्छता दोनों के लिए काम कर रहे हैं। कुल 29 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 6 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाएं वर्ष 2016–17 में शुरू की गई हैं।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

3 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

3.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

3.1.1 पृष्ठभूमि

सरकार ने भारत में 2 अक्टूबर, 2019 तक हर जगह स्वच्छता लाने, स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने और देश में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शुरू किया। यह कार्यक्रम देश में स्वच्छता और साफ–सफाई की स्थिति में सुधार लाने का सबसे बड़ा अभियान माना जाता है। इस कार्यक्रम की सफलता शौचालयों की मांग सृजित करने पर निर्भर करती है। जिसके परिणामस्वरूप उनका निर्माण और सभी पारिवारिक सदस्यों द्वारा उनका उपयोग संभव हो। इसका उद्देश्य देश के गाँवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परियोजनाएँ आरंभ करके जनता में स्वच्छता के प्रति व्यवहार में परिवर्तन करना और स्वच्छता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवाएँ लेकर, वित्तीय प्रोत्साहन देकर और आयोजना एवं मॉनीटरिंग के

एक कदम स्वच्छता की ओर

लिए सिस्टम और प्रक्रियाएँ बनाकर सहयोग देकर बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन करना है, जिसमें अंतरवैयक्तिक संवाद, कार्यान्वयन और सेवा प्रणाली को ग्राम पंचायत स्तर तक सशक्त बनाना और राज्यों को उनकी स्थानीय संस्कृतियों, प्रथाओं, संवेदनाओं और मांगों के आधार पर प्रणालियों में लचीलापन देना शामिल है। विभिन्न हिस्सेदारों– सरकारी विभागों, सिविल सोसाइटियों, कॉर्पोरेट सेक्टर– के मध्य स्वच्छता को मुख्य धारा में लाने पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है ताकि यह सभी का कार्य और सभी की जिम्मेदारी बने।

माननीय राज्य मंत्री (डीडब्ल्यूएस), श्री रमेश सी. जिगाजिनागी केरल के तिरूवनन्तपुरम में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला में विचार व्यक्त करते हुए, श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव (डीडब्ल्यूएस) और श्री सरस्वती प्रसाद, अवर सचिव तथा अन्य वहाँ उपस्थित थे।

स्वच्छता मुख्यतया एक व्यवहारगत विषय है। इसमें लोगों को खुले में शौच से रोकने और सुरक्षित स्वच्छता रीतियां अपनाने के लिए लोगों की सोच में परिवर्तन लाना शामिल है। चूंकि इसमें समुदाय की भागीदारी और कौशल आवश्यक है, यह प्रक्रिया समय लेती है। ये चुनौतियां अंतर वैयक्तिक संप्रेषण में कार्यान्वयन मशीनरी के रूप में क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी और समूहिक (संपूर्ण गांव) व्यवहारगत परिवर्तन पर निरंतर बल देने, लचीलापन को बढ़ावा देने ताकि राज्य अगुवाई करें और उनके लिए जो भी सर्वाधिक उपयुक्त अप्रोच हो उसे चुने, जिला नेतृत्व का लक्ष्य रखें ताकि कलेक्टर इस कार्यक्रम को सक्रिय रूप से चलाएं जिसमें बच्चों, युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा विश्वासपात्र नेताओं जैसे महत्वपूर्ण प्रेरकों को अग्रणी रखने, प्रौद्योगिकीय नवाचारों को बढ़ावा देने, इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने, निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता के साथ अन्य विकास स्कीमों का विलय करने तथा निष्पादन एवं परिणाम दोनों को मापने के लिए एक ठोस मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली अपनाने से संबंधित हैं।

उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:

- व्यवहारगत परिवर्तन पर बलः समुदाय आधारित सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन का सर्वाधिक उपयोगी अप्रोच के रूप में उल्लेख किया गया है, यद्यपि राज्य स्वयं के लिए सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त अप्रोच का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। केवल वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण पर बल देने की बजाय संपूर्ण खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांव के निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है। इसके लिए वैयक्तिक रूप से लाभार्थियों की बजाय संपूर्ण गांव को अपना व्यवहार परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करना अपरिहार्य है।
- यह कार्यक्रम राज्यों को कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करता है। भारत की विशाल सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए और नवाचारों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से भी यह अत्यावश्यक है।
- क्षमता निर्माण पर व्यापक तौर पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है, विशेषकर सामुदायिक दृष्टिकोण और कार्यक्रम प्रबंधन पर। सभी हिस्सेदारों तक पहुँचने के लिए राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न पहलें की जा रही हैं और चयनित संगठनों (नामतः प्रमुख संसाधन केन्द्रों) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये आगे उप–राज्य स्तर पर प्रशिक्षण चलाएंगे। जिला स्तर के प्रमुख अधिकारी–कलेक्टर को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया जा सके। उन्हें कार्यशालाओं और अनुभव दौरों के माध्यम से सर्वोत्तम रीतियों से अवगत कराया जा रहा

है। देश भर के 450 से अधिक कलेक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। अधिकारियों को प्रवेश स्तर पर ही अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एलबीएसएनएए, मसूरी के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है। आईएएस और अन्य समूह क प्रोबेशनरों को समुदायों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने सहित एसबीएम (जी) के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- क्षेत्र कार्मिकों का सामुदायिक दृष्टिकोण से क्षमता संवर्धन करने के लिए और जमीनी स्तर पर प्रेरकों के समूहों के सृजन के लिए केंद्रीय आभासी प्रशिक्षक द्वारा कई जिलों के लिए आभासी कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जिससे प्रशिक्षित लोगों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है और साथ ही प्रति प्रशिक्षण आवश्यक संसाधन की भी कटौती हो रही है। ये प्रशिक्षण 7 राज्यों में 50 से भी अधिक जिलों में पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।

- इस मिशन को सरकारी विभागों, एनजीओ, कॉर्पोरेटों, युवाओं आदि सहित समाज के सभी वर्गों के सहयोग से जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है।

- समय में कमी लाने एवं जवाबदेही बढ़ाने, दोनों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय क्रियाविधियों को आसान बनाने पर बल दिया गया है।

- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रो. आर.ए. माशेल्कर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति है जो सुरक्षा एवं व्यवहार्यता की दृष्टि से सभी नई प्रौद्योगिकियों की जांच करती है।

- स्वच्छता को समग्र विकास एजेंडा के बीच प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने ओडीएफ गांवों में सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। अन्य विभिन्न विकास स्कीमों का स्वच्छता परिणामों के साथ विलय किया जा रहा है।

- समग्र मिशन के एक हिस्से के रूप में ठोस एवं तरल पदार्थ प्रबंधन पर बल देते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणाली को इस मिशन के समान रूप से प्रमुख घटक के रूप में लागू किया जा रहा है।

- लाभार्थी को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन हस्तांतरण को भारत सरकार द्वारा एक सर्वोत्तम रीति के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

- बेहतर निष्पादन वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने एवं राज्य स्तर पर निधियों की पार्किंग को रोकने के उद्देश्य से, राज्यों को दिए जाने वाले आबंटन को ओडीएफ प्राप्ति और निष्पादन से लिंक किया जा रहा है।

- भारत के प्रत्येक जिले के लिए जिला स्वच्छ भारत प्रेरक नामक एक युवा पेशेवर को नियोजित किया गया है जो कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन और निष्पादन में जिला कलेक्टर की सहायता करेगा। ऐसे 600 प्रेरकों को नियोजित किया गया है और टाटा ट्रस्ट द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित हैं।

- स्वच्छता को प्रत्येक व्यक्ति का कार्य बनाने के प्रयास में 50 से अधिक मंत्रालयों ने अपने वार्षिक बजट के भीतर स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)तैयार किया है ताकि उनके संबंधित सेक्टरों में स्वच्छता को मुख्य धारा में लाया जा सके। प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम दो मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा

मंडी के महिला मंडल द्वारा जिले को ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर किया गया

सितंबर, 2015 में खुले में शौच मुक्त घोषित किए जाने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला अब ओडीएफ प्लस बनने की ओर अग्रसर है जिसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन का प्रभावी प्रबंधन शामिल है, और इसमें शून्य अपशिष्ट का सिद्धांत अपनाया गया है जिसमें अपशिष्ट को घटाया जाता है और रिसाइक्लिंग तथा कंपोस्टिंग को बढ़ाया जाता है।

इस संबंध में, जिला कलेक्टर, संदीप कदम के अनुसार जिला प्रशासन ने महिला समूहों अथवा महिला मंडलों तथा स्वयं सहायता समूहों की सहायता को सूचीबद्ध किया है।

लगभग 4490 महिला समूहों, जिसमें 60,000 से 70,000 महिलाएं हैं, को मंडी विकास अभियान नामक कार्यक्रम में शामिल किया गया है जिसका बल स्वच्छता अभियान (स्वच्छता), बेटी बचाओ (बच्चियों का जन्मोत्सव मनाने) और आपदा प्रबंधन पर बल दिया गया है। जिसमें यह ध्यान दिया जाना है कि जिलें बाढ़, भू–स्खलन, भारी बर्फबारी तथा रोड दुर्घटना वाले क्षेत्र में स्थित है। गतिविधि आधारित यह आदर्श किसी भाषण अथवा क्या करें और क्या न करें के चिह्नांकन से परे है।

डीसी ने बताया ''इसका मूल सिद्धांत है प्रतिदिन दो घंटे सफाई से संबंधित गतिविधियों को देना''। अभियान के अनुसार, सभी महिला मंडलों को प्रति सप्ताह स्वच्छता से जुड़ी एक गतिविधि चलानी है। कार्यों में सार्वजनिक स्थानों की सफाईःसड़क, स्कूल, स्कूली तथा आंगनवाड़ी शौचालय, जल टैंक तथा पारंपरिक जल भंडारों, ड्रेनों की सफाई और तरल अपशिष्ट पदार्थ, कचरे के गड्ढ़ों, वर्मी कंपोस्ट पिट आदि के निपटान हेतु सोक पिट बनाना।

मंडी ने स्वच्छ ग्राम नामक एक सिंद्धांत विकसित किया है। किसी ग्राम पंचायत को स्वच्छ ग्राम बनाने के लिए उसे आठ पूर्वनिर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा जिसमें अन्य कार्यों के साथ–साथ अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट का निपटान; कबाड़ियों की सहायता से गैर–बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट का निपटान; कारों में कूड़ेदान रखने को बढ़ावा देना, सभी शौचालयों की सफाई आदि शामिल है।

मंडी विकास अभियान की शुरुआत से लगभग दो लाख सफाई गतिविधियां चलाई गई हैं और 30000 सोक पिट और 15000 कचरे का गड्ढ़े निर्मित किए गए हैं। इन सभी गतिविधियों के लिए जिला द्वारा लागत पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। जहां जरूरी हो गड्ढ़ा बनाने, सीमेंट और पत्थर ढोने जैसे कार्यों में लोगों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम का उल्लेख करते हुए कदम ने कहा ''यह स्वेच्छा से कार्य करने का अद्भुत प्रदर्शन है''। ध्यान देने की बात है कि उनमें से कई लोगों ने अपने कार्यों में चित्रकारी और सजावट भी प्रदर्शित की जो असीम प्रेरणा का आधार बना। नया पैरा वहां स्थित परिवारों के साथ चर्चा करने पर डीसी को पता चला कि महिला मंडलों की 60–70,000 महिलाओं और उनके परिवारों ने अब गंदगी फैलाना बंद कर दिया है। वे जानते हैं अगर वे गंदगी फैलाएंगे तो उनके परिवार के किसी सदस्य को ही उसे साफ करना होगा। परिणामस्वरूप वे कचरा फेंकने से पहले दो–तीन बार सोचते हैं और यह उनके वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन में परिलक्षित है – यह अभियान की बड़ी उपलब्धि है।

अंततः अभियान का वास्तविक परिणाम सशक्तिकरण है। कदम ने कहा कि यह अभियान महिलाओं को सामाजिक एकजुटता और उनके परिवार के बाहर सामाजिक संवाद का अवसर देता है। संघर्ष से निपटने वाले कई प्रेरणादायक कहानियों को सुनकर उन्होंने कहा कि प्रारंभ में उन्हें अपने परिवार और समाज से काफी संघर्ष करना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, कुछ स्थानों में यह अभियान सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक जंग बन गया है। बनग्रेल चौक पंचायत की घटना को दखें जहां मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को 3–4 दिन अछूत की तरह तबेलों में रहना पड़ता था वहां महिलाओं ने उनके निर्वासन के खिलाफ जंग लड़ी। डीसी ने कहा ''महिलाओं ने उनकी वैयक्तिक साफ–सफाई के खिलाफ निर्भिक होकर आवाज उठाई।

एक अन्य अवसर पर स्वच्छता अभियान शराब के खिलाफ जंग बना। सार्वजनिक स्थानों की दैनिक सफाई के दौरान महिलाओं ने पाया कि एकत्रित कचरे का बहुत बड़ा भाग शराब की बोतलें हैं। इससे सवमाहू ग्राम पंचायत में महिलाओं द्वारा दारू–बंदी अभियान (शराब बंदी) अभियान शुरु हुआ।

पूरी कार्यप्रणाली के दौरान हजारों महिलाएं अद्यतन जानकारी और उत्तम रीतियों को साझा करने के लिए एक ज्ञान नेटवर्क का अंग बन गई। जिला प्रशासन के साथ संवाद के लिए वे मोबाइल पर इंटरनेट और व्हट्सऐप का उपयोग करना सीख गईं। यह विशिष्ट अभियान 'अभियान' से 'आंदोलन' में परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा ''महिलाओं की भागीदारी से स्वच्छता सामाजिक आंदोलन बन गया है''।

मनाते हैं जहां वे स्वच्छता से संबंधित नवीन गतिविधियां चलाते हैं।

- कई अंतर–मंत्रालयी समन्वय किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं :–
  - 'स्वच्छ, स्वस्थ सर्वत्र' के नाम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ ताकि प्रत्येक ओडीएफ ब्लॉक में स्वच्छता के सर्वोच्च स्तरों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाने हेतु ऐसे स्वस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ उनको प्राथमिकता देना।
  - स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण विभाग के साथ मिलकर स्कूली पाठ्यक्रमों तथा सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों में स्वच्छता पर एक अध्याय जोड़ना।
  - युवा मामले तथा खेल मंत्रालय के साथ मिलकर एनसीसी, एनएसएस तथा एनवाईकेएस के युवाओं को स्वच्छता चैंपियनों के रूप में बदलना।
- संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा पीएसयू के साथ मिलकर 100 महत्वपूर्ण स्थानों में सफाई और सुरक्षित स्वच्छता के लिए स्वच्छ महत्वपूर्ण स्थानों (एसआईपी) जैसी विशेष पहल। चरण एक में जिला प्रशासकों, स्थानीय ट्रस्टों तथा विश्व के विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक हेतु विस्तृत कार्य योजना के साथ इनमें से 10 स्थानों पर कार्य प्रारंभ हो गया है।
- गंगा तट पर स्थित सभी गांवों को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक ओडीएफ बनाने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है।

3.1.2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रावधान

आंध प्रवेश में घरेलू शौचालय

एसबीएम (जी) के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :–

- वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का प्रावधानः शौचालय बनाए जाने और प्रयोग करने के बाद बीपीएल परिवारों और गरीबी रेखा से उपर के चिह्नित परिवारों के लिए प्रत्येक शौचालय हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 7200/– रु. और 4800/– रु. का प्रोत्साहन (पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू–कश्मीर और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10800/– रु. और 1200/–रु.)। अन्य एपीएल परिवारों को अपने स्वयं के धन या स्वयं सहायता समूह, बैंकों, सहकारी संस्थाओं आदि से ऋण लेकर शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

- सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण (प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 2 लाख तक)। बंटवारे का स्वरूप 60:30:10 होगा (केंद्रः राज्यः समुदाय)
- अधिकतम 1.5 करोड रुपये की सीमा सहित जिला परियोजना परिव्यय का 5 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के वित्तपोषण सहित परिक्रामी निधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधि। 60:40 के केंद्र और राज्य/ग्राम पंचायत बंटवारे अनुपात पर 150/300/500 और 500 से अधिक घरों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 7/12/15/20 लाख रु की सीमा लागू होगी।
- आईईसी के लिए कुल परियोजना लागत का 8 प्रतिशत प्रावधान केंद्र स्तर पर 3 प्रतिशत और राज्य स्तर पर 5 प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है।
- प्रशासनिक लागत के लिए परियोजना लागत के 2 प्रतिशत का प्रावधान होगा। केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का स्वरूप 60:40 का होगा।

3.1.3 स्वच्छता कवरेज

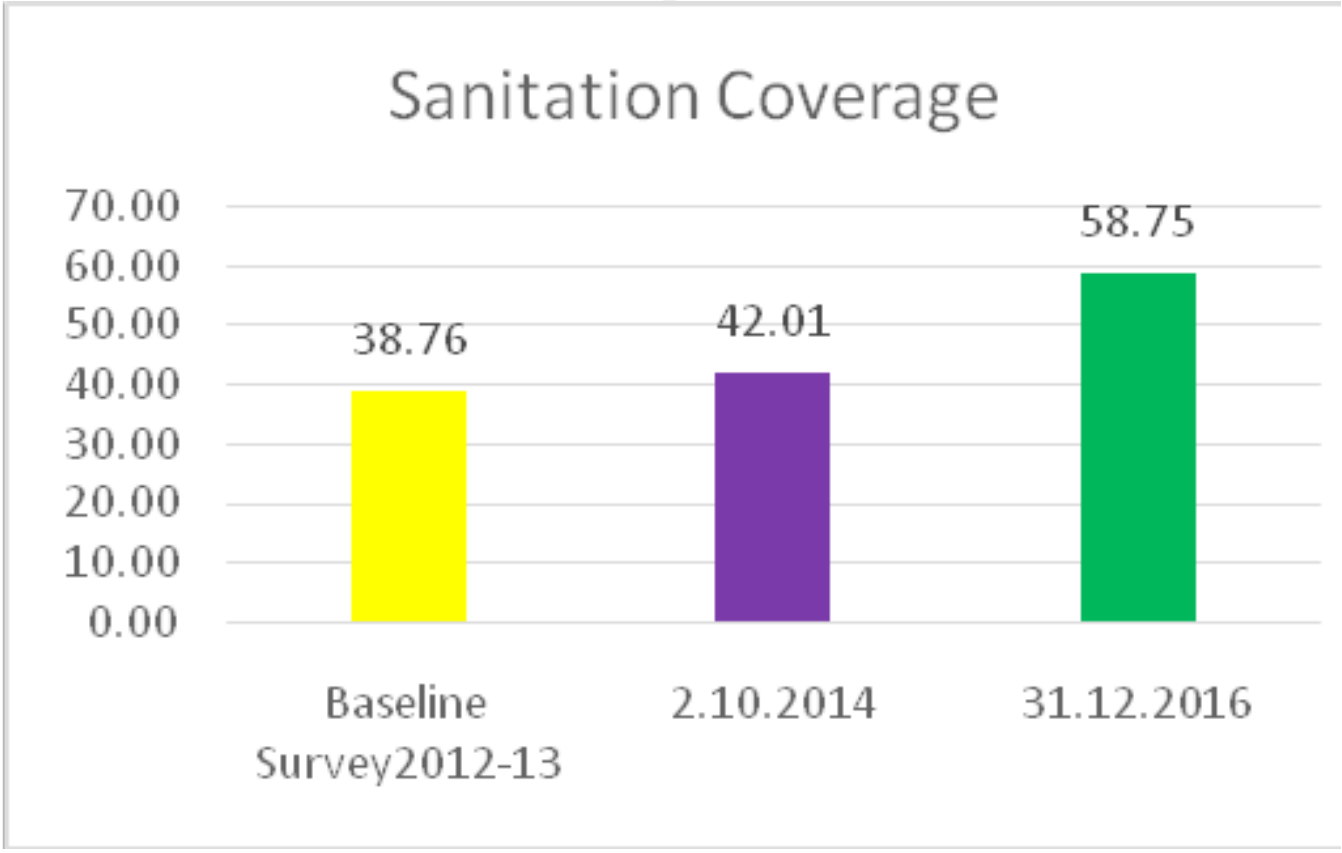

राज्यों द्वारा वर्ष 2012–13 में एक आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसके अनुसार, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.76ः थी। 2 अक्टूबर 2014 को एसबीएम(जी) के शुभारंभ पर, स्वच्छता कवरेज 42.01ःथी। 31.12.2016 तक इसमें 58.75ः तक वृद्धि हुई है। एसबीएम (जी) की शुरूआत से स्वच्छता कवरेज में 16.74ः की वृद्धि हुई है।

31.12.2016 तक राज्य/संघ प्रदेश अनुसार स्वच्छता कवरेज नीचे दी गई है :–

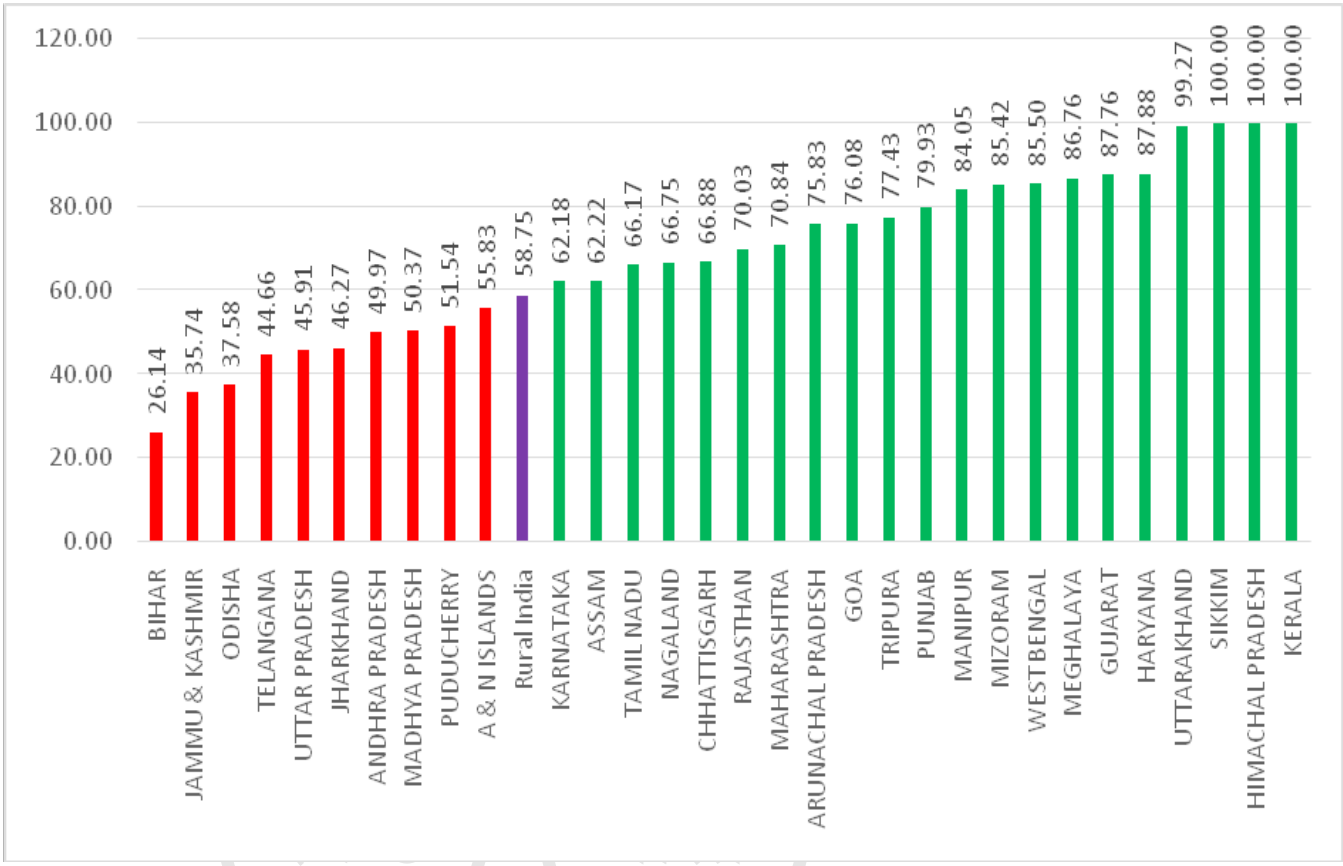

बिहार, जम्मू–कश्मीर, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों पुडुचेरी और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्वच्छता कवरेज राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

एक कदम स्वच्छता की ओर

3.1.4 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट – वास्तविक

वर्ष 2015–16 और 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) में एसबीएम(जी) के तहत आईएचएचएल–बीपीएल, आईएचएचएल–एपीएल, आईएचएचएल– कुल और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण की वार्षिक वास्तविक प्रगति नीचे दी गई है:

वर्ष	आईएचएचएल–बीपीएल	आईएचएचएल–एपीएल	आईएचएचएल–कुल	समुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्स
2015-16	5013160	7649564	12662724	1899
2016-17 (दिसबंर 2016 तक)	5153074	7590387	12743551	1327

राज्य अनुसार विवरण परिशिष्ट **V** और VI में है।

3.1.5 वार्षिक वित्तीय प्रगति

2015–16 और 2016–17 (दिसंबर 2016 तक) में एसबीएम(जी) के तहत फंड की उपलब्धता निम्नानुसार है।

(राशि करोड़ में)

वर्ष	अथशेष	जारी	कुल	व्यय
2015-16	2108.84	6362.96	8468.40	9370.47
2016-17 (दिसंबर 2016 तक)	-886.27	7540.86	6657.17	4760.85

राज्य वार विवरण परिशिष्ट VII और **VIII** में है।

3.1.6 खुले में शौच मुक्त गांव, पंचायत, ब्लॉक तथा जिलः

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने दिनांक 3 सितम्बर 2015 के पत्र संख्या एस–11011/3/2015– एसबीएम द्वारा खुले में शौच स्थिति के सत्यापन पर दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। दिनांक 31 दिसम्बर 2016 की स्थिति के अनुसार ओडीएफ घोषित कुल गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिले निम्नानुसार हैं:

ओडीएफ घोषित गांव	ओडीएफ घोषित ग्राम पंचायत	ओडीएफ घोषित ब्लॉक	ओडीएफ घोषित जिले
138473	61599	790	75

राज्य वार विवरण परिशिष्ट IX पर है।

3.1.7 वर्ष 2016–17 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत की गई महत्वपूर्ण पहलें/ गतिविधियां।

(i) दिनांक 8–9 अप्रैल 2016, उदयपुर में स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण के उन्नयन पर कार्यशाला

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए और स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए दिनांक 8/9 अप्रैल, 2016 को सचिव, एमडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में भारत सरकार और सभी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। यह कार्यशाला एक आयोजनध्स्टॉक टेकिंग कार्यक्रम के रूप में थी जिसमें सचिव/प्रधान सचिव, मिशन निदेशक, 'चैंपियन' और सभी विकास भागीदार एक स्थान पर एकत्रित हुए और 2 अक्टूबर, 2019 तक अथवा उससे पहले स्वच्छ भारत की प्राप्ति पर विचार विमर्श हुआ। कार्यशाला में लगभग 50 व्यक्तियों ने भाग लिया। सचिव, एमडीडब्ल्यूएस ने उद्घाटन भाषण दिया और बताया कि 13 जिले ओडीएफ घोषित हो चुके है, तथापि शेष जिलों में कार्य तेजी लाने की आवश्यकता है। वर्ष 2016–17 में ओडीएफ बनाने हेतु राज्यों ने जिलों को चिन्हित किया। इस बात पर सहमति दी गई कि यदि इन जिलों को पूर्ण सहायता दी जाती है तो उनमें से कई जिले एक वर्ष के भीतर ओडीएफ स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इस बात पर चर्चा की गई कि कार्यनिष्पादन के आधार पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016–17 में ओडीएफ हेतु चिन्हांकित जिलों को प्राथमिकता के आधार पर निधियां उपलब्ध कराने पर राज्यों ने सहमति दी। रूकी हुई निधियों के मुद्दे और वित्तीय नियमितताओं की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

(ii) रायपुर, छत्तीसपढ़ में 1-2 जुलाई, 2016 को चरण-ट के जिलों के लिए राष्ट्रीय सभा

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों के परामर्श से चरण–I अर्थात् अगले वर्ष अथवा वर्तमान वर्ष के भीतर खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने हेतु 171 जिलों की पहचान की है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मंत्रालय जिलों को पूर्ण समर्थन दे रहा है। राज्य अधिकारियों के साथ–साथ इन जिलों के कलेक्टरों के साथ विडियों कांफेरेंस के माध्यम से जिलों के साथ नजदीकी समन्वय स्थापित किया गया। बेहतर समन्वय के लिए इन जिलों को विश्व बैंक, यूनीसेफ आदि जैसे विकास भागीदारों को भी आबंटित किया गया है। इन जिलों को पूर्ण प्रशिक्षिण और वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

इन जिलों को अधिक समर्थ बनाने के लिए रायपुर, छत्तीसगढ़ में 1–2 जुलाई, 2016 को चरण– I के जिलों की एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सभा आयोजित की गई है। सभा का मुख्य उद्देश्य था जिला मजिस्ट्रेट्रो/उप आयुक्तों/सीईओ जिला परिषद के अनुभवों को साझा करना और एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करना। इस अवसर पर भागीदारों ने समीप से छत्तीसगढ़ के समुदाय प्रोत्साहन के मॉडल को देखा। श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव (डीडब्ल्यूएस) ने कहा कि सभा का लक्ष्य एक दूसरे से सीख लेना, सफल मॉडलों पर चर्चा करना और एक दूसरे को प्रेरित करना है। उनके उद्बोधन की मुख्य बातें :

- अब तक, 16 जिले ओडीएफ घोषित हो चुके हैं।
- एसबीएम (जी) का मुख्य घटक ओडीएफ समुदाय गिनना है न कि शौचालय। एक वर्ष के भीतर ओडीएफ बनाने हेतु 171 जिलों को चिन्हित किया गया है।
- मुख्य यह है कि स्थानीय समुदायों, एसएचजी ओर युवाओं को शामिल करके क्षेत्र–स्तरीय प्रेरणा द्वारा सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन किया जाए। मंत्रालय आभासी (वर्चुअल) कक्षाओं द्वारा क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण को बढ़ा रहा है।
- राज्यों और जिलों के साथ श्ओडीएफ शनीवारश वीसी द्वारा गहन मॉनीटरिंग की जा रही है।

(iii) इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में दिनांक 20 अगस्त, 2016 को नमामि गंगे पर ग्राम पंचायतों का सम्मेलन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सहायता से इलाहाबाद में 20 अगस्त, 2016 को ग्राम पंचायतों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्य में गंगा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाना है और इस प्रकार गंगा की सफाई में भागीदारी बनना है। सभी 5 राज्यों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुश्री उमा भारती, जल संसाधन की केन्द्र मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री, आरडी, पीआर और डीडब्ल्यूएस, के श्री

रमेश चंदप्पा जीगाजिनागी राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता, श्री श्यामा चरण गुप्त, सांसद, इलाहाबाद, मंत्री पंचायती राज मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मेलन में हिस्सा लिया और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। श्री परमेश्वरण अय्यर, सचिव (डीडब्ल्यूएस) और केन्द्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरूआत में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर माला अर्पित की गई और एल्फ्रेड पार्क में स्वच्छता शपथ ली गई जिसके बाद नयनी, इलाहाबाद में सम्मेलन शुरू हुआ। सुश्री उमा भारती ने गंगा के वातावरण की संपूर्ण सफाई पर बल दिया जिसमें गंगा तट पर ओडीएफ गांवों का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक है। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि गंगा नदी की सफाई, सबका कर्त्तव्य है और इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। जिन ग्राम पंचायतों ने ओडीएफ प्राप्त कर लिया है उन्हें सम्मेलन के दौरान विशिष्ट सम्मान दिया गया। पंचायतों के सम्मेलन ने ग्राम पंचायत स्तर के एसबीएम और नमामि गंगे कार्यक्रम के नेताओं के बीच संबंधों को सुदृढ़ किया और गंगा तट पर ओडीएफ कार्य पर बल दिया।

(iv) जयपुर में 22 अगस्त 2016 को ओडीएफ सत्यापन और वित्तीय सरलीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (डीडब्ल्यूएस), भारत सरकार द्वारा यूनीसेफ की सहायता से दिनांक 22 अगस्त, 2016 के जयपुर में ओडीएफ सत्यापन और वित्तीय सरलीकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने बैठक की अध्यक्षता की। कार्यशाला का लक्ष्य खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के सत्यापन और वित्तीय सरलीकरण से जुड़े

मुद्दों और उनके नवाचारों पर प्रधान सचिवों, मिशन निदेशकों राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम–जी) राज्य कार्यक्रम अधिकारियों तथा अन्य हिस्सेदारों सहित राज्य के अधिकारियों को उन्मुख करना है। एसबीएम (जी) के अंतर्गत कार्यान्वयन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। राज्यों को सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है अतः सत्यापन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उन्हें उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सरल सत्यापन तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट गया कि ओडीएफ जिले का अर्थ है सत्यापित ओडीएफ गांवों, ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों का समूह। एमडीडब्ल्यूएस के लिए ओडीएफ गांवध ग्राम पंचायत मापने की इकाई है जिसमें ओडीएफ ब्लॉक और जिले सम्मिलित हैं।

(v) 30 सितम्बर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित भारत स्वच्छता सम्मेलन– 2016 (इंडोसैन)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत स्वच्छता सम्मेलन– 2016 (इंडोसैन–2016) आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में मुख्य मंत्रीगण, शहरी विकास एवं स्वच्छता के प्रभारी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों, सभी जिलों के चयनित प्रतिनिधियों, अमृत (AMRUT) सिटी के सभी म्यूनीसिपल आयुक्तों, एनजीओ तथा निजी सेक्टर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वच्छता के प्रति उत्कृष्ट कार्यों के लिए 11 भिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शकों को सम्मानित किया गया।

पिछले दो वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी तथा ग्रामीण प्रगति का ब्यौरा लेने के अलावा वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च राजनैतिक स्तर की प्रतिबद्धता का नवीनीकरण किया गया।

सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि कोई भी व्यक्ति अपने आस–पास गंदगी पसंद नहीं करता, सफाई की आदत विकसित करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बच्चों में सफाई के बारे में सजगता बढ़ती जा रही है। यह दर्शाता है कि स्वच्छता अभियान लोगों के जीवन को छू रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सफाई को बढ़ावा देने के लिए नगरों एवं शहरों के बीच अब एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो रही है।

सकारात्मक भूमिका के लिए मीडिया की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी ने सफाई के कार्य को मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ाया है तो वह है मीडिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सफाई वह चीज नहीं है जिसे बजट आबंटन द्वारा प्राप्त किया जा सके। बल्कि, यह वह चीज है जिसे जन आंदोलन बनना चाहिए।

औपनिवेशिक शासन से हमें मुक्त कराने के लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत को गंदगी एवं खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए स्वाच्छाग्रह की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रियूज और रिसायकलिंग लम्बे समय से हमारी आदत रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसे अधिकाधिक प्रौद्योगिकी आधारित बनाने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी विशेषकर उनको जिन्होंने जन भागीदारी के माध्यम से सफलता प्राप्त की।

पूर्ण दिवसीय इंडोसैन सम्मेलन के दौरान व्यवहारगत परिवर्तन, उत्तम स्वच्छता प्रथाओं, स्वच्छ तकनीकों, स्वच्छ भारत मिशन के वित्त पोषण, समग्र स्वच्छता, 100 महत्वपूर्ण स्थलों की स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिव श्री पी.के. सिन्हा ने श्स्वच्छ भारत मिशन के लिए तालमेल बढ़ाने परश अंतर–मंत्रालयी पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की।

(vi) 09 नवम्बर, 2016 को नई दिल्ली में महिला सम्मेलन

यूनिसेफ के सौजन्य से होटल हयात, नई दिल्ली में 9 नवम्बर, 2016 को एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ श्रीमती सुषमा महाजन, माननीय

अध्यक्ष, लोक सभा ने किया। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता तथा श्री रमेश चंदप्पा जीगाजिनागी, माननीय राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता भी इस अवसर पर उपस्थित थे। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में कार्य कर रही महिला चैंपियनों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन ने महिला चैंपियनों को विभिन्न मुद्दों जैसे महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता में स्वच्छता के महत्व, मासिक धर्म प्रबंधन से जुड़े मुद्दों, नवयुवतियों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं के सम्मुख आने वाले मुद्दे जैसे विभिन्न मुद्दों पर उनके अनुभव साझा करने का एक मंच उपलब्ध हुआ।

(vii) 11 नवम्बर, 2016 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आईईसी परामर्श

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) ने यूनीसेफ की भागीदारी में नई दिल्ली में 11 नवम्बर, 2016 को एक 'राष्ट्रीय आईईसी परामर्श' आयोजित किया। इसमें राज्य प्रधान सचिवों, मिशन निदेशकों (एसबीएम–ग्रामीण), एसबीएम राज्य समन्वयक और राज्य आईईसी परामर्शध्अधिकारी, विकास भागीदारों और राज्य तथा केन्द्र के अन्य संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया। इस परामर्श का उद्देश्य प्रत्येक राज्य के आईईसी परिदृश्य को समझना, उनके दृष्टिकोण, कार्यनीति, अनुभव, उत्तम रीतियों, चुनौतियों और सुझावों को समझना है। परामर्श से आशा है कि वह राज्यों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अतिरिक्त बजट, प्रेरक गतिविधियों, टीम वृद्धि आदि से संबंधित आईईसी के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए आईईसी गतिविधियों के प्रभाव को बढ़ाने हेतु जनमत संग्रह कर वैज्ञानिक तथा प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण बनाने के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध कराएगा।

श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने परामर्श की अध्यक्षता की। उन्होंने उल्लेख किया कि आईईसी एसबीएम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और इसकी सफलता व्यवहारगत परिवर्तन पर निर्भर करती है। उन्होंने राज्यों से कहा कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वे आईईसी में निधियों का सोच विचार कर उपयोग करें। श्री अक्षय राउत, ओएसडी ने राष्ट्रीय आईईसी/बीसीसी आउटलुक को प्रस्तुत किया और अपेक्षित परिणाम हेतु आईएमएफ (सूचना + प्रेरणा + सुविधा) के

महत्व को दर्शाया। आईईसी गतिविधियों के लिए आसानी से उपलब्ध सामान्य (जेनेरिक) विकल्पों की जगह उन्होंने आईईसी मध्यवर्तन हेतु जवाबदेही और वैज्ञानिक आधार पर बल दिया। श्री अरूण बरोका, संयुक्त सचिव (एसबीएम–जी), मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, विकास भागीदारों और आईईसी विशेषज्ञों ने भी अपने विचार प्रकट किए। विभिन्न राज्यों और जिलों द्वारा आईईसी स्थिति रिपोर्ट और सफलता की कहानियां प्रस्तुत की गईं। मिशन के अंतर्गत आईईसी आयोजना के अगले चरण हेतु विचारों को समेकित किया गया।

(viii) 22 नवम्बर, 2016 को नई दिल्ली में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के स्थायित्व पर कार्यशाला

विश्व बैंक के सौजन्य से 22 नवम्बर 2016 को इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली में खुले में शौच (ओडीएफ) स्थिति के स्थायित्व पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी प्रधान सचिवोंध प्रभारी सचिवों, जिला मजिस्ट्रेटों/उप आयुक्तों और विभिन्न स्वच्छता विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला ने ओडीएफ स्थायित्व दिशा–निर्देश हेतु सामग्री उपलब्ध कराई।

(ix) मथुरा में 21 दिसम्बर, 2016 को स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया गया

विश्व बैंक के सहयोग से 21 दिसम्बर, 2016 को होटल बृजवासी लैंड्स इन, मथुरा में स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेतृत्व एवं प्रबंधन सत्र श्री शिव खेड़ा द्वारा किया गया। श्री अक्षय कुमार, निर्माता–अभिनेता के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया गया। श्री अक्षय कुमार स्वच्छता के मुद्दों पर एक फिल्म 'टॉयलेट–एक प्रेम कथा' बना रहे हैं। इस सम्मेलन में लगभग 70 जिला कलेक्टरों/सीईओ जिला परिषद/सीडीओ ने भाग लिया

जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को एक क्षेत्र दौरा भी आयोजित किया गया जहां शौचालय निर्माण का प्रदर्शन किया गया। उपर्युक्त फोटो के स्थान पर निम्न फोटो छापी जाए।

एक कदम स्वच्छता की ओर

3.2 उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गतिविधियां

3.2.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्य निष्पादन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत देश के सभी हिस्सों में ग्रामीण जनसंख्या के लिए शौचालय का प्रावधान किया गया है। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यक्तिगत रूप से परिवारों के लिए शौचालयों के निर्माण को वरीयता दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों में निर्मित व्यक्तिगत परिवारों के लिए शौचालयों के लिए केंद्र और राज्य 90:10 अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

वर्ष 2016–17 के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 1050.00 करोड़ रुपये (10500 करोड़ रुपये के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत) आरक्षित रखे गए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2015–16 और 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) के दौरान वित्तीय और वास्तविक प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

3.2.2 (क) 2015–16 के दौरान वित्तीय स्थिति

उत्तर पूर्वी राज्य में 2015–16 के दौरान वार प्रारंभिक अथशेष, जारी निधियां और व्यय इस प्रकार है:

रुपये करोड़ों में

क्रम संख्या	राज्य	1.4.2015 को आरंभिक शेष	जारी की गई राशि	कुल	खर्च
1	अरूणाचल प्रदेश	5.15	38.71	43.86	29.22
2	असम	170.96	474.27	645.23	484.35
3	मणिपुर	4.63	44.19	48.81	53.48
4	मेघालय	37.75	35.65	73.40	56.13
5	मिजोरम	6.99	3.32	10.31	6.66
6	नागालैंड	19.99	10.83	30.82	28.10
7	सिक्किम	4.93	6.12	11.05	5.90
8	त्रिपुरा	49.76	38.89	88.66	52.89
		300.15	**651.99**	**952.14**	**716.73**

3.2.2 (ख) 2016–17 के दौरान वित्तीय स्थिति (दिसम्बर 2016 तक)

2016–17 (31–12–2016 तक) के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में आरंभिक शेष, जारी निधियां और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

रुपये करोड़ों में

क्रम संख्या	राज्य	1.4.2016 को आरंभिक शेष	जारी की गई राशि	कुल	खर्च
1	अरुणाचल प्रदेश	14.66	23.98	38.65	13.15
2	असम	161.11	240.00	401.14	187.69
3	मणिपुर	-4.66	27.28	22.61	3.45
4	मेघालय	17.28	75.70	92.98	24.85
5	मिजोरम	3.64	10.98	14.62	1.89
6	नागालैंड	3.02	32.06	35.18	2.02
7	सिक्किम	5.15	7.04	12.19	1.09
8	त्रिपुरा	36.07	24.98	61.06	7.21
कुल रू.		**236.27**	**442.02**	**678.43**	**241.35**

3.2.3 (क) वास्तविक प्रगतिः 2015–16

क्रम संख्या	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता कॉम्पलेक्स
1	अरूणाचल प्रदेश	15159	3974	19133	221
2	असम	83811	381726	465537	52
3	मणिपुर	18250	29276	47526	6
4	मेघालय	26243	17886	44129	100
5	मिजोरम	3361	2139	5500	12
6	नागालैंड	21240	1377	22617	164
7	सिक्किम	3639	68	3707	42
8	त्रिपुरा	13665	47487	61152	30
	कुल	**185368**	**483933**	**669301**	**627**

3.2.3 (ख) वास्तविक प्रगतिः 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता कॉम्पलेक्स
1	अरूणाचल प्रदेश	11560	2134	13694	66
2	असम	62705	385516	448221	48
3	मणिपुर	12518	17958	30476	0
4	मेघालय	17081	9963	27044	15
5	मिजोरम	1555	738	2293	9
6	नागालैंड	1754	152	1906	7
7	सिक्किम	0	0	0	0
8	त्रिपुरा	18492	10154	28646	17
Total :-		125665	426615	552280	162

3.3 अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप योजना (टीएसपी)

3.3.1 एससी और एसटी के लिए प्रावधान

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य 2 अक्तूबर 2019 तक पूरे ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना है। इसमें पूरी ग्रामीण जनसंख्या के लिए शौचालयों का निर्माण करना शामिल है। अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान करना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वरीयता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन देने के प्रावधान को विस्तृत किया गया है, जिसमें 1.4.2012 से एससी और एसटी वर्गों से संबंध रखने वाले गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों को भी शामिल किया गया है।

2011 से कुल आबंटन का 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए रखा गया और 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति योजना (टीएसपी) के लिए रखा गया है।

2016–17 के लिए 2310 करोड़ रुपये (10500 करोड़ रुपये का कुल 22 प्रतिशत आबंटन) एससी के लिए आबंटित किया गया है और 1050 करोड़ (10500 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत आबंटन) एसटी के लिए आबंटित किया गया है। इसमें से, एससीएसपी के अंतर्गत 1556.52 करोड़ रुपये को पहले ही राज्यों को जारी कर दिया गया है, जबकि दिसम्बर 2016 तक 677. 16 करोड़ रुपये पहले ही टीएसपी के अंतर्गत राज्यों को जारी कर दिए गए हैं।

एसबीएम (जी) के अंतर्गत एससी/एसटी के लिए हुई प्रगति को ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के द्वारा निगरानी की जा रही है। दिसम्बर 2016 तक 2016–17 के दौरान कुल 127.43 लाख व्यक्तिगत परिवारों के लिए निर्मित शौचालयों में से 21.60 लाख (16.95 प्रतिशत) आईएचएचएल एससी परिवारों के हैं और 20.77 लाख (16.30 प्रतिशत) आईएचएचएल एसटी परिवारों के हैं। राज्य अनुसार विवरण परिशिष्ट–X में दिया गया है।

3.4 व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण (बीसीसी)

3.4.1 व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक है जो कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए आधार का निर्माण करता है। यह लोगों को अपनी भूमिकाएं, उत्तरदायित्व और उत्तम स्वच्छता रीतियों में निवेश करने के लाभों के बारे में महसूस कराने के लिए लोगों को सूचना प्रदान करने, शिक्षित करने एवं उन्हें राजी करने हेतु एक मंच का काम करता है। प्रभाव उत्पन्न करने का सर्वोत्तम तरीका समग्र दृष्टिकोण रहा है जो सहभागिता प्रविधियों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाता है, जो समुदाय के सदस्यों को उनकी स्वच्छता स्थिति के संबंध में जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। समुदाय स्तर पर संप्रेषण का अनुपूरण एक मास मीडिया पहल द्वारा किया जा सकता है जो खुले में शौच के संबंध में सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने एवं पर्यावरण निर्माण तथा अनुस्मारक संवादों के माध्यम से एक स्वच्छ पर्यावरण कायम रखने पर बल देता है।

3.4.2 मंत्रालय ने ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता सुविधाओं की मांग के सृजन और स्वच्छ पर्यावरण के लिए आईईसी कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को एक विस्तृत ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वच्छता, हाइजिन एवं संप्रेषण रणनीति (एसएचएसीएस) तैयार की है। क्षमता निर्माण के लिए 2 प्रतिशत सहित प्रत्येक जिला परियोजना परिव्यय का 15 प्रतिशत आईईसी कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसका लक्ष्य प्रभावी मांग के सृजन, उपयोग को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक रूप से वांछित व्यवहार को जारी रखना है। एसएचएसीएस का बल अंतर वैयक्तिक संप्रेषण (आईपीसी) पर है जिस पर आईईसी निधियों का 60 प्रतिशत व्यय किया जाना प्रस्तावित है। तकनीकी संप्रेषण के रूप में सीएलटीएस प्रशिक्षण और व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत बल के रूप में प्रेरकों के एक कैडर को एसबीएम संदर्भ में आईईसी के प्रमुख घटकों के रूप में देखा जाता है। आईईसी के कार्यान्वयन में दृष्टिकोण स्थानीय विशिष्ट नवाचार, सामुदायिक भागीदारी की उच्च रेंज, इंट्रास्टेट और इंटरनेट प्रशिक्षण और उत्तम रीतियों को दोहराना रहा है।

3.4.3 नियमित सफाई अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। दृश्य–श्रवय (टीवी) और श्रव्य (रेडियो) का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विशाल मीडिया अभियान आयोजित किए गए हैं। जीवन के अलग–अलग क्षेत्रों से अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों और आइकॉन के अतिरिक्त की अमिताभ बच्चन और श्री सचिन तेंदुलकर को इस अभियान में शामिल किया गया है। सोशल मीडिया का

विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा रहा है। हाइक ऐप पर एक राष्ट्रीय स्वच्छ भारत ग्रुप है जिसमें सभी राज्यों और चयनित जिलों से प्रतिनिधि हैं। देश भर में जमीनी स्तर पर हो रही घटनाओं को दैनिक आधार पर साझा किया जा रहा है। यह मंत्रालय सामाजिक मिडिया प्लेटफार्मों जैसे ट्विटर हैंडल (@swachbharat) और फेसबुक (facebook.com/sbmgramin) और यूटयूब (tinyurl.com/sbmgramin) का सक्रिय रूप से उपयोग करता है। मंत्रालय की वेबसाइट (www.mdws.gov.in) को सर्वोत्तम रीतियों की वास्तविक क्रॉस शेयरिंग के लिए एक माध्यम के रूप में अपग्रेड किया गया है। राष्ट्रीय आईईसी परामर्श और अन्य कार्यशालाओं के माध्यम से, आईईसी हस्तक्षेपों और इस प्रयोजनार्थ निधियों से लाभ को अधिकतम बनाने के प्रयास किए गए हैं। कार्पोरेट, सिविल सोसायटी संगठन और अन्य मंत्रालय एवं विभाग भी एसबीएम जागरूकता प्रयासों में अच्छी संख्या में शामिल हुए हैं।

3.5 अंतर मंत्रालयी एवं अंतर-क्षेत्रीय सहयोग

3.5.1 स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल (एसआईपी)

वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति के लिए सरकार के प्रयास के हिस्से के रूप में और माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल (एसआईपी) नामक एक कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 100 ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों की सफाई के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाली मल्टी स्टेकहोल्डर पहल का समन्वय कर रहा है।

आरंभ में, इस पहल को दस स्थलों पर कार्यान्वित किया जा रहा है। ये हैः वैष्णो देवी

(जेएंडके), छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई (महाराष्ट्र), ताजमहल (उत्तर प्रदेश), मणिकर्निका घाट, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), तिरूपति मंदिर (आंध्र प्रदेश), स्वर्ण मंदिर (पंजाब), अजमेर शरीफ (राजस्थान), मीनाक्षी मंदिर (तमिलनाडु), कामाख्या मंदिर (असम) और जगन्नाथ पुरी (ओडिशा)। इन प्रसिद्ध स्थलों पर सफाई और सुरक्षित स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए शहरी–विकास, संस्कृति और पर्यटन जैसे मंत्रालयों के साथ तालमेल किया जा रहा है। विश्व बैंक से एक तकनीकी विशेषज्ञता का अवयव प्राप्त कर लिया गया है। एमडीडब्ल्यूएस, इन प्रत्येक प्रसिद्ध स्थल के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रालय में और राज्य स्तर पर कार्यशालाओं, बैठकों और परामर्श सत्रों के माध्यम से स्टोहल्डरों के साथ निरंतर समन्वय कर रहा है। दस चिन्हित पीएसयू, अपने सीएसआर के जरिए विभिन्न स्थानों पर इन कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

3.5.2 नमामि गंगे

नमामि गंगे एक संयुक्त कार्यक्रम (Umbrella program) है जिसका समन्वय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय करता है। इस कार्यक्रम में कई मंत्रालय, मुख्यतः शहरी विकास मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल हैं (क्योंकि स्रोत प्रदूषण को रोकना और औद्योगिक प्रदूषण को रोकना प्रमुख घटक है)। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एक प्रमुख भूमिका है गंगा किनारे वाले गांवों को प्राथमिकता देना और उन्हें एसबीएम (जी) के हिस्से के रूप में खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए राज्यों के साथ काम करना। इस कार्यक्रम में एमओडब्ल्यूआर की सहायता से इन गांवों में अपेक्षित परिमाण में एसएलडब्ल्यूएम कार्य भी किए जाएंगे।

गंगा के तटवर्ती 5 राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में **52 जिलों के 251 ब्लॉक में 1651 जीपी** को गंगा नदी के समीपवर्ती माना गया है। इन जीपी में कुल **5169** गांव है जिसमें से **4282** गांव ठीक गंगा किनारे बसे हैं जिन्हें ओडीएफ स्थिति प्रापत करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। राज्यों द्वारा 2012–13 में कराए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार, इन जीपी में **15,18,649** परिवारों के पास शौचालय नहीं है। इनमें से कुल **830393 (54.68%)** वैयक्तिक शौचालय 31.12.2016 तक निर्मित किए गए हैं। जहां तक ओडीएफ प्राप्ति का संबंध है, 4282 गांवों में से,

2658 (62.07%) गांव ओडीएफ हैं। इसके अलावा, **10 जिलों** में, गंगा किनारे सभी गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है। राज्य, इन गांवों को **मार्च, 2017** तक ओडीएफ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एमडीडब्ल्यूएस को इस काम के लिए **1421.26** करोड़ रु. की जरूरत है। अब तक **578** करोड़ रु. एमडीडब्ल्यूएस को हस्तांतरित किए गए हैं जो आगे इन पांच राज्यों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

काम में तेजी लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:

- इस काम को प्राथमिकता देने के लिए, एमडीडब्ल्यूएस ने एक नोडल अधिकारी (ओडीएफ) को नामित किया है।
- युवा कार्य विभाग और नेहरु युवा केन्द्रों के सहयोग के माध्यम से युवाओं को नमामि गंगे में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है।
- क्षमता निर्माण
- इन जिलों के कलेक्टरों को भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। 52 जिलों में से, अब तक 42 जिलों के कलेक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और शेष को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता दी जा रही है।
- इन जिलों को वर्चुअल शिक्षण कक्ष के माध्यम से समुदाय संचालित पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) में आगे और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए वर्चुअल क्लास रूम प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं।
- नियमित वीडियो कांफ्रेंस और फील्ड दौरों के माध्यम से इन राज्यों और जिलों के साथ समन्वय
- इन जिलों की निकट सहायता के लिए विश्व बैंक, यूनिसेफ आदि जैसे विकास के हिस्सेदारों के साथ भी सहयोग किया जाता है।
- ओडीएफ कार्यान्वयन उचित गुणवत्ता का हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन की एक बहुल प्रणाली आरंभ की गई है।
- जिन राज्यों ने नमामि गंगे गांवों में ओडीएफ प्राप्त कर लिया है, उनसे एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं पर बल देने के लिए कहा जा रहा है।
- इष्टतम समन्वय के लिए एमओडब्ल्यूआर के वरिष्ठतम स्तरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

3.5.3 स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी)

प्रधान मंत्री के विजन के अनुरूप, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति (सीओएस) ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2016 को सिफारिश की कि प्रत्येक मंत्रालय के लिए स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी) तैयार किए जाने की जरूरत है। इस कवायद का मूल उद्देश्य स्वच्छता को मंत्रालय के मुख्य कार्यकलापों के साथ एकीकृत करना और बजट लाइन के साथ इन मंत्रालयों की स्वच्छता संबंधित स्कीमों और योजनाओं को दीर्घकालीन आयोजना और कार्यान्वयन प्रदान करना है। एमडीडब्ल्यूएस द्वारा एक विस्तृत कवायद की गई जहां पांच टीमों ने इन एसएपी को तैयार करने में सहायता देने के लिए लगभग 50 मंत्रालयों का दौरा किया। एसएपी को तैयार करने की निगरानी एमडीडब्ल्यूएस द्वारा की गई और बाद में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त 50 एसएपी सचिवों की समिति को भेजा गया जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी) में उपयुक्त बजट प्रस्ताव थे।
- प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ने दो वर्षों के लिए

स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और एसएपी को तदनुसार तैयार किया गया है।

- निर्धारित बजट प्रावधानों के साथ प्रत्येक मंत्रालय की स्कीमों/परियोजनाओं में स्वच्छता तत्वों को निन्हित किया गया है।

मंत्रालयों ने अपनी कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने में गहरी रूचि और उत्साह दिखाया है। एसएपी में शामिल अधिकांश कार्यकलाप नवाचारी हैं और सीओएस से आगे और इनपुट प्राप्त होने के बाद, इस मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई योजनाओं को आगे और बेहतर बनाने के लिए और उनके द्वारा अपनी कार्रवाई योजनाओं में उल्लिखित कार्यकलापों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। स्वच्छता कार्रवाई योजना में, सरकार के कामकाज के सभी पहलुओं में स्वच्छता को पूर्ण रूप से मुख्य धारा में लाने की क्षमता है और इसमें स्वच्छता प्रयासों की एक रेंज की संभावना मौजूद है।

3.5.4 स्वच्छता पखवाड़ा (एसपी)

स्वच्छता पखवाड़ा पहल की परिकल्पना प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी क्षेत्र द्वारा उदाहरण बनकर अगुवाई करने के साथ, वर्ष भर जारी रहने वाले स्वच्छ भारत मिशन के जोश को बनाए रखने के लिए की गई थी। यह पहल अप्रैल, 2016 में आरंभ की गई और जून, 2016 में इसका पुनरुद्वार किया गया। पुनरुद्वार के बाद पखवाड़ा कैलेन्डर को तर्काधार दिया गया, मंत्रालयों द्वारा आयोजित कार्यकलापों की गुणवत्ता में अपग्रेड और किए जाने वाले कार्यकलापों का उच्चतर प्रसार किया गया।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीड. ब्ल्यूएस), स्वच्छता पखवाड़ा के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नवाचारी कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सफा. ई अभियानों की पहुंच मंत्रालय सचिवालयों के गलियारों के बाहर तक हो। पखवाड़ा मनाने वाले मंत्रालयों की निगरानी स्वच्छ. ता समीक्षा की ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए की जाती है, जहां स्वच्छता कार्यकलापों से संबंधित कार्रवाई योजनाओं, इमेजों, वीडियो को अपलोड और शेयर किए जाते हैं। हाल में, स्वच्छता समीक्षा को My gov. पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया जिसने पखवाड़ा कार्यकलापों की दृश्यता को और बढ़ा दिया। पखवाड़ा मनाने वाले मंत्रालयों के ट्विटर, फेसबुक पृष्ठों जैसे सोशल मीडिया आउटलेट्स के साथ–साथ मंत्रियों एवं सचिवों द्वारा आयो. जित प्रेस कांफ्रेंसों के जरिए की पखवाड़ा पहल का प्रसार किया जाता है। पखवाड़े के अंत में एक रिपोर्ट प्रत्येक महीने मंत्रिमंडल सचिव को भेजी जाती है जो समय–समय पर कार्यान्वयन की समीक्षा करते रहते हैं।

मंत्रालयों को समेकित अनुदेशों के सेट के साथ वर्ष, 2017 (जनवरी–दिसंबर) के लिए पखवाड़ा कैलेंडर आरंभ किया जा चुका है। मंत्रालयों द्वारा अपलोड किए गए एक्शन प्लान से परिलक्षित होता है कि स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान किए गए कार्यकलाप की पैन इंडिया कवरेज है और मंत्रालयों द्वारा अपने सफाई पखवाड़े के दौरान जनता तक पहुंचने के लिए प्रयास किए जाते हैं। सभी प्रतिभागी मंत्रालयों द्वारा एक सिलसिले–वार प्रयास और सभी सीनियर फॉर्मेशनों की भागीदारी इस पखवाड़े के आयोजन में दृष्टि गोचर होती है। सचिव एमडीडब्ल्यूएस और ओएसडी, एमडीडब्ल्यूएस स्वच्छता पखवाड़ा

के सफल कार्यान्वयन के लिए निरंतर निगरानी करते हैं और अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करते हैं।

3.5.5 जिला स्वच्छ भारत प्रेरक (जेडएसबीपी)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन के लिए समग्र समन्वयक मंत्रालय के रूप में और एसबीएम–जी के अधिशासी मंत्रालय के रूप में अपनी दोहरी भूमिका में, इस मिशन को एक जन आंदोलन के रूप में रूपांतरित करने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश में सभी ऊर्जाओं और संसाधनों का सदुपयोग कर रहा है।

चूंकि जिले और राज्य ओडीएफ बनने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं उन्हें निरंतर सहायता की जरूरत है। जिलों में क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण में मदद करने तथा उन्हें तकनीकी और प्रबंधन सहायता देने के उद्देश्य से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट की साझेदारी से देश भर में प्रत्येक जिले में जिला स्वच्छ भारत प्रेरक (जेडएसबीपी) के रूप में काम करने के लिए कुशल युवा पेशेवरों के एक कैडर की पेशकश करने का निर्णय लिया है जिसके लिए राज्य सरकार अथवा जिले को कोई लागत नहीं देनी पड़ेगी।

इन युवा जेडएसबीपी की भूमिका विभिन्न एसबीएम–जी संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करते हुए एसबीएम–जी का कार्यान्वयन करने के लिए जिला अधिकारियों की सहायता करने की होगी। वे एसबीएम–जी कार्यान्वयन के संबंध में कलेक्टर/सीईओ/सीडीओ/डीडीओ के लिए मुख्य कार्मिक होंगे। इस

मिशन में स्मार्ट माइंड को नियुक्त करने के विस्तृत लाभों के अतिरिक्त, इससे कार्यक्रम में युवाओं का संगठित भागीदारी सुनिश्चित होगी और मिशन को नए विचार, ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होगा और एक ओडीएफ भारत की ओर गति में तेजी आएगी। इन कार्मिकों को लगभग तीन महीने की अवधि में तीन चरणों में तैनात किया जाएगा। अपना–अपना कार्य संभालने से पहले उनको एसबीएम संबंधित मुद्दों, विशेषकर सामुदायिक दृष्टिकोण और व्यवहारगत परिवर्तन आदि पर समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस पहल को दिनांक 16 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में आरडी, पीआर और डीडब्ल्यूएस मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अध्यक्ष टाटा ट्रस्ट श्री रतन टाटा, सीईओ नीति आयोग श्री अमिताभ कांत सचिव, एमडब्ल्यूसीडी श्रीमती लीना नायर और सचिव, एमडीडब्ल्यूएस श्री परमेश्वरन अय्यर उपस्थिति में अधिकारिक रूप से आरंभ किया गया। कॉर्पोरेट दुनिया के प्रमुख एसबीएम स्टेकहोल्डरों, राज्यों और जिलों, विकास के हिस्सेदारों और मीडिया ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।.

3.5.6 स्वच्छ भारत सर्वत्र (एसएसएस)

स्वच्छ भारत सर्वत्र (एसएसएस) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण मंत्रालय के बीच एक इंटर–यूनियन मिनिस्ट्रियल संयुक्त पहल है जिसे 29 दि. संबर, 2016 को नई दिल्ली में आरंभ किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री जे.पी. नड्डा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अन्य गणमान्य व्यक्तियों और जमीनी स्तर के नेताओं के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जिन्होंने सुशासन दिवस, 2016 मनाया। 'स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र की पहल का उद्देश्य पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वो अनुपूरक कार्यक्रमों – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और कायाकल्प की उपलब्धियों में सहायता प्रदान करना है। इस अवसर पर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक और संयुक्त पहल 'स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत' भी आरंभ किया गया। 700 से अधिक ओडीएफ ब्लॉकों में चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 लाख रु. दिए जाएंगे ताकि वे स्वच्छता पैरामीटर के उच्चतर स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकें। एमडीडब्ल्यूएस उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिक देगा जिसमें जिला स्तरीय पुरस्कार जीतने वाले 670 पीएचसी को वित्तीय वर्ष 2017–18 में खुले में शौच मुक्त स्थिति प्र. ाप्त करने के लिए चुना जाएगा। एमडीड. ब्ल्यूएस यूनिसेफ सहायता के जरिए उपर्युक्त दो श्रेणियों से लगभग 1400 स्वास्थ्य अधि ाकारियों (सीएचसी/पीएचसी) का प्रशिक्षण भी आयोजित करेगा।

3.6 एसबीएम (जी) का अन्य स्कीमों के साथ विलय

एसबीएम (जी) के अंतर्गत यह परिकल्पित किया गया है कि स्वच्छता कार्यक्रम को एक अभियान रूप में कार्यान्वित किया जाएगा ताकि खुले में शौच मुक्त गांवों के सृजन के उद्देश्य से संतृप्त परिण ामों के लिए संपूर्ण समुदाय को कवर किया जा सके। इस नए दृष्टिकोण में इसकी पहचान की

गई है कि स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान के कई आयाम होते हैं जो विविध प्रौद्योगिकीय विकल्पों से स्वच्छता अवसंरचना के सृजन से लेकर गहन आईईसी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के जरिए शौचालय की मांग के सृजन के लिए समुदायों को प्रेरित करने जैसे सॉफ्टवेयर कार्यकलाप तक है। भारत सरकार ओडीएफ गांवों में सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को प्राथमिकता देने के लिए एक निर्णय पहले ही ले चुकी है। इसी प्रकार राज्य सरकार ओडीएफ गांव में राज्य सरकार की स्कीमों को प्राथमिकता देने के लिए नीतिगत निर्णय ले सकती है।

शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्रिय भागीदारी अति आवश्यक है। स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालयों के रखरखाव के बारे में ग्राम शिक्षा समिति और पैरेन्ट टीचर एसोसिएशन की बैठकों में नियमित चर्चाएं तथा ओडीएफ कार्यकलापों को बनाए रखने के लिए स्कूलों में शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ नियमित चर्चा से प्रभावी स्थायी दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

जिला प्रशासन उन निगरानी समितियों/नेचुरल लीडरों/पंचायत के प्रतिनिधियों जिन्होंने गांव को ओडीएफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, के साथ नियमित बैठकों का आयोजन करता है, उन्हें विभिन्न विकासात्मक कार्याकलापों में शामिल करता है, स्वच्छता चैंपियनों को सार्वजनिक रूप से बधाई देना और ओडीएफ स्थिति को निरंतर बनाए रखने वाले गांवों के लिए पुरस्कार स्कीमें शुरु करना एक स्थायी ओडीएफ समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, कार्य करता है।

3.6.1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस)

सुरक्षित पेयजल, उत्तम स्वच्छता और बाल स्वास्थ्य के बीच नजदीकी संबंधों पर विचार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एमडब्ल्यू एंड सीडी तथा एमडीडब्ल्यूएस के कार्यक्रमों के अंतर–क्षेत्रीय विलय के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।

दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 के एसबीएम (जी) आरंभ होने के साथ, एमडब्ल्यू एंड सीडी द्वारा आंगनवाड़ी

माननीय राज्य मंत्री (डीडब्ल्यूएस) श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी स्कूल के बच्चों के साथ सुरक्षित स्वच्छता एवं साफ–सफाई की प्रक्रियाओं पर बात–चीत करते हुए।

शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें आंगनवाड़ी सेविकाध हेल्पर प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।

मननीय राज्य मंत्री (डीडब्ल्यूएस) श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी स्कूल के बच्चों के साथ सुरक्षित स्वच्छता एवं साफ–सफाई की प्रक्रियाओं पर बात–चीत करते हुए

3.6.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी) के साथ विलय के क्षेत्र

एमडीडब्ल्यूएस ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के साथ विलय की पहल आरंभ की है।

एसबीएम (जी) के घटकों में, जहां भी व्यवहार्य हो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम (एमजीएनआरबीएस) के साथ विलय रूप में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन शामिल हैं। मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसार एमजीएनआरईजीएसध्आईएवाई के अंतर्गत 2 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जाएगा। एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत दिसम्बर, 2016 तक केवल 15.81 लाख शौचालय ही बनाए जा सके हैं।

3.6.3 एनआरडीडब्ल्यूपी के साथ विलय

मेघालय का उम्थली गांव सामुदायिक सफाई पर बल देता है

शनिवार सुबह के 7 बजे हैं और अलार्म बज रहा है। यह साधारण अलार्म नहीं है। यह एक विशेष ट्यून के साथ एक वेकअप कॉल है जो सार्वजनिक संबोधन सिस्टम पर बनाया जाता है। यह मेघालय के ईस्ट खासी हिल जिले में स्थित उम्थली गांव (खात्रासनोंग लायतक्रोह ब्लॉक) के निवासियों के लिए एक काल है। यह ट्यून सम्पूर्ण समुदाय को एक घंटे चलने वाली साप्ताहिक सफाई अभियान में भाग लेने के लिए बुलाता है।

मिनटों के अंदर, घरों के दरवाजे खुलते हैं, और बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों सहित सारे परिवार झाड़ू और अन्य सफाई के सामान लेकर बाहर निकलते हैं। साप्ताहिक सामुदायिक सफाई का काम कुछ समय से किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप साफ –सुथरे वातावरण और आस–पास सफाई देखकर प्रत्येक गांववासी गर्व करते हैं। उमथिल एक मॉडल गांव है जिसमें 300 परिवार रहते हैं। इन परिवारों की आजिविका का प्रमुख स्रोत खेतीबाडी और कन्सट्रक्शन है।

इस गांव के प्रत्येक घर का पिछवाड़ा और परिवेश स्वच्छ है ओर उचित ढलान के साथ अपशिष्ट जल निकासी है।

उम्थली के निवासी नियमित आधार गांव में साफ–सफाई सुनिश्चित करते हैं और इसके महत्व को नहीं भूलते। जहाँ बच्चे इधर–उधर कूड़ा बिल्कुल नहीं फेंकते हैं, वही महिलाएं सफाई अभियान में निगरानी के द्वारा दायित्व को शेयर करती है।

यह स्पष्ट है कि शौचालय को साफ एवं उपयोग के लायक बनाये रखने के लिए जल की उपलब्धता आवश्यक है। सुनिश्चित एवं निरंतर जल आपूर्ति की व्यवस्था से न केवल शौचालय निर्माण एवं इसके प्रयोग में सहायता मिलती है बल्कि लोगों को भोजन से पहले एवं बाद, शौच के बाद हाथ धोने, सफाई बनाए रखने और घरों के अंदर–बाहर, उचित साफ–सफाई बनाये रखने सहित उत्तम स्वच्छता रीतियों को अपनाने में प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिलती है।

इस प्रकार, स्वच्छता प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता को प्राथमिकता आधार पर ध्यान में रखने की जरूरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और एसबीएम (जी) के विलय के जरिए जल एवं स्वच्छता के प्रति एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। ओडीएफ के संबंध में सत्यापित गांवों को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।

3.6.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हाथ से सफाई का उन्मूलन करेगा

एम्प्लॉयमेन्ट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1993 के पारित हो जाने के बाद सूखे शौचालयों के निमार्ण एवं अनुरक्षण और इसकी सफाई के लिए किसी मनुष्य को नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय है। जनगणना 2011 में 12.76 लाख अस्वच्छ शौचालयों की मौजूदगी बताई गई, जिसमें से देश के ग्रामीण हिस्सों में 5.86 सूखे शौचालय हाथ से साफ किए जाते हैं।

संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार कोई भी मौजूदा बकेट शौचालय यदि कोई हो, तो उसे स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किया जाना है। इसके लिए लाभार्थी को उपलब्ध प्रोत्साहन वैयक्तिक घरेलू शौचालयों के निर्माण के समान ही है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि जहां भी अस्वच्छ शौचालय मौजूद हैं और जनगणना 2011 में हाथ से सफाई रिपोर्ट की गई है, वहां सभी गांवों में प्राथमिकता आधार पर मौजूदा बकेट शौचालयों अथवा सूखे शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किया जाए।

राज्यों ने इस पर एक सर्वक्षेण कराया और 31.12.2016 तक उन्होंने 1,82,138 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचलय में परिवर्तित करने के बारे में सूचित किया।

3.7 एसबीएम (जी) के अंतर्गत मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (एम एण्ड ई)

3.7.1 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने नियमित प्रगति रिपोर्टों के जरिए निधियों के उपयोग सहित, कार्य–निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों, क्षेत्र अधिकारी की स्कीमों, जिला स्तरीय निगरानी तथा सतर्कता और राज्य/जिला स्तर पर निगरानी स्थितियों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी हेतु एक व्यापक प्रणाली विकसित की है इसके अतिरिक्त राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पांचःसूत्री कार्यनीति अपनाएं जिसमें निम्न शामिल हैंः– (i) स्कीम के प्रति जागरूकता फैलाना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जन भागीदारी, (iv) जवाबदेही/सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर सुदृढ़ सतर्कता और निगरानी। ग्रामीण विकास स्कीम के अंतर्गत निधियों के अधिकतम उपयोग में ये उपाय सहायक होंगे।

3.7.2 एसबीएम (जी) के लिए एक व्यापक वेब–आधारित ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली भी उपलब्ध है। आधारभूत सर्वेक्षण से एकत्रित घरेलू स्तर के आंकड़े प्रविष्ट करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वच्छता कवरेज के घरेलू स्तर की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु यह प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त आधुनिक आईटी टूल्स के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए निर्धारित तिथियों पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए राज्य सचिवों और प्रत्येक जिले के एसबीएम (जी) समन्वयकों को चयनित तिथियों पर स्वतः (ऑटोमैटिक) अनुस्मारक भेजने का प्रावधान भी अब उपलब्ध है। ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली द्वारा भेजे जाने वाले ग्रुप संदेशों पर क्षेत्र कार्यकर्ताओं और राज्य सचिवों को एसएमएस भेजने का प्रावधान भी तैयार किया गया है। लाभार्थियों के साथ संवाद करने हेतु एक ऑनलाइन ऑटोमैटिक एसएमएस प्रणाली और ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली भी उपलब्ध है। दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 के बाद निर्मित शौचालयों के चित्र अपलोड करने हेतु एक मोबाइल ऐप्लिकेशन शुरू किया गया है। चित्र जीयो–टैग्ड हैं।

3.7.3 अब आईएमआईएस पर ओडीएफ की निगरानी के लिए एक मॉड्यूल भी उपलब्ध है। इसके अलावा, आईएमआईएस एक माड्यूल उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा राज्य /जिले, राज्यों को प्रदत्त लचीलेपन के अनुसार सीधे समुदाय को ही प्रोत्साहन निधि हस्तांतारित कर सकते हैं। एक डैश बोर्ड तैयार किया गया है जो इस पर एसबीएम की प्रगति का वास्तविक डाटा दर्शाता है। (sbm.gov.in/sbmd) स्वच्छ ऐप नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन जिसमें देश के सभी गांवों के लाभार्थी स्तर का डाटा है, एंड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध है। नागरिक स्वच्छ ऐप पर गांवों की स्वच्छता से संबंधित रैंकिंग कर सकते हैं।

3.7.4 गांवों को स्वच्छता स्तर को मापने के लिए ग्राम स्वच्छता को परिभाषित किया गया है। इसमें सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच और वहा घरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता दृष्टिगोचर है, जैसे कारक शामिल हैं। इसे सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच वाले घरों की प्रतिशतता, ऐसे घरों की प्रतिशतता जिसके चारों ओर कोई कचरा नहीं है, जिन घरों के चारों ओर ठहरा हुआ अपशिष्ट जल नहीं है उनकी प्रतिशतता और उन सार्वजनिक स्थानों की प्रतिशतता जिनके चारों ओर कोई कचरा नहीं है, मापकर निर्धारित किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों में स्कूल, ऑगनवाड़ी, अस्पताल आदि शामिल हैं। आईएमआईएस गांवों को किसी ग्राम सभा में अपना स्वयं का ग्राम स्वच्छता सूचकांक निर्धारित करने एवं अपने स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है।

3.7.5 सांसदों के लिए एक डैश बोर्ड विकसित किया गया है, ताकि उनको अपने चुनाव क्षेत्र में जल एवं स्वच्छता की स्थिति ट्रैक करने में मदद मिल सके। इसे 01 फरवरी, 2017 तक आरंभ कर दिया जाएगा।

3.7.6 सभी राज्यों में स्कीम के कार्यान्वयन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त एसबीएम (जी) की प्रगति की समीक्षा और वास्तविक एवं वित्तीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु नियमित वीडियो कांफ्रेंस आयोजित किए जाते हैं। एमडीडब्ल्यूएस के लिए जल एवं स्वच्छता

पैरामीटरों का नमूना आधारित प्राथमिक क्षेत्र मूल्यांकन कराने के लिए राष्ट्र स्तरीय मॉनीटर (एनएलएम) तैयार किए जा रहे हैं। देश भर में स्वच्छता कवरेज और ओडीएफ स्थिति की नमूना आधारित जांच कराने के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) भी किराये पर ली जा रही है। निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु स्कीम के कार्यान्वयन में पिछड़ चुके राज्यों में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दौरा भी किया जाता है। इनमें से कुछ दौरे राज्य मिशन विजिट के रूप में होते हैं जिसमें एमडीडब्ल्यूएस के वरिष्ठ अधिकारियों की कई टीमें होती हैं जो कई जिलों का दौरा करती हैं।

3.7.7 कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के समाधान हेतु नवाचारों पर त्वरित फीडबैक प्राप्त करने के लिए राष्ट्र स्तर पर त्वरित कार्रवाई एवं लर्निंग इकाई (रैपिड ऐक्शन एंड लर्निंग यूनिट) (आरएएलयू) गठित की गई है और राज्य स्तरों पर भी इसी प्रकार के आरएएलयू गठित किए जा रहे हैं। सुधारात्मक कार्रवाइयों पर सुझाव देने और अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आरएएलयू एक लघु, लचीली और विशिष्ट इकाई है। वे तुरंत और प्रभावी उपायों की तलाश करते हैं और वास्तविक कार्य क्षेत्र के आधार पर उन्हें विकसित, साक्षा और प्रसारित करते हैं।

3.8 मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

3.8.1 कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण सहायता प्रदान के लिए राज्य स्तर पर जल एवं स्वच्छता सहायता संगठनों (डब्ल्यूएसएसओ) की स्थापना की गई है। जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन के अंतर्गत काम कर रही संप्रेषण एवं क्षमता विकास यूनिट (सीसीडीयू), समुदायों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण संदेशों पर बल देते हुए राज्य और जिलों के लिए संप्रेषण अभियान विकसित करती है।

3.8.2 इन नए कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कार्यक्रम प्रबंधकों एवं क्षेत्र इंप्लीमेंटरों दोनों की क्षमता निर्माण पर पुनर्नवीकृत बल दिया जाना आवश्यक है। राज्य और जिला अधिकारीगण, विशेषकर जिला के पंचायतों, कलेक्टर/सीईओ, (जिला स्तरीय स्थानीय सरकारी निकाय) को विभिन्न अप्रोचों में प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, विशेषकर सामुदायिक अप्रोच और सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन देना। इसे, कलेक्टरों (जिला स्तरीय प्रमुख अधिकारी) के लिए कार्यशालाओं की श्रृंखला के जरिए आरंभ किया गया है और केंद्र सरकार के माध्यम से अब तक एक तिमाही से अधिक कलेक्टरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा, इन क्षमताओं के विस्तार के लिए राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न ओरिएन्टेशन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा रहा है। विभिन्न जिलों के बीच क्रॉस विजिट्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षित मोटिवेटर्स की निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उनके कार्य को परिणाम से लिंक करने के लिए कई राज्यों द्वारा उपयुक्त प्रोत्साहन कियातंत्र भी लाया जा रहा है।

3.8.3 क्षेत्र स्तरीय मॉनीवेटरों और जिला कार्यकर्ताओं के समूहों को वर्चुअल क्लासरूम के जरिये सीएलटीएस प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं जिसमें से प्रत्येक प्रशिक्षण कई जिलों के समांतर प्रदान किया जा रहा है। पहला

पाइलट, गुजरात में आयोजित किया गया जिसे टाटा ट्रस्ट्स की सहायता से दो जिलों को अहमदाबाद के एक केंद्रीय प्रशिक्षक से एकसाथ जोड़ा गया इस पाइलट के सफल समापन के बाद इस मॉडल को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे जिलों और मिजोरम और पंजाब के जिलों में भी संयुक्त रूप लागू किया गया।

3.8.4 वर्ष 2016–17 के दौरान जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/सीईओ जिला परिषद के लिए स्वच्छ भारत मिशन पर 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न राज्यों के 339 डीम/डीसी/सीईओ ने इसमें भाग लिया जहां 2 अक्तूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए रणनीतियों एवं कार्रवाई योजनाओं पर विचार–विमर्श किए गए एवं इन्हें तैयार किया गया। ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	तारीख	भागीदारों की संख्या	स्थान
1	4–5 अप्रैल, 2016	24	आईआईपीए, नई दिल्ली
2	12–13 मई, 2016	25	आईआईपीए, नई दिल्ली
3	16–17 मई, 2016	15	आईआईपीए, नई दिल्ली
4	20–21 जून, 2016	28	आईआईसी, नई दिल्ली
5	18–19 जुलाई, 2016	49	आईआईसी, नई दिल्ली
6	16–17 अगस्त,2016	15	आईआईसी, नई दिल्ली
7	30–31 अगस्त, 2016	29	आईआईसी, नई दिल्ली
8	26–27 सिंतबर, 2016	21	आईआईसी, नई दिल्ली
9	20–21 अक्तूबर, 2016	27	आईआईसी, नई दिल्ली
10	24–25 अक्तूबर, 2016	24	आईआईसी, नई दिल्ली
11	7–8 नवंबर, 2016	29	आईआईसी, नई दिल्ली
12	15–16 नवंबर, 2016	22	आईआईसी, नई दिल्ली
13	19–20 दिसंबर, 2016	31	आईआईसी, नई दिल्ली
	कुल	339	

3.8.5 आवश्यक कौशल को दोहराने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों द्वारा यथा अनुशंसित कतिपय संगठनों को प्रमुख संसाधन केंद्रों (केआरसी) के रूप में पैनलबद्ध किया जा रहा है और आवश्यक उन्मुखीकरण दिया जा रहा है ताकि वे बदले में, संबंधित राज्यों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में तेजी ला सकें। इन केआरसी के कार्य को सुचारू बनाया जा रहा है और उनमें और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का प्रयास किया जा रहा है। एक कियातंत्र भी लाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्रशिक्षणों में उपयुक्त फार्वर्ड लिंकेज हो जिसके परिणामस्वरूप इन क्षमताओं में वृद्धि हो, प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति उनका उपयुक्त सदुपयोग हो। वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित अन्य प्रशिक्षण / कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है :–

अन्य प्रशिक्षण/सभा/गतिविधियां

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	तारीख	स्थान	भागीदारों की संख्या
1	एसबीएसएनएए के प्रोबेशनरों को प्रशिक्षण	7–8 मई, 2016	मसूरी	180
2	वर्चुअल प्रशिक्षण – 44 जिलों और राज्यों को कवर करते हुए	अप्रैल–नवंबर, 2016	44 जिले/5 राज्य	2309
3	अंडमान और निकोबार, यूटी के राज्य एवं जिला अधिकारियों को एसबीएम–जी पर उन्मुखीकरण	19–20 नवंबर, 2016	पोर्टब्लेयर	30
6	राज्य स्तरीय कार्यशाला – झारखंड	14 सितंबर, 2016	रांची	300

सास ने अपनी बहू को तोहफे में शौचालय दिया

जब शाहजहां की शादी तय हुई, उसकी मां शमशुन ने अपने घर में एक शौचालय बनवाने का निर्णय लिया ताकि उसकी बहू सलमा को वह सब न झेलना पड़े जो उसे स्वयं को झेलना पड़ा।

''मेरे पिता के घर में शौचालय नहीं था, न ही मेरे ससुराल में, ''शमशुन ने कहा। खुले में शौच करने की जो कठिनाई उसे सहनी पड़ी इसे याद करते हुए उसने कहा ''मॉनसून के महीने और उसके कारण शौच की कठिनाई के बारे में हम महिलाओं के लिए बात करना भी मुश्किल है'' गुंटुर जिले के बोल्लावरम ग्राम पंचायत में, जहां शमशुन अपने परिवार के साथ रहती है, आठ महीने पहले तक खुले में शौच करना एक आम प्रथा थी। गांववासियों के लिए, इसका मतलब था शौच करने के लिए लंबी दूरी चलकर जाना।

उसके लिए यह और भी अपमानजनक था कि जब उसके कई रिश्तेदार जो उसके घर आते थे, खुले में शौच की असुविधा के कारण 12 घंटे से ज्यादा कभी नहीं रुकते थे। उसके लिए यह बहुत शर्म की बात थी कि जब एक रिश्तेदार जो दुबई से आ रहा था, शौचालय के अभाव के कारण उसके घर में रात को रुकने से मना कर दिया।

जब शमशुन ने यह सुना कि उसके गांव में स्वच्छ भारत मिशन का कार्यान्वयन हो रहा है, उसने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया और स्कीम के अंतर्गत दी जा रही प्रोत्साहन राशि का उपयोग करके एक शौचालय बनवाने का निर्णय कर लिया। उसने कहा, ''मैंने शौचालय निर्माण और किस्तों के माध्यम से प्रोत्साहन राशि के संवितरण के बारे में जितनी जानकारी जुटा सकती थी, जुटाई।''

इसके अलावा, शमशुन ने अपनी तरफ से भी 4000 रु. डाले और अपने बेटे की शादी से ठीक पहले शौचालय बनवा लिया। अब पूरा परिवार इस सुविधा का उपयोग करता है। इसके अलावा, चूंकि आज सलमा गर्भवती है इसलिए शमशुन हाइजिन और सुरक्षा के बारे में ज्याद सावधान रहना चाहती है।

शमशुन ने कहा, ''मैं उसके स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डालना चाहती।'' वह अब सलमा और पूरे परिवार की सुविधा और स्वास्थ्य के लिए सलमा के माता–पिता को भी एक शौचालय बनवाने के लिए कहना चाहती हैं।

3.9 अनुसंधान और विकास (आरएंडडी)

3.9.1 स्वच्छता के क्षेत्र में अनुसंधन और विकास को आगे बढ़ाने के लिए एनजीओ सहित अनुसंधान संगठनों को 100: निधियन केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। मुख्यतया स्वच्छता के लिए अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सचिव (डीडब्ल्यूएस) की अध्यक्षता में एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया गया है। स्वच्छता में अनुसंधान और विकास के प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय एवं कार्यक्रम संबंधी क्षेत्र शामिल हैं।

3.9.2 विभिन्न राज्यों में संबंधित विभागों में आरएंडडी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों को पर्याप्त जनशक्ति और अवसंरचना के साथ आरएंडडी प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आरएंडडी सेल से अपेक्षित है कि वे राज्य के भीतर प्रमुख तकनीकों संस्थानों के साथ संपर्क में रहें। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी संस्थाओं का नेटवर्क मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुसरण कर सकते हैं। आरएंडडी प्रकोष्ठ से यह भी अपेक्षित है कि वे निगरानी एवं अन्वेषण प्रभाग और निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्टों के संपर्क में निरंतर रहे ताकि उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ की जा सके।

एसबीएम जी के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के दौरान अनुमोदित आरएंडडी परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्था का नाम	स्थिति
1.	गाय गोबर, रसोई अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट और मानव मल का उपयोग करते हुए बायो मेथॉनाइजेशन की क्षमता को बढ़ाने पर अध्ययन	सोसायटी फॉर कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपुल्स एजुकेशन, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	अंतरिम रिपोर्ट 09.04.2016 को सौंपी गई और परियोजना प्रगति पर है। 25 अप्रैल, 2017 तक पूरी कर ली जाएगी।
2.	वेस्ट प्लास्टिक स्टोन ब्लॉक (प्लास्टोन) से बने प्रीफैब्रिकेटेड ढांचे का उपयोग करते हुए कम लागत वाले हाइजिनिक ग्रामीण शौचालय के निर्माण पर अध्ययन	त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मदुरे, तमिलनाडु	अंतरिम रिपोर्ट 10.08.2016 को सौंपी गई और परियोजना प्रगति पर है तथा 01.12.2016 तक पूरी कर ली जाएगी।
3.	भारत में दिव्यांगजनों सहित स्वच्छता एवं शौचालयों का निर्माण। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन	सोसाइटी फॉर डिसेबिलिटी एंड रीहैबिलिटेशन स्टडीज	प्रारूप रिपोर्ट 18.07.2016 को सौंपी गई। रिपोर्ट की जांच करने के बाद 29.09.2016 को इस बावत एक पत्र जारी किया गया कि पत्र में उल्लिखित सूचना में परिशोधन करने के बाद प्रारूप परियोजना रिपोर्ट दोबारा प्रस्तुत करें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्था का नाम	स्थिति
4.	उपयुक्त ग्रामीण स्वच्छता का विकास : पेक शोधन (द स्लज ट्रीटमेंट)	श्री साई राम इंजीनियरिंग कॉलेज	अंतरिम रिपोर्ट और अन्य संबधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12.09. 2016 को एक पत्र जारी किया गया। परियोजना प्रगति पर है। 28 अगस्त, 2017 तक पूरी कर ली जाएगी।
5.	फायटोरी मेडियेशन ऑफ वाटर थ्रू वेट लैंड डवलपमेंट इन रूरल डैबिटेशन, मुबारकपुर (हरियाणा)	आईआईटी, दिल्ली	डॉ. अनुश्री मलिक के अनुरोध के अनुसार, सचिव एमडीडब्ल्यूएस ने 30 सितंबर, 2016 तक का समय बढ़ाया।
6.	रूरल डवलेपमेंट फाउंडेशन, आंनद, गुजरात, एफ.नं. डब्ल्यू–11042/46/2013 –एनबीएद्वारा आरएंडडी प्रोजेक्ट स्टैबीलाइजेशन ऑफ पोंड्स इन आनंद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात श्री प्रणय शुक्ला	रूरल डवलेपमेंट फाउंडेशन, आनंद, गुजरात	28.08.2015 को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, परियोजना प्रस्ताव की जांच करने के बाद फर्म को स्पष्टीकरण हेतु कुछ आपत्तियां बताई गई। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। अद्यतन अनुस्मारक 5 सितंबर, 2016 को भेजा गया। एमडीडब्ल्यूएस पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है।

एक कदम स्वच्छता की ओर

नई दिल्ली में 'हर घर जल' पर स्टैकहोल्डर्स कंसलटेशन वर्कशॉप के दौरान माननीय आर डी आर, डी डब्ल्यूएस मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा साथ में श्री रमेश चंदप्पा जिगजिनागी, माननीय राज्य मंत्री (डीडब्ल्यूएस)।

4 समीक्षा बैठकें/महत्वपूर्ण गतिविधियां

4.1 राज्यों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठकें और सचिवों का सम्मेलन

- एनआरडीडब्ल्यूपी की समीक्षा और इसके सुधारों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 09.09.2016 और 10.09.2016 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। सचिव (डीडब्ल्यूएस) ने इसकी अध्यक्षता की। मंत्रालय के अधिकारियों और सभी राज्यों के प्रधान सचिवों/ सचिवों/ मुख्य अभियंताओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया और एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की प्रगति के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा–निर्देशों में प्रस्तावित परिवर्तनों पर भी चर्चा की गई।

- मंत्रालय में दिनांक 10.11.2016 को ग्रामीण नल जलापूर्ति में सुधारों पर राष्ट्रीय परामर्श किया गया जिसमें राज्य सरकारों, बाह्य संस्थानों और विकास के भागीदारों ने मुद्दों पर चर्चाएं की।

- (क) नल जलापूर्ति से संपूर्ण ग्रामीण आबादी को कवर करने के लिए निधियों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन (ख) ओ एण्ड एम की दृष्टि से वर्तमान कार्यनीति को समझने, डिजाइन किए गए जीवन, शुल्क संचयन, विभिन्न प्रकार के स्थायित्वों को पूरा करने के बाद संरचनाओं को बदलने के लिए दिनांक 24.10.2016 से प्रत्येक राज्य के साथ सीधा परामर्श किया गया। वर्तमान परिदृश्य में ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कार्यनीति योजना बनाने हेतु ऐसा किया जा रहा है।

- दिनांक 03.01.2017 को "हर घर जल" पर हिस्सेदारों के साथ परामर्श हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला की गई जिसका लक्ष्य उन सभी घरों को घरेलू कनैक्शन उपलब्ध कराना है जिनमें लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता है।

4.2 सूचना तथा संचार प्रद्योगिकी (आईसीटी) पहलें

4.2.1 मंत्रालय की वेबसाइट

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट को एनआईसी की सहायता से जीआईजीडबल्यू (भारत सरकार की वेबसाइट के के लिए निर्देश) के अनुसार डिजाइन, विकसित और रखरखाव किया गया है। इस वेबसाइट पर मंत्रालय के निर्देश, पत्र, सर्कुलर, नागरिक कोना और आकाईइ विशेषताओं सहित जानकारियां उपलब्ध हैं। राज्यों को जारी सभी परिपत्र और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना वेबसाइट पर की जा रही है। इस वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं को विवरण इस प्रकार है:

(i) दस्तावेज एवं रिपोर्ट

(ii) कार्यकलाप

(iii) निविदा

(iv) पत्र एवं परिपत्र

(v) प्रकाशन

(vi) भर्ती

(vii) कार्यक्रम से संबंधित अन्य लिंक्स

इस वेबसाइट की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता नवाचार पोर्टल है जिसमें नागरिक अपने नवाचारों उत्पादों और प्रोद्योगिकियों, प्रत्यायन के लिए आवेदन को शोकेस कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खण्ड है लोक शिकायत पोर्टल जिसमें नागरिक पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं जो निवारण हेतु संबंधित फील्ड अधिकारी को स्वतः रीडायरेक्ट हो जाती हैं।

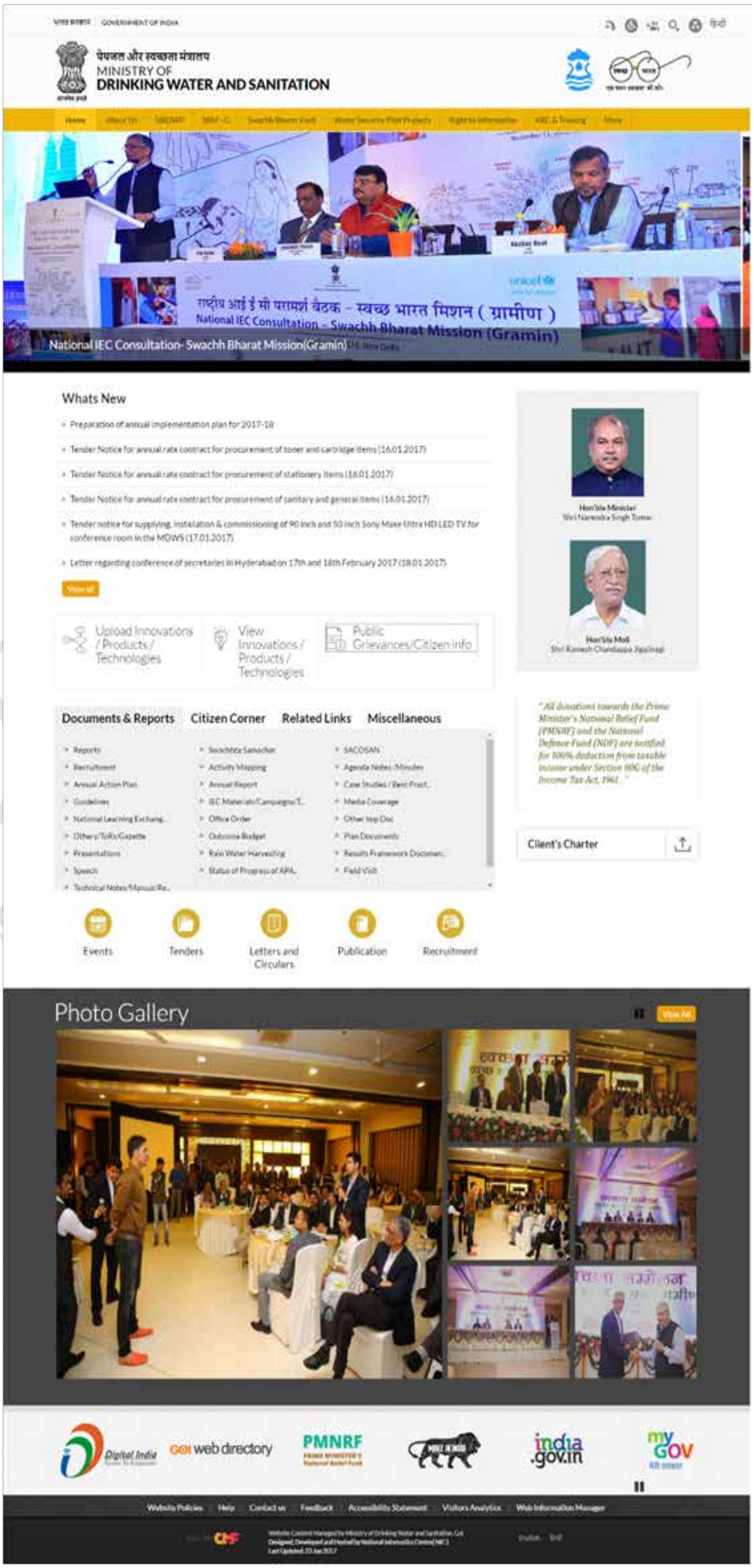

कार्य में दक्षता और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए एनआईसी के सहयोग से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित आईसीटी पहल की गई।

1. ई–ऑफिस समाधान का कार्यान्वयन–ई फॉइल संचलन, ई–छुट्टी और ई–यात्रा और ज्ञान प्रबंधन मॉड्यूलस, इन्वेंटरी, ई–आगंतुक
2. कार्यक्रम कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए राज्य के विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस
3. मंत्रालय के अंदर और राज्य के सभी विभागों में ई–खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन
4. वेब आधारित और मोबाईल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन
5. बैठकों, सेमीनारों और राष्ट्रीय कार्यशालाओं आदि में आईसीटी का उपयोग
6. स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी) और ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में आईसीटी का प्रयोग

पेयजल कार्यक्रम में आईसीटी का उपयोग

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) से ग्रामीण बसावटों और आबादी की पेयजल से कवरेज की स्थिति की मॉनीटरिंग करने के लिए मंत्रालय और संबंधित विभागों को सहायता मिलती है। इस प्रणाली में 16 लाख से अधिक बसावटों में और 60 लाख से अधिक पेयजल आपूर्ति स्कीमों का ब्यौरा है जिसमें नल जल आपूर्ति स्कीम, स्टैण्डपोस्ट/टेप्स और खुले कुएं, हैंडपंप आदि जैसे स्पॉट सोर्स शामिल हैं। इस मंच पर गुणवत्ता प्रभावित बसावटों और आबादी और सुरक्षित पेयजल से इसके कवरेज की स्थिति की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है। यह प्रणाली जिला एवं ब्लॉक जल जांच प्रयोगशालाओं को जल नमूना जांच रिपोर्टों को अपलोड करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। औसतन 35 लाख जांच रिपोर्टें हर वर्ष अपलोड की जाती हैं। इस प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं।

- किसी विशेष बसावट की, उसके अंदर सृजित जल आपूर्ति परिसंपत्तियों से वास्तविक कवरेज की स्थिति का पता चलता है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
- किसी स्रोत की गुणवत्ता की स्थिति देखी जा सकती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी खास बसावट में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है अथवा नहीं।
- उन कवर बसावटों की मॉनीटरिंग को सुकर बनाता है जो फिर से पूर्व स्थिति में लौट गए हैं।
- कुछ बसावटों में निवेश की पुनरावृत्ति को रोकता है जबकि अन्य कवर न की गई/दुर्गम बसावटें वंचित रहती हैं!
- सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध उपयोगकर्त्ता अनुकूल रिपोर्टों के माध्यम से उच्च पारदर्शिता प्राप्त होती है!
- सरकार एवं पीआरआई के बीच तालमेल का निर्माण क्योंकि दोनों ही समुदाय आधारित कार्यक्रमों और पीआरआई को सौंपी गई जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की स्थिति की मॉनीटरिंग कर सकते हैं।

नीचे के चित्र में आईएमआईएस का स्क्रीन शॉट दर्शाया गया है

4.2.2 स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी)–प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

मंत्रालय ने एसबीएम–जी के लिए एक विस्तृत और मजबूत ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली लागू की है। देश में सभी ग्राम पंचायतों की स्वच्छता सुविधाओं के संबंध में घरेलू स्तरीय आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा, बेसलाइन सर्वे 2012–13 के आधार पर एमआईएस पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

एमआईएस का मुख्य फोकस शौचालय निर्माण और इसके उपयोग को ट्रेक करना है। ओडीएफ समुदायों के सृजन एवं इनकी निरंतरता की रिर्पोटिंग को सक्षम बनाने के लिए भी एमआईएस को अपग्रेड किया जा रहा है। यह प्रणाली वैयक्तिक घरेलू और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लिए शौचालय निर्माण की प्रगति की मॉनीटरिंग करने में केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत को सक्षम बनाती है।

एसबीएम–जी एमआईएस, बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार 18.13 करोड़ से अधिक घरों के घरेलू आंकड़े रखती है। ऑनलाइन प्रणाली पर शौचालय निर्माण की सूचना मिलते ही एसएमएस के सृजन के लिए वैयक्तिक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है। लाभार्थी एसएमएस के द्वारा यह जवाब दे सकता है कि उसके घर में शौचालय निर्माण हुआ अथवा नहीं।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति/कवरेज की मॉनीटरिंग करने के लिए और आईएचएचएल एवं ओडीएफ स्थिति की ट्रेकिंग करने के लिए विभिन्न केपीआई के साथ ग्राफिक्ल व्यू में एसबीएम–जी डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है। यह कार्यक्रम के आरंभ से अब तक की प्रगति को इंटरऐक्टिव मैप्स पर भी दर्शाता है।

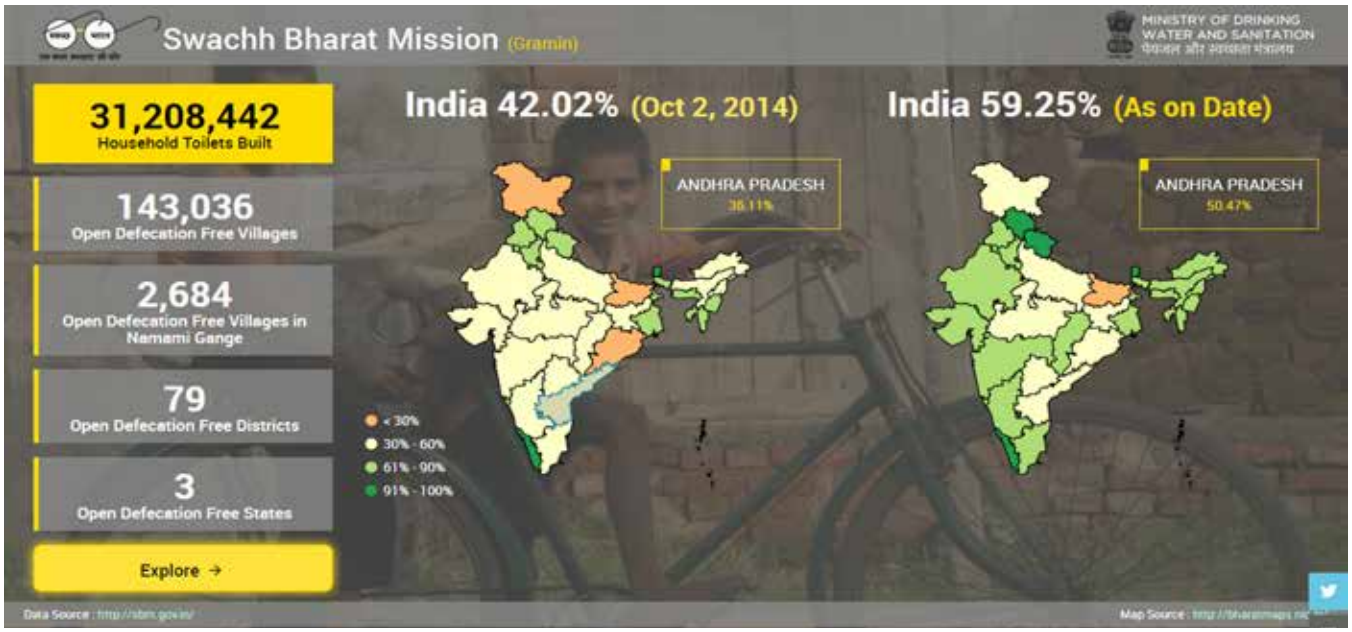

चित्र में एसबीएम–जी का आशुचित्र दर्शाया गया

4.2.3 मोबाईल एप्लिकेशन्स की रूपरेखा बनाना/विकसित करना/कार्यान्वित करना

i) एसबीएम-जी में स्वच्छ ऐप्प और मोबाइल प्रौद्योगिकी

लाभार्थियों के ब्यौरे के साथ ग्रामीण स्तर तक वर्तमान स्वच्छता स्थिति की ट्रेकिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन (स्वच्छ ऐप्प) विकसित किया गया है। मोबाइल ऐप का उपयोग वास्तविक स्वच्छता कवरेज की प्रतिशतता, खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या और प्रत्येक गांव में लाभार्थियों की सूची की ट्रेकिंग के लिए किया जाता है। इस ऐप का उपयोग पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 'विकसित साफ–सफाई एवं एसएलडब्ल्यूएम सूचकांक' के आधार पर गांवों की रेटिंग करने के लिए भी किया जा रहा है। यह मोबाइल ऐप सभी मोबाइलों (एंड्रायड/विंडोज/आईओएस आधारित डिवाइस) पर चलाया जा सकता है।

एसएमएस और ई–मेल ऑटोमेशन का उपयोग एमएसबीएम ऐप के द्वारा निर्मित आईएचएचएल शौचालय के अपलोडेड फोटोग्राफ की संख्या के साथ दैनिक रूप से एमपीआर सूचित वैयक्तिक घरों के आंकड़े की मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से दैनिक आधार पर एसएमएस अलर्ट के सृजन के लिए और मंत्रालय के अधिकारियों को भेजने के लिए भी किया जाता है। यह सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए फोटोग्राफ की अपलोडिंग (लेट्रीट्यूट–लोंगिट्यूट एवं शौचालय का उपयोग के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड) को सुविधाजनक बनाती है। अब तक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए मोबाइल उपयोगकर्ताओं द्वारा 60 लाख से अधिक शौचालयों के फोटोग्राफ बनाए जा चुके हैं। शिकायतें दर्ज करने, लाभार्थी फीडबैक प्राप्त करने, टॉयलेट उपयोग पर, डाटा प्राप्त करने और मांग सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिकों के लिए एसएमएस आधारित शिकायत निपटान और नागरिक सूचना सेवाएं उपलब्ध हैं।

ii) ग्रामीण जल सेक्टर के लिए मोबाइल ऐप (एमआरडब्ल्यूएस)

ग्रामीण जल आपूर्ति परिसंपत्तियों के जीपीएस कोओर्डिनेट्स और उसकी फंक्शनेलिटि स्टेटस

को कैप्चर करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन (एमआरडब्ल्यूएस) विकसित किया गया है। यह मोबाइल ऐप सभी मोबाइलों (एंड्रायड/विंडोज/आईओएस आधारित डिवाइस) पर चलाया जा सकता है। जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति जानने के अतिरिक्त इस ऐप का उपयोग चालू जल आपूर्ति स्कीमों और वास्तविक पूर्णता के चरणों के लिए विकास के विभिन्न चरणों में स्कीम परिसंपत्तियों के फोटोग्राफों और स्थानों को कैप्चर करने के लिए भी किया जाता है।

नीचे एमआरडब्ल्यूएस ऐप के उपयोगकर्ताओं को तकनीकी सहायता के लिए वेब इंटरफेस का स्क्रीन शॉट दर्शाया गया है

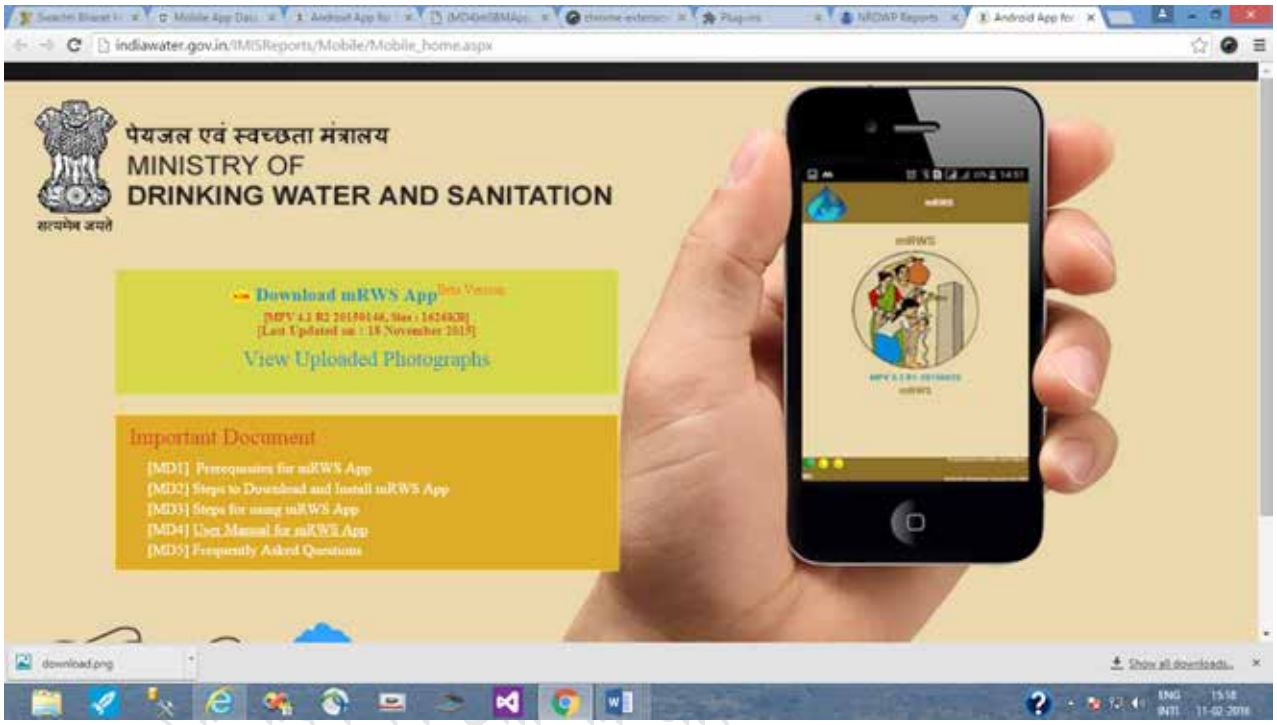

इस ऐप के माध्यम से प्राप्त डाटा को सीधे ऑनलाइन डाटाबेस पर अपलोड किया जाता है। इसे जीआईएस इंटरफेस पर उपलब्ध कराया गया है। नीचे के स्क्रीनशॉट में तमिलनाडु में एक मेगा वॉटर सप्लाई स्कीम के संबंध में जीपीएस डाटा दर्शाया गया है।

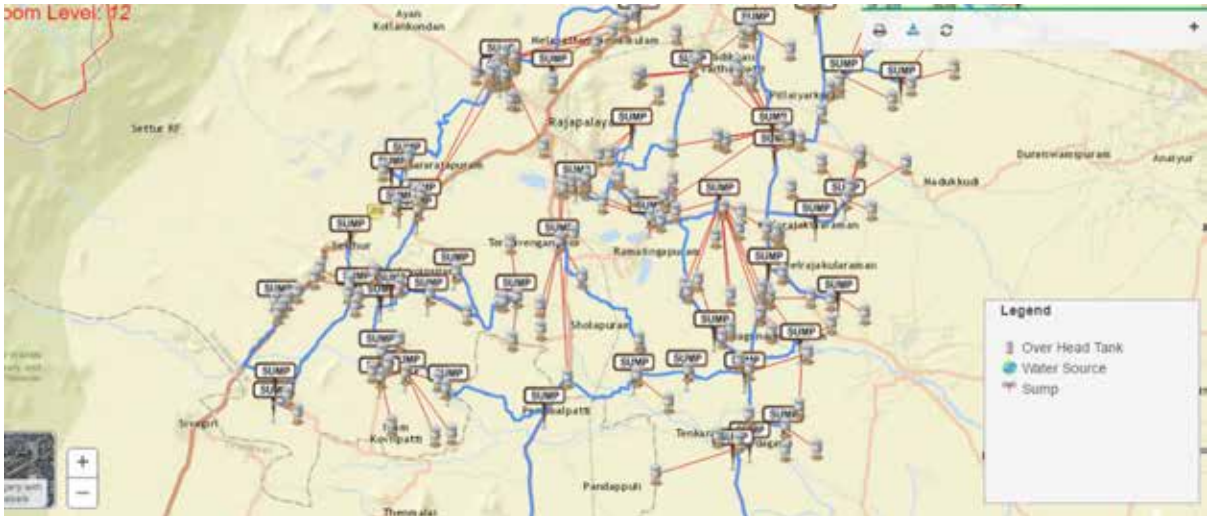

4.2.4 अन्य नई पहलें

i) बॉयोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन

ii) नवाचार पोर्टल

मंत्रालय ने ग्रामीण जल एवं स्वच्छता डोमेन में नवाचारों के लिए एक पोर्टल विकसित और लागू किया है। इस पर प्रौद्योगिकीय और प्रकिया नवाचारों को अपलोड किया जाता है और इसमें वर्क फ्लो आधारित अनुमोदित प्रक्रिया है। यह एप्लीकेशन माशेल्कर समिति द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया को भी शामिल करता है और नवाचारी प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रियाओं की कैप्चरिंग और प्रसार के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। सितम्बर, 2016 तक कुल 48 प्रौद्योगिकियों का माशेल्कर समिति द्वारा अधिकृत किया गया है 39 सिद्ध प्रौद्योगिकियों को पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

पोर्टल का स्क्रीन सॉट

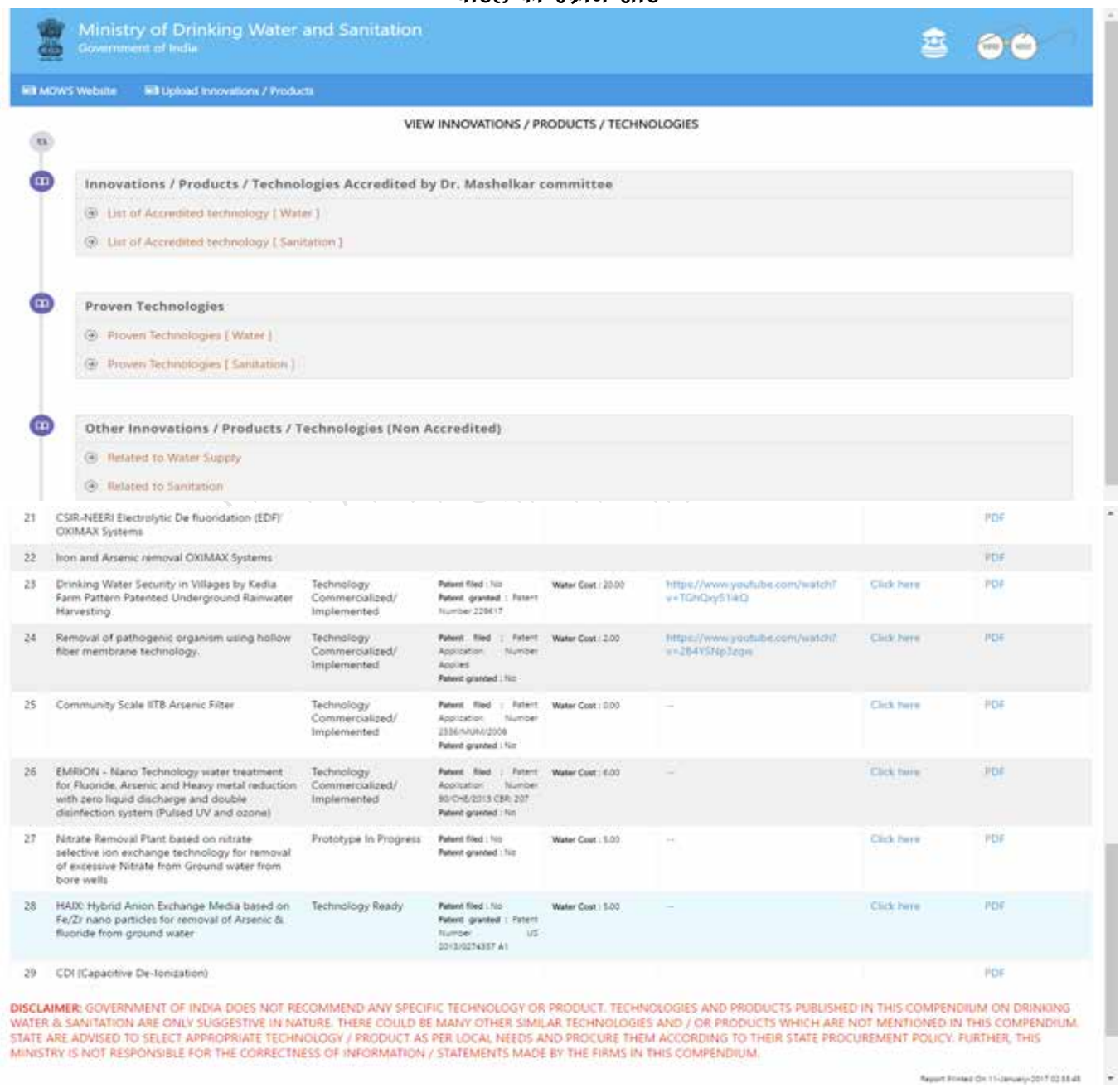

qualityaustria central asia

CERTIFICATE

Quality Austria Central Asia Private Limited
(A Division of Peacock Global Company)
Awards this Certificate to

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

4th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003, India

Access for all Rural Households to Safe Drinking Water and Improved Sanitation throughout the States.

EAC - 36

This Certificate confirms the application and further development of an effective

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Complying With the requirements of standard
ISO 9001:2008

Registration No.: IND/N/025
Issue Date : 27/09/2015
Expiry Date: 26/09/2018

India: 27th Sep 2015

qualityaustria central asia

NABCB

IAF

The validity of this Certificate will be maintained via annual surveillance audits and one renewal audit after three years.

Quality Austria Certification Private Limited (A division of Peacock Global company)

ANIL MURJANI
Country Head (C&T)

The current validity of the certificate is documented exclusively on the Internet under www.qualityaustriacentralasia.com

5 प्रशासन

5.1 संगठन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय दिनांक 13 जुलाई, 2011 को एक अलग मंत्रालय के रूप में सृजित हुआ था। मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री, सचिव, अतिरिक्त सचिव, दो संयुक्त सचिव, डीडीजी (सांख्यिकी) और आर्थिक सलाहकार इनकी सहायता करते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्रामीण विकास, पेयजल एंव स्वच्छता तथा पंचायती राज मंत्रालय में मंत्री के पद का कार्यभार 06.07.2016 को ग्रहण किया तथा वह उसी पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री रमेश जिगाजिनागी ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार 06.07.2016 को ग्रहण किया।

श्री परमेश्वरन अय्यर, आईएएस (सेवा निवृत्त) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 01.03.2016 को सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री सरस्वती प्रसाद, आईएएस (असम, मेघालय : 85) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 23.12.2015 को अपर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया और 27.01.2017 को उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया गया।

श्री अरूण बरोका, आईएएस (एजीएमयूटीः 90) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 01.06.2016 को संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री सत्यब्रत साहु, आईएएस (ओडिशारू 91) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 20.05.2013 को संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री समीर कुमार, आईईएस (1995) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 03.06.2016 को आर्थिक सलाहकार के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री हिरण्य बोहरा, आईएसएस (1985) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 28.06.2016 को उप महानिदेशक (सांख्यिकी) के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

मंत्रालय में नियमित पदों की संस्वीकृत संख्या 136 है (अनुलग्नक–IV) और संगठन चार्ट अनुलग्नक– I पर है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण

सेवाओं और संबंधित मामलों में अनु. जाति, अनु. जनजाति और ओबीसी के आरक्षण के संबंध में कार्मिक, जन शिकायतें तथा पेंशन मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अनु. जाति, अनु. जनजाति और ओबीसी कार्मिकों की संख्या तालिका में दी गई है:

तालिका

वर्ष की पहली जनवरी की स्थिति के अनुसार अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा सामान्य वर्ग (ओबीसी) का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा पिछले कैलेण्डर वर्ष 2016 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

	अनु. जाति/अनु. जनजाति/ओबीसी का प्रतिनिधित्व (1/1/2017 की स्थिति के अनुसार)				पिछले कैलेण्डर वर्ष, 2016 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				सीधी भर्ती द्वारा			सीधी भर्ती द्वारा		
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	32	05	02	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	49	07	04	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग (पूर्व ग्रेड डी सहित)	18	04	03	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड	99	16	09	15										

एक कदम स्वच्छता की ओर

5.2 मंत्रालय में चलाई जा रही नई पहलें

i). ई- ऑफिस और बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन

यह मंत्रालय जनवरी, 2015 से ई–ऑफिस का कार्यान्वयन पहले से कर रहा है। अतः सभी फाइलों और दस्तावेजों को डिजिटलाइज्ड कर लिया गया है। सभी कार्यालय कार्य डिजिटल के माध्यम से किए जा रहे हैं अतः वास्तविक फाइलें लगभग नगण्य हैं। ई–ऑफिस उपयोगकर्ता के लिए सरल है और बहुत समय बचाता है। दिनांक 31.12.2016 तक कुल 8486 ई–फाइलें सृजित की गई हैं।

यह कार्यालय सभी कार्मिकों के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन कर रहा है।

ii). कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन अधिनियम, 2013 संबंधी आंतरिक शिकायत समिति

इस मंत्रालय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार और कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (संरक्षण, निषेध तथा निपटान) अधिनियम, 2013 के खंड 4 के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।

वर्ष 2016 के दौरान, एमडीडब्ल्यूएस में कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

iii). **आईएसओ प्रमाणन**

मंत्रालय ने अपने कार्यों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करके ISO 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

iv). **विदेशी दौरे**

वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 31 दिसंबर 2016 तक एमडीडब्ल्यूएस के माननीय मंत्रियों, सचिव (डीडब्ल्यूएस) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी दौरे हेतु 5 प्रस्ताव आए हैं। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार यात्रा का विवरण और साथ ही यात्रा की रिपोर्ट विदेशी यात्रा प्रबंधन प्रणाली (एफवीएमएस) पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी।

5.3 सतर्कता और आरटीआई शिकायत निपटान तंत्र

5.3.1 सतर्कता और आरटीआई

सतर्कता से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अपर सचिव को अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद दिया गया है।

सतर्कता अनुभाग मंत्रालय के आरटीआई मामलों की निगरानी भी करता है। भारत सरकार के आरटीआई पोर्टल के अनुसार 981 ऑनलाइन बहुप्रेषित आरटीआई प्राप्त हुए हैं और संबंधित विभागों को भेजे गए हैं जिनमें से मंत्रालय द्वारा 871 को निपटाया जा चुका है (दिसबंर 2016 तक)।

5.3.2 ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत निपटान प्रणाली

मंत्रालय के शिकायत पोर्टल तथा सीपीजीआर एएमएस पर लोगों द्वारा अपलोड की गई शिकायतों का कुशलतापूर्वक और समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नवीन कदम उठा रहा है। मंत्रालय द्वारा कई नए कदम उठाए गए हैं।

- सभी सीपीजीआरएएम शिकायतों को न सिर्फ राज्यों को बल्कि मंत्रालय के ऑनलाइन शिकायत प्रणाली पर भी भेजा जा रहा है।
- इस प्रणाली के माध्यम से शिकायतों के निपटान के लिए प्रभारी राज्य अधिकारियों को एसएमएस और वेब आधारित अनुस्मारक/अधिसूचनाएं भेजी जाती हैं।
- यदि किसी शिकायत पर राज्य अधिकारियों द्वारा एक महीने से अधिक तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो तत्काल कार्रवाई हेतु शिकायत को उनके उच्चतर अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जाता है।
- शिकायत के रजिस्ट्रेशन की अधिसूचना सहित शिकायत निपटान के प्रभारी अधिकारी के संपर्क विवरण शिकायत के साथ भेजे जाते हैं।
- निपटान के बाद प्रणाली से शिकायत को हटाने से पहले शिकायतकर्ता से एसएमएस आधारित फीडबैक लिया जाता है।
- शिकायतों के प्रभावी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से राज्यों के दौरे किए जाते हैं।
- शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बंद शिकायतों की श्रेणी में आने वाले शिकायतकर्ताओं को नियमित रूप से फोन किया जाता है।

इन उपायों ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में 98 प्रतिशत से अधिक निपटान

दर हासिल करने में सहायता की है। मंत्रालय ने भारत के गुणवत्ता परिषद के सहयोग से एमडीडब्ल्यूएस के शिकायत निपटान प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करवाया है। इनके सुझावों को ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही कार्यान्वित किया जाएगा। आगामी महीनों में मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्य किए जाएंगेः–

- सीपीजीआरएएमएस के साथ मंत्रालय की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का एकीकरण
- शिकायतों के पंजीकरण हेतु टॉल फ्री नं बनाना
- नागरिक फीडबैक प्रणाली में सुधार

5.4 वर्ष 2016–17 में हिंदी की प्रगति

वर्ष 2016–17 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में हिंदी के काम में अत्यधिक प्रगति हुई और मंत्रालय में 95 प्रतिशत से अधिक पत्राचार हिंदी में किया गया। राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन और इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय में कार्यरत 32 अधिकारियों को द्विभाषी शब्दकोश वितरित किए गए। इसके अलावा, वितरण हेतु ''कार्यालय सहायिका'' नामक पुस्तक की खरीद भी की जा रही है। हिंदी की अनेक पत्रिकाएं और समाचार–पत्र मंगाने आरंभ किए गए।

वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वायन समिति की सभी बैठकें नियमित रूप से की गईं। हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। हिंदी सलाहकार समिति के गठन का महत्वपूर्ण कार्य इसी अवधि में संपन्न हुआ।

हिंदी पखवाड़ा पूरे जोश और उत्साह से मनाया गया। इस अवधि के दौरान हिंदी एवं हिंदीत्तर भाषियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पुरस्कार वितरण समारोह में मंत्रालय की महिला कर्मियों ने मधुर स्वागत गीत और हिंदी गीत प्रस्तुत किया। सभी अनुभागों के नाम–पट्ट द्विभाषी बनवाकर लगवाए गए। वर्ष के दौरान लगभग 50,000 से भी अधिक पृष्ठों का हिंदी अनुवाद किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी की प्रतियोगिताओं, हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी की पुरस्कार योजना आदि के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी के अधिक प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा हुई। हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इसके अलावा, सभी अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण भी किया गया।

यूनिकोड पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदी के काम के प्रति बहुत समर्पित हैं और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करके उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं।

माननीय मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय स्वयं हिंदी भाषा के हिमायती हैं और कार्यालय पत्राचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। अतः इस अवधि के दौरान कई दस्तावेज हिंदी में तैयार/अनुवादित किए गए।

संयुक्त सचिव (प्रशासन) द्वारा स्वागत भाषण तत्पश्चात् सचिव, डीडब्ल्यूएस द्वारा उद्बोधन

युवा महिला कार्मिकों द्वारा स्वागत गीत तथा हिंदी गीत

हिंदी पखवाड़ा 2016 के अवसर पर सचिव डीडब्ल्यूएस तथा अपर सचिव, डीडब्ल्यूएस पुरस्कार वितरण करते हुए

पुरस्कार वितरण समारोह में मंत्रालय के अधिकारियों एवं कार्मिकों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।

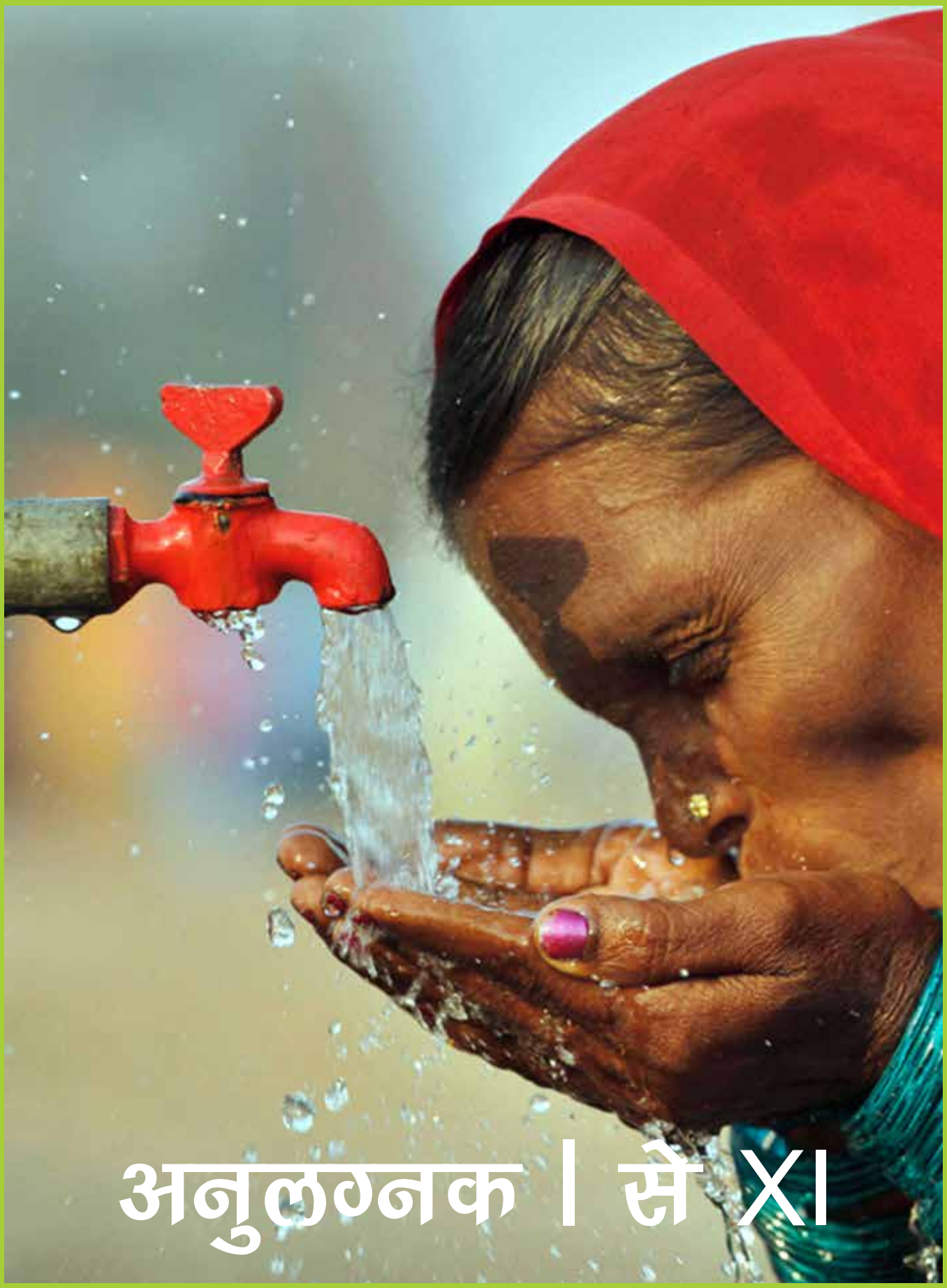

अनुलग्नक I से XI

अनुलग्नक I

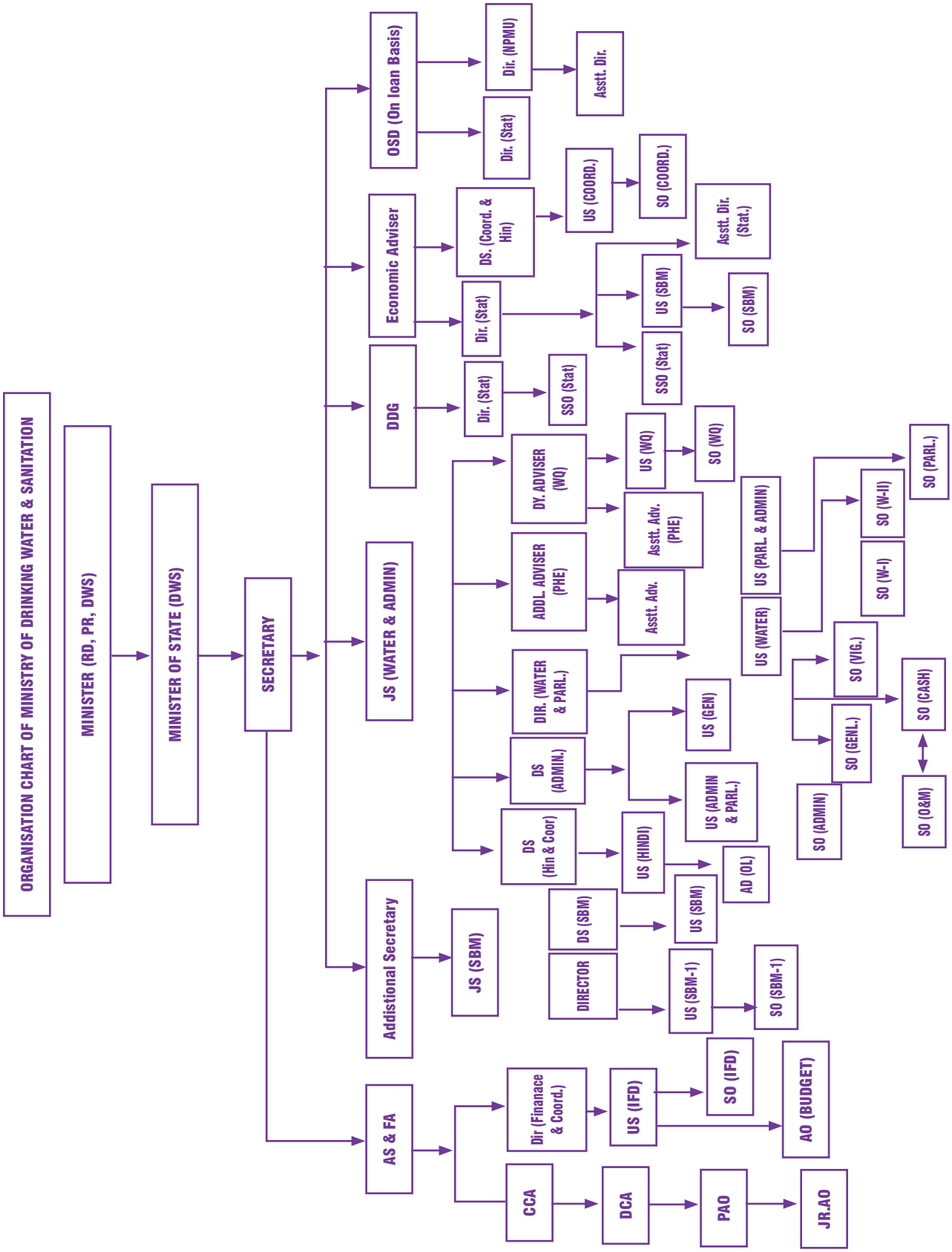
ORGANISATION CHART OF MINISTRY OF DRINKING WATER & SANITATION
MINISTER (RD, PR, DWS)
MINISTER OF STATE (DWS)
SECRETARY
OSD (On loan Basis)
Dir. (NPMU)
Dir. (Stat)
Asstt. Dir.
Economic Adviser
DS. (Coord. & Hin)
US (COORD.)
SO (COORD.)
Asstt. Dir. (Stat.)
Dir. (Stat)
US (SBM)
SO (SBM)
SSO (Stat)
DDG
Dir. (Stat)
SSO (Stat)
DY. ADVISER (WQ)
US (WQ)
SO (WQ)
Asstt. Adv. (PHE)
JS (WATER & ADMIN)
ADDL. ADVISER (PHE)
Asstt. Adv.
US (PARL. & ADMIN)
SO (PARL.)
SO (W-II)
SO (W-I)
US (WATER)
DIR. (WATER & PARL.)
SO (VIG.)
SO (CASH)
US (GEN)
DS (ADMIN.)
SO (GENL.)
SO (O&M)
US (ADMIN & PARL.)
SO (ADMIN)
DS (Hin & Coor)
US (HINDI)
AD (OL)
Addistional Secretary
JS (SBM)
DS (SBM)
US (SBM)
DIRECTOR
US (SBM-1)
SO (SBM-1)
AS & FA
Dir (Finanace & Coord.)
US (IFD)
SO (IFD)
AO (BUDGET)
CCA
DCA
PAO
JR.AO

अनुलग्नकक–II (क)

आंशिक रूप से कवर की गई बसावट (2015–16)

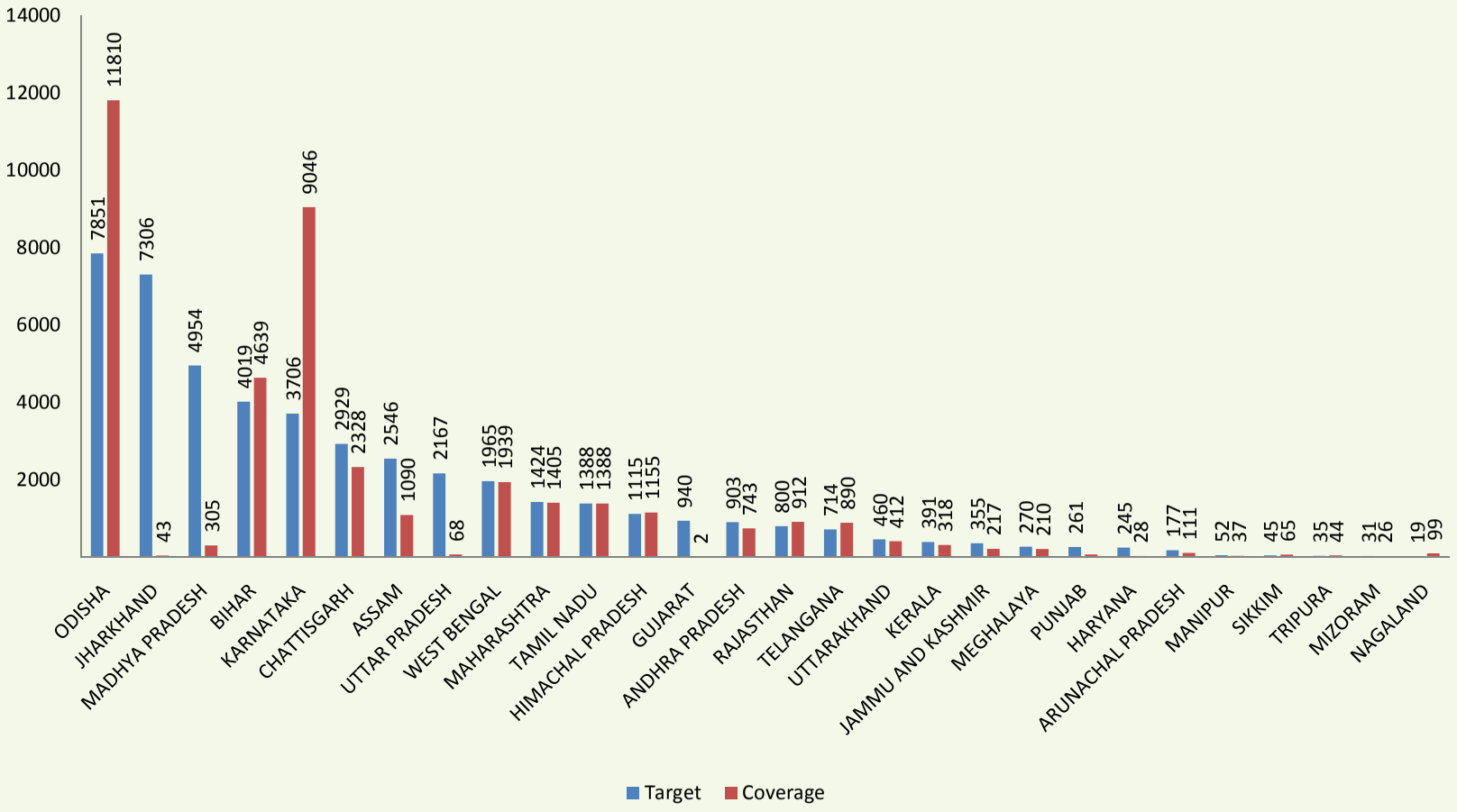

अनुलग्नकक–II (ख)

गुणवत्ता प्रभावित बसावट (2015–16)

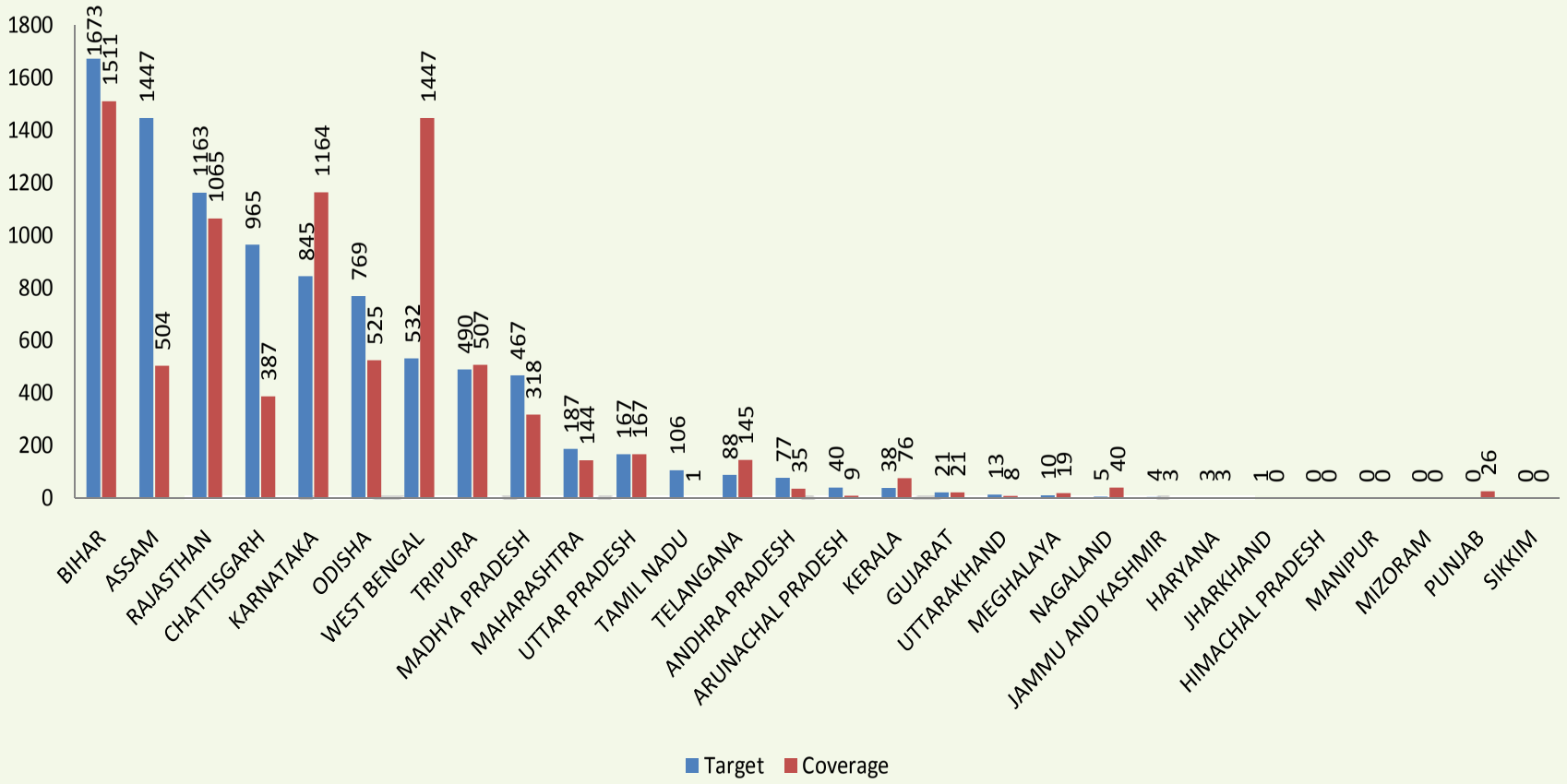

अनुलग्नकक–III (क)

आंशिक रूप से कवर की गई बसावट (2016–17, 31.12.2016 तक)

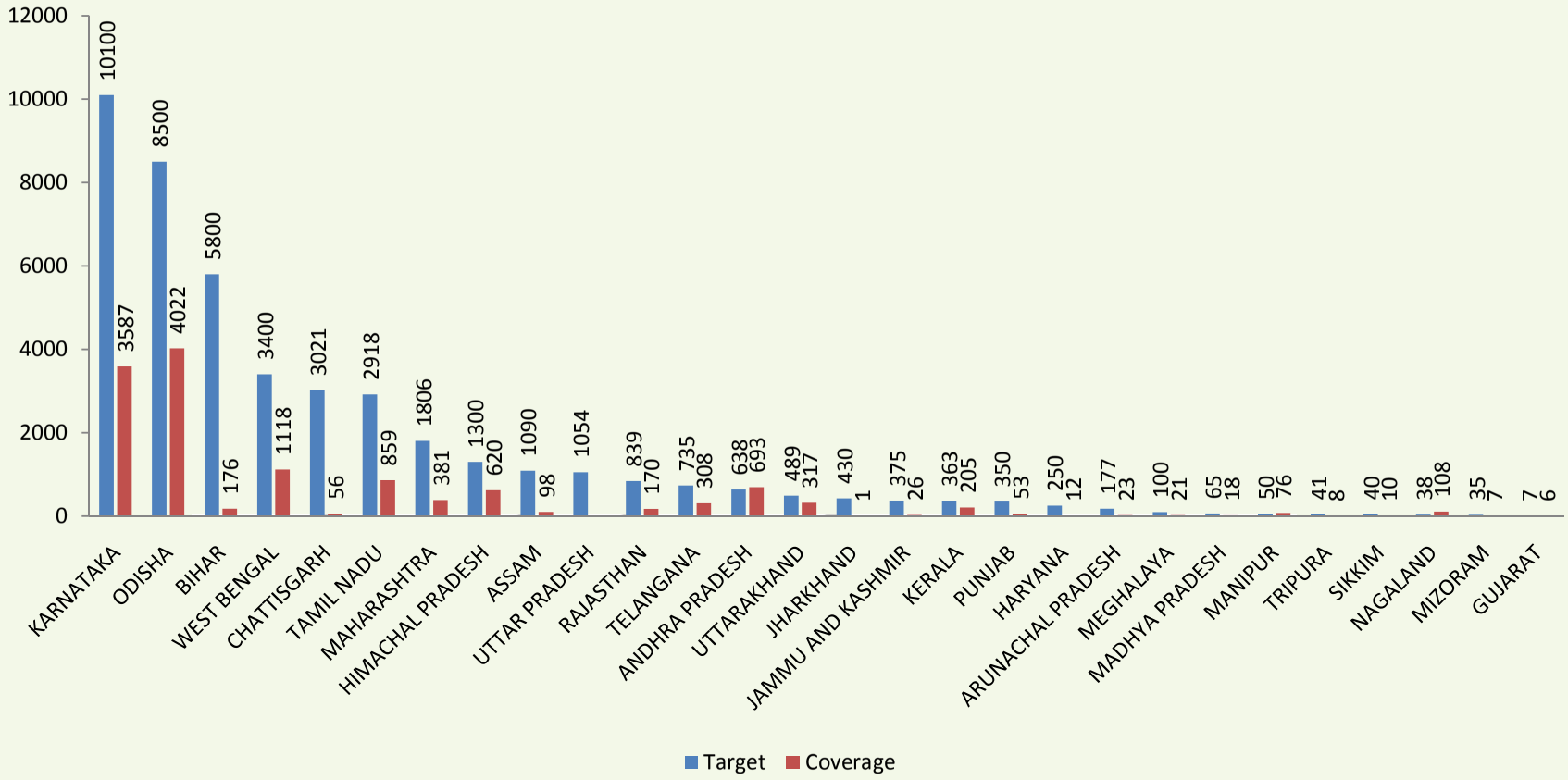

अनुलग्नक–III (ख)

गुणवत्ता प्रभावित बसावट (2016–17, 31.12.2016 तक)

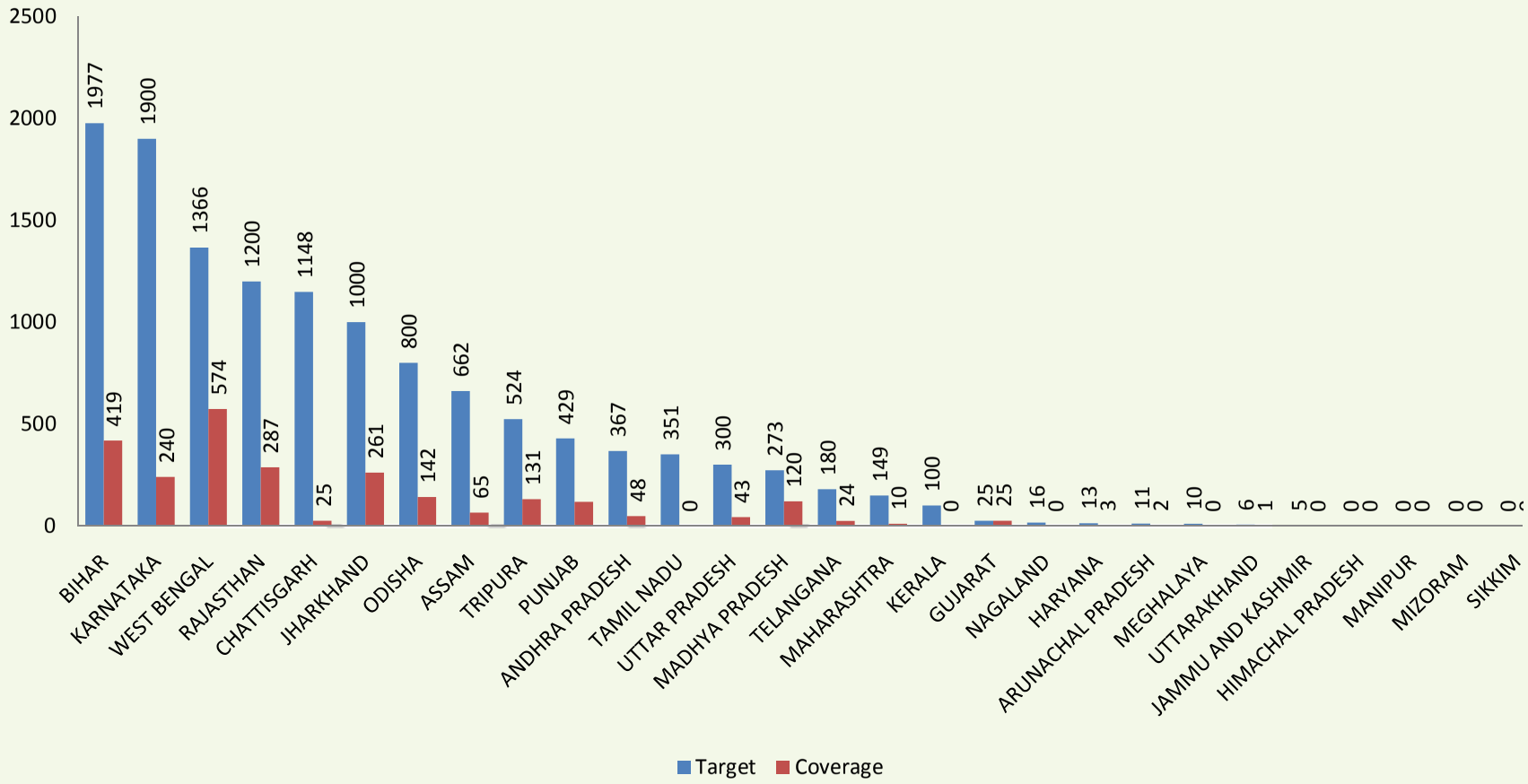

अनुलग्नक–IV

दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की स्थिति (नियमित)

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			अधिकारियों का समूह
		संस्वीकृत	भरे गए पद	रिक्त	
1	सचिव	1	1	0	A
2	अपर सचिव	1	1	0	A
3	संयुक्तव सचिव	2	2	0	A
4	उप महानिदेशक सहायक	1	1	0	A
5	आर्थिक सलाहकार	1	1	0	A
6	अपर सलाहकार (पीएचई)	1	1	0	A
7	निदेशक	4	4	0	A
8	उप सचिव	3	3	0	A
9	उप सलाहकार (पीएचई)	3	1	2	A
10	वरिष्ठ पीपीएस	1	1	0	A
11	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषण	1	0	1	A
12	उप निदेशक (सांख्यिकी)	1	1	0	A
13	सहायक सलाहकार (पीएचई)	4	2	2	A
14	अवर सचिव	9	9	0	A
15	पीपीएस	2	2	0	A
16	सहायक निदेशक	1	1	0	A
17	सहायक निदेशक (रा.भा.)	1	1	0	A
18	अनुभाग अधिकारी	12	7	5	B
19	निजी सचिव	12	3	9	B
20	लेखा अधिकारी	1	0	1	B
21	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	B
22	लेखाकार	2	0	2	B
23	वरिष्ठ अनुवादक	2	2	0	B
24	सहायक अनुभाग अधिकारी	25	23	2	B
25	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1	0	B
26	निजी सहायक	11	7	4	B
27	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	5	5	0	B
28	आशुलिपि ग्रेड ''डी''	5	4	1	C
29	एसएसए	2	2	0	C
30	डी.ई.ओ. (ग्रेड ए)	1	1	0	C
31	एलडीसी (लाईब्रेरी कलर्क)	1	1	0	C
32	जेएसए	2	0	2	C
33	स्टॉएफ कार ड्राइवर	5	2	3	C
34	एमटीएस	11	8	3	C
	कुल :	136	99	37	

अनुलग्नक–V

वर्ष 2015–2016 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	354706	269	354975	5
3	अरुणाचल प्रदेश	15159	3974	19133	221
4	असम	83811	381726	465537	52
5	बिहार	280365	145766	426131	10
6	छत्तीसगढ़	157626	199435	357061	0
7	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
8	गोवा	5365	0	5365	0
9	गुजरात	207539	714956	922495	0
10	हरियाणा	33876	97287	131163	13
11	हिमाचल प्रदेश	7633	58982	66615	247
12	जम्मू एवं कश्मीर	42524	21698	64222	162
13	झारखंड	95568	215734	311302	23
14	कर्नाटक	506730	26273	533003	38
15	केरल	11189	563	11752	34
16	मध्य प्रदेश	504127	503820	1007947	0
17	महाराष्ट्र	229821	659613	889434	36
18	मणिपुर	18250	29276	47526	6
19	मेघालय	26243	17886	44129	100
20	मिजोरम	3361	2139	5500	12
21	नागालैंड	21240	1377	22617	164
22	ओडिशा	471537	859031	1330568	7
23	पुडुचेरी	0	0	0	0
24	पंजाब	11721	59589	71310	8
25	राजस्थान	325374	1820658	2146032	63
26	सिक्किम	3639	68	3707	42
27	तमिलनाडु	430231	518050	948281	76
28	तेलंगाना	239919	271	240190	25
29	त्रिपुरा	13665	47487	61152	30
30	उत्तर प्रदेश	195183	499305	694488	3
31	उत्तराखंड	19706	44276	63982	27
32	पश्चिमी बंगाल	697052	720055	1417107	495
	कुल :	5013160	7649564	12662724	1899

अनुलग्नक–VI

वर्ष 2016–2017 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (दिसंबर, 2016 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	474	467	941	0
2	आंध्र प्रदेश	510760	961	511721	1
3	अरुणाचल प्रदेश	11560	2134	13694	66
4	असम	62705	385516	448221	48
5	बिहार	169741	91779	261520	5
6	छत्तीसगढ़	323409	425920	749331	2
7	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
8	गोवा	0	0	0	0
9	गुजरात	266800	787676	1054483	0
10	हरियाणा	6797	29310	36107	0
11	हिमाचल प्रदेश	12856	68263	81120	231
12	जम्मू एवं कश्मीर	29223	15126	44349	67
13	झारखंड	110032	339274	449322	0
14	कर्नाटक	430849	19477	450326	48
15	केरल	166652	27751	194426	11
16	मध्य प्रदेश	521641	391567	913207	331
17	महाराष्ट्र	253312	663613	916932	5
18	मणिपुर	12518	17958	30476	0
19	मेघालय	17081	9963	27044	15
20	मिजोरम	1555	738	2293	9
21	नागालैंड	1754	152	1906	7
22	ओडिशा	323690	536060	859751	3
23	पुडुचेरी	1367	20	1387	0
24	पंजाब	9261	56414	65675	0
25	राजस्थान	308066	1534609	1842676	30
26	सिक्किम	0	0	0	0
27	तमिलनाडु	147490	256334	403825	28
28	तेलंगाना	290719	2935	293654	0
29	त्रिपुरा	18492	10154	28646	17
30	उत्तर प्रदेश	253987	819954	1073947	1
31	उत्तराखंड	91579	195663	287249	10
32	पश्चिमी बंगाल	798704	900599	1699322	392
	कुल	5153074	7590387	12743551	1327

अनुलग्नक–VII

वर्ष 2015–16 के दौरान एसबीएम जी के अंतर्गत राज्य–वार रिलीज स्थिति
दिनांक 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार

करोड़ रू. में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1–4–2015 तक प्रारंभिक अथशेष	रिलीज	कुल	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	3.4	3.4	0
2	आंध्र प्रदेश	143.65	234.17	377.81	292.09
3	अरुणाचल प्रदेश	5.15	38.71	43.86	29.22
4	असम	170.96	474.27	645.23	484.35
5	बिहार	143.31	221.55	364.87	325.59
6	छत्तीसगढ़	58.26	144.72	202.98	263.19
7	दादरा एवं नगर हवेली	0.01	0.00	0.01	0.00
8	गोवा	0.44	1.05	1.49	4.83
9	गुजरात	50.34	478.22	528.55	575.90
10	हरियाणा	47.06	32.76	79.81	72.27
11	हिमाचल प्रदेश	119.33	4.37	123.70	71.42
12	जम्मू एवं कश्मीर	116.87	4.05	120.91	66.92
13	झारखंड	42.58	97.32	139.90	262.77
14	कर्नाटक	-57.16	450.77	393.61	444.21
15	केरल	37.12	8.50	45.62	17.03
16	मध्य प्रदेश	271.07	374.33	645.39	803.06
17	महाराष्ट्र	31.25	567.45	598.70	644.49
18	मणिपुर	4.63	44.19	48.81	53.48
19	मेघालय	37.75	35.65	73.40	56.13
20	मिजोरम	6.99	3.32	10.31	6.66
21	नागालैंड	19.99	10.83	30.82	28.10
22	ओडिशा	119.11	571.50	690.60	1197.06
23	पुडुचेरी	2.23	4.40	6.63	0.00
24	पंजाब	4.09	38.70	42.79	59.34
25	राजस्थान	41.83	938.73	980.56	1287.23
26	सिक्किम	4.93	6.12	11.05	5.90
27	तमिलनाडु	239.76	78.94	318.70	560.44
28	तेलंगाना	87.19	128.39	215.58	157.53
29	त्रिपुरा	49.76	38.89	88.66	52.89
30	उत्तर प्रदेश	275.28	565.39	840.67	571.91
31	उत्तराखंड	5.53	49.37	54.90	71.67
32	पश्चिमी बंगाल	29.56	712.92	742.48	904.79
		2108.84	6362.96	8468.40	9370.47

अनुलग्नक–VIII

वर्ष 2016–17 के दौरान एसबीएम जी के अंतर्गत राज्य–वार रिलीज स्थिति
दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार

करोड़ रू. में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1–4–2016 तक प्रारंभिक अथशेष	रिलीज	कुल	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.4	0.5	3.9	0.1359
2	आंध्र प्रदेश	85.97	135.46	221.44	270.12
3	अरुणाचल प्रदेश	14.66	23.98	38.65	13.15
4	असम	161.11	240.00	401.14	187.69
5	बिहार	42.00	131.87	174.36	54.77
6	छत्तीसगढ़	-59.63	438.35	378.72	170.52
7	दादरा एवं नगर हवेली	0.01	0.00	0.01	0.00
8	गोवा	-3.34	0.00	-3.34	0.00
9	गुजरात	-46.88	651.23	604.39	419.74
10	हरियाणा	7.74	68.79	76.60	9.60
11	हिमाचल प्रदेश	52.83	117.30	170.41	60.85
12	जम्मू एवं कश्मीर	53.99	59.51	113.51	19.59
13	झारखंड	-122.77	326.89	204.16	139.85
14	कर्नाटक	-50.41	190.07	139.67	165.87
15	केरल	28.91	98.25	127.23	104.19
16	मध्य प्रदेश	-156.34	684.47	528.38	497.96
17	महाराष्ट्र	-43.33	528.94	485.80	280.47
18	मणिपुर	-4.66	27.28	22.61	3.45
19	मेघालय	17.28	75.70	92.98	24.85
20	मिजोरम	3.64	10.98	14.62	1.89
21	नागालैंड	3.02	32.06	35.18	2.02
22	ओडिशा	-506.31	732.17	226.10	459.62
23	पुडुचेरी	6.63	0.00	6.63	0.13
24	पंजाब	-16.55	197.02	180.47	40.35
25	राजस्थान	-305.98	627.30	321.91	566.99
26	सिक्किम	5.15	7.04	12.19	1.09
27	तमिलनाडु	-241.10	537.02	295.93	111.90
28	तेलंगाना	58.14	50.27	108.42	84.05
29	त्रिपुरा	36.07	24.98	61.06	7.21
30	उत्तर प्रदेश	269.22	712.35	981.71	532.30
31	उत्तराखंड	-16.58	170.58	154.00	53.94
32	पश्चिमी बंगाल	-162.20	640.50	478.34	476.56
	कुलः	-886.27	7540.86	6657.17	4760.85

अनुलग्नक–IX

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ओडीएफ घोषित गांव, जीपी, ब्लॉक तथा जिला

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ओडीएफ घोषित गांव	ओडीएफ घोषित ग्राम पंचायतें	ओडीएफ घोषित ब्लॉक	ओडीएफ घोषित जिलें
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2290	2004	8	0
3	अरुणाचल प्रदेश	927	308	2	0
4	असम	436	25	1	0
5	बिहार	727	137	2	0
6	छत्तीसगढ़	8861	4144	32	3
7	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
8	गोवा	0	0	0	0
9	गुजरात	8274	6377	44	4
10	हरियाणा	5500	4903	64	9
11	हिमाचल प्रदेश	16637	3231	77	12
12	जम्मू एवं कश्मीर	95	63	0	0
13	झारखंड	1514	243	1	0
14	कर्नाटक	5251	972	27	5
15	केरल	2035	940	152	14
16	मध्य प्रदेश	10575	4565	12	2
17	महाराष्ट्र	15260	11097	71	4
18	मणिपुर	82	80	0	0
19	मेघालय	3104	2985	4	1
20	मिजोरम	145	139	1	0
21	नागालैंड	306	249	0	0
22	ओडिशा	2340	139	1	0
23	पुडुचेरी	0	0	0	0
24	पंजाब	2449	2336	18	2
25	राजस्थान	15312	3897	48	5
26	सिक्किम	446	176	25	4
27	तमिलनाडु	2700	2695	15	0
28	तेलंगाना	1524	1387	32	1
29	त्रिपुरा	5	5	0	0
30	उत्तर प्रदेश	3670	1515	3	0
31	उत्तराखंड	11587	5619	61	5
32	पश्चिमी बंगाल	16421	1368	89	4
		138473	61599	790	75

अनुलग्नक–X

31.12.2016 तक वर्ष 2016–17 के दौरान कुल तथा एससी/एसटी आईएचएचएल उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016–17 के दौरान आईएचएचएल उपलब्धि			कुल बीपीएल + एपीएल उपलब्धि में शेयर	
		कुल	एससी	एसटी	% एससी	% एसटी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	941	0	0	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	511721	114729	41309	22.42	8.07
3	अरुणाचल प्रदेश	13694	144	12150	1.05	88.72
4	असम	448221	32126	62373	7.17	13.92
5	बिहार	261520	45008	7998	17.21	3.06
6	छत्तीसगढ़	749331	83960	265416	11.20	35.42
7	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0.00	0.00
8	गोवा	0	0	0	0.00	0.00
9	गुजरात	1054483	76017	277029	7.21	26.27
10	हरियाणा	36107	9630	35	26.67	0.10
11	हिमाचल प्रदेश	81120	21269	6096	26.22	7.51
12	जम्मू एवं कश्मीर	44349	2668	9100	6.02	20.52
13	झारखंड	449322	43775	125898	9.74	28.02
14	कर्नाटक	450326	100690	39039	22.36	8.67
15	केरल	194426	34962	19725	17.98	10.15
16	मध्य प्रदेश	913207	167036	272009	18.29	29.79
17	महाराष्ट्र	916932	102960	125716	11.23	13.71
18	मणिपुर	30476	180	22718	0.59	74.54
19	मेघालय	27044	294	20218	1.09	74.76
20	मिजोरम	2293	86	2165	3.75	94.42
21	नागालैंड	1906	2	1875	0.10	98.37
22	ओडिशा	859751	123665	210187	14.38	24.45
23	पुडुचेरी	1387	385	3	27.76	0.22
24	पंजाब	65675	48662	1183	74.10	1.80
25	राजस्थान	1842676	261443	342540	14.19	18.59
26	सिक्किम	0	0	0	0.00	0.00
27	तमिलनाडु	403825	94874	8451	23.49	2.09
28	तेलंगाना	293654	58111	39106	19.79	13.32
29	त्रिपुरा	28646	4464	15622	15.58	54.53
30	उत्तर प्रदेश	1073947	215900	17168	20.10	1.60
31	उत्तराखंड	287249	65857	13718	22.93	4.78
32	पश्चिमी बंगाल	1699322	451725	118776	26.58	6.99
	कुलः	12743551	2160622	2077623	16.95	16.30

अनुलग्नक–XI

2015 का प्रतिवेदन सं. 28–संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान की निष्पादन लेखा–परीक्षा 8 दिसम्बर 2015 को संसद में प्रस्तुत	
कार्य–निष्पादन लेखा–परीक्षा के निष्कर्षों का सार	**एटीएन/टिप्पणियाँ**
योजना 12 राज्यों के नमूना जाँच में लिए गए 73 (49 प्रतिशत) जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार योजनाएँ ब्लॉक योजना में तथा आगे जिला योजना में भी समेकित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्यान्वयन योजना (वा.का.यो.) में वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों के जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) वार आबंटन नहीं दर्शाए गये थे। वा.का.यो. वर्तमान वर्ष/आगामी वर्षों इत्यादि में निर्मल बनाये जा सकने वाली ग्रा.पं. की पहचान के आधार पर व्यापक स्वच्छता तथा जल के कवरेज को रेखांकित करते हुए सामुदायिक संतृप्ति दृष्टिकोण के अनुसार तैयार नहीं की गई थीं। **(पैराग्राफ 2.4.1, 2.4.2)**	चूंकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिलों को परियोजना यूनिट के रूप में किया जाता है, अतः मंत्रालय केन्द्रीय स्तर पर एनएसएससी के अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति द्वारा यथा अनुमोदित जिला स्तर के पीआईपी/संशोधित पीआईपी प्राप्त करता हैं। तथापि एनबीए दिशानिर्देशों में यह इंगित है कि जब कभी लक्ष्यों में संशोधन किया गया, जिला स्तरीय पीआईपी को ब्लॉक स्तरों पर समेकित कार्यक्रम के तहत संचालित बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर ग्राम पंचायत स्तरों के प्रस्ताव को समेकित कर तैयार किया जाना चाहिए। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तरीय पीआईपी को एसएलएसएससी के अनुमोदन से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर के पीआईपी के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन लागत के संशोधित होने की स्थिति में राज्यों की पीआईपी को संशोधित प्रोत्साहन लागत और समय–समय पर एनएसएससी द्वारा अनुमोदन के अनुसार विद्यमान शेष परियोजना उद्देश्यों के लिए संशोधित किया गया है। **अध्याय 2 के संदर्भ में पेयजल एव ंस्वच्छता मंत्रालय का उत्तर – आयोजना (जैसा कि सीएजी की वेबसाइट apms.nic.in में अपलोड किए गए उत्तरों में उल्लिखित है)** (राज्यों से प्राप्त उत्तर अपलोड किए गए हैं)

परियोजना कार्यान्वयन

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु 426.32 लाख तथा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों हेतु 469.76 लाख वैयक्तिक घरेलू शौचालयों (व.घ.शौ.) के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में परियोजना जिले केवल क्रमशः 222.32 लाख (52.15 प्रतिशत) तथा 207.55 लाख (44.18 प्रतिशत) व.घ.शौ. का निर्माण 2009–10 से 2013–14 के दौरान कर सके। मंत्रालय ने 16 राज्यों में फरवरी 2011 तक 693.92 लाख व.घ.शौ. के निर्माण की उपलब्धि प्रदर्शित की जबकि इन राज्यों में 367.53 लाख परिवारों (जनगणना 2011) के पारिवारिक परिसरों में शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध थीं।

(पैराग्राफ 3.1.1, 3.1.2)

वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व राज्यों ने बेस स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त योजनाओं के आधार पर शौचालयों के निर्माण के लिए एक व्यापक वार्षिक योजना तैयार की है तथापि, चूंकि टीएससी/एनबीए एक मांग आधारित कार्यान्वयन है अतः वास्तविक निर्माण का कार्य लोगों द्वारा की गई मांग के आधार पर किया गया था। इसी कारण उपलब्धि में कमी आई। जहां तक शौचालयों के निर्माण में कमी आने का संबंध है इस संबंध में यह बताना चाहेंगे कि एनबीए के अंतर्गत कार्यक्रम को मनरेगा के साथ कार्यान्वित किया गया जो कि टीएससी में नहीं हुआ था। चूंकि अधिकांश राज्यों में यह 2 कार्यक्रम विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जाते हैं। इन कार्यान्वयन करने वाले विभागों के बीच समन्वयन की कमी रही जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन धीमा रहा। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के लिए मनरेगा के तहत निधियों की कमी से भी कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उपरोक्त कारणों से परियोजना उद्देश्यों और उपलब्धियों में कमी आई। तथपि, एसबीएम (जी) के तहत कार्यक्रम को मनरेगा से हटा दिया गया है। परिणामस्वरूप वर्ष 2014–15 के दौरान शौचालयों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

आठ राज्यों के नमूना परीक्षित 53 जिलों में, निर्माण की खराब गुणवत्ता, अपूर्ण अवसंरचना, रख–रखाव न किए जाने, आदि जैसे कारणों के कारण निष्क्रिय शौचालयों का अनुपात 33 प्रतिशत (कुल 71.86 लाख परिवारों में से 24.03 लाख) से अधिक पाया गया।

(पैराग्राफ 3.2.1.1)

हमने पाया कि 12.97 लाख व.घ.शौ. का निर्माण, जिस पर 186.17 करोड़ का व्यय हुआ, योजना दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदारों/गैर सरकारी संस्थाओं (गै.स.सं.), इत्यादि के द्वारा कराया गया। इसके अतिरिक्त, सात राज्यों के 13 जिलों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.त.अ.प्र.) आधारभूत संरचना के निर्माण में 7.81 करोड़ की राशि की वित्तीय अनियमितताएँ जैसे अनुमोदन के बिना व्यय, निधियों का विपथन, इत्यादि पायी गईं। यह भी देखा गया कि छः राज्यों के 21 चयनित जिलों में ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केंद्र खोलने के लिए दिए गए 1.38 करोड़ के ऋण में से 1.20 करोड़ की राशि की अनुमोदित वसूली समयावधि के पश्चात् भी वसूल नहीं की जा सकी थी।

(पैराग्राफ 3.2.1.4, 3.2.5.2 तथा 3.2.6.2)

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति में तेजी आई है। वर्ष 2014–15 के लिए वैयक्तिक शौचालयों हेतु 50 लाख क अपेक्षित परिणाम की तुलना में 58,54,987 शौचालय निर्मित किए गए, जो कि लक्ष्य की 117 प्रतिशत उपलब्धि है। वर्ष 2015–16 के दौरान 120 लाख के लक्ष्य की तुलना में 127.41 लाख शौचालय पहले ही निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2016–17 के लिए 1.8.2016 के अनुसार 1.5 करोड. रु. के अपेक्षित परिणाम की तुलना में 3319451 वैयक्तिक शौचालय (22.13:) का निर्माण हुआ। दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत से दिनांक 1.8.2016 की स्थिति के अनुसार 210.09 लाख शौचालय पहले ही निर्मित किए जा चुके हैं। स्वच्छता का कवरेज जो कि दिनांक 2.10.2014 को 42.05 प्रतिशत था बढ़कर दिनांक 1.8.2016 को 53. 60 प्रतिशत हो गया।

निर्मित शौचालयों की संख्या के संबंध में राज्यों द्वारा सूचना दी गई थी। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के मध्य और मंत्रालय के आईएमआईएस की रिपोर्ट के मध्य आईएचएचएल की संख्या में आए परिवर्तन व्यवहारगत परिवर्तन में कमी, निर्माण की खराब गुणवत्ता आदि के कारण शौचालयों का उपयोग न होना निष्क्रिय होता जा रहा है और संभवतः राज्यों द्वारा इस संबंध में (विशेष रूप से एपीएल शौचालयों में) और अधिक एनजीपी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्राप्त लक्ष्य से भी अधिक की रिर्पोटिंग की जाने के कारण ऐसा हुआ होगा।

कुछ शौचालय इस कारण से उपयोग योग्य नहीं रहे क्योंकि उनमें परिवार के सदस्यों द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन की कमी रही, टीएससी की शुरुआती अवधि के दौरान (वर्ष 2000–06 के दौरान 625 रु.) बहुत कम प्रोत्साहन राशि के कारण निर्माण की खराब गुंणवत्ता भी रही। इन कारणों को अब नई स्कीम में ध्यान में रखा गया है। इस संबंध में यह भी बताया जाता है कि इन सभी तथ्यों को लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षकों के ध्यान में लाया गया था और इसे निम्नांकित रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया गया है: –

	''मंत्रालय ने इस परिवेक्षण को स्वीकार किया है कि वह बताया गया है कि उपलब्धि में यह अंतर मुख्य रूप से राज्य द्वारा और अधिक एनजीपी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कुछ हद तक अत्यधिक जानकारी देने के लिए हुआ है। (विशेष रूप से एपीएल शौचालयों में), व्यवहारगत परिवर्तन में कमी, निर्माण की खराब गुणवत्ता आदि और शौचालयों की गणना करने के तरीके में अंतर के कारण कुछ शौचालय उपयोग योग्य नहीं है/बेकार हो रहे हैं'' ग्रामीण क्षेत्रों में टीएससी/एनबीए कार्यान्वित किया गया था। राज्यों में विशेष रूप से शहरी जिलों में एनबीए प्रचालन में नहीं था। संपूर्ण शहर एक जिला बना और उस स्थिति में इसे एक शहर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जो कि एनबीए के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। इसके अतिरिक्त परियोजना का अनुमोदन, एसएलएसएससी द्वारा यथा अनुमोदित राज्यों से जिलों के पीआईपी प्राप्त करने के पश्चात एनएसएससी द्वारा किया गया था। यदि राज्यों द्वारा किसी जिले के लिए कोई पीआईपी प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उस जिले के संबंध में परियोजना को कार्यक्रम क्रियानवयन के लिए अनुमोदित नहीं किया जाएगा। तथापि, इस मंत्रालय ने राज्यों से सभी पात्र जिलों के लिए समय–समय पर पीआईपी प्रस्तुत करने को बार–बार कहा है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए अनुसार विशेष वर्ष हेतु राज्य स्तरीय एआईपी का अनुमोदन किया है। मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते यह राज्यों का उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राज्य स्तरीय एआईपी के तैयार करने के समय सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया हो।

	अध्याय 3 के संबंध में पेयजल एवं सवच्छता मंत्रालय का उत्तर **परियोजना कार्यान्वयन (जैसा कि सीएजी की वेबसाइट apms.nic.in में अपलोड किए गए उत्तरों में उल्लिखित है)** (राज्यों से प्राप्त उत्तर अपलोड किए गए हैं)
निधि प्रबंधन लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009–14 के दौरान मंत्रालय ने राज्यों द्वारा माँगी गई निधियों में से केवल 48 प्रतिशत ही जारी की जिसमें से 16 राज्यों ने अपने हिस्से की निधियाँ या तो जारी नहीं की या कम जारी की। 200910 से 2013–14 की अवधि के दौरान 13494.63 करोड़ की निधियों की उपलब्धता के बावजूद केवल 10157.93 करोड़ ही योजना कार्यान्वयन पर व्यय किये गए। वार्षिक आधार पर अप्रयुक्त राशि 40 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के मध्य रही। **(पैराग्राफ 4.2, 4.3 तथा 4.4)** हमने छः राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं ओडिशा) में 2.28 करोड़ के दुर्विनियोजन के छः मामले पाए थे। आंध्र प्रदेश, झारखंड एवं मणिपुर में भी 25.33 करोड़ के संदिगध दुर्विनियोजन के मामले पाए गए थे। इसके अतिरिक्त 13 राज्यों में 283.12 करोड़ की राशि को योजना निधियों को विपथित किया गया था तथा स्टॉफ को अग्रिम, पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन, अवकाश वेतन पेंशन योगदान, वाहनों के क्रय एवं कार्यालय स्वच्छता जैसे उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया गया था। इसके अतिरिक्त, छः राज्यों में 81.08 करोड़ की राशि को अन्य केंद्रीय योजनाओं एवं अन्य राज्य प्रायोजित योजनाओं को विपथित किया गया था। **(पैराग्राफ 4.6,4.7)**	राज्यों से संबंधित है और राज्यों ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए है जिन्हें सीएजी के विचारार्थ apms.nic.in में अपलोड किया गया है।

यह पाया गया कि नौ राज्यों, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में 212.14 करोड़ की राशि 4 महीनों से 29 महीनों की अवधियों हेतु राज्य/ब्लॉक/ग्रा.पं. स्तर पर निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी रही। साथ ही आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, केरल, मणिपुर तथा ओडिशा के छः राज्यों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए 48.97 करोड़ के अग्रिम 16 से 120 महीनों से लंबित थे। यह भी देखा गया कि ग्यारह राज्यों में योजना निधियों पर अपार्जित 5.58 करोड़ के ब्याज को हिसाब में नहीं लिया गया। **(पैराग्राफ 4ण्9ए 4.1., 4.13. iii)**	
सूचना, शिक्षा तथा संचार टीएससी/एनबीए एक माँग जनित योजना है जिसके लिए ग्रामीण जनता में स्वच्छता तथा साफ–सफाई के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु आईईसी का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु हमने देखा कि आईईसी को उचित महत्व नहीं दिया गया तथा 2009–10 से 2011–12 के वर्षों के दौरान आईईसी का 25 प्रतिशत आईईसी से असंबंध गतिविधियों पर लगाया गया। पिछले पाँच वर्षों के दौरान 788.60 करोड़ के व्यय के बावजूद, मंत्रालय अपने आईईसी अभियान का मूल्यांकन करने में विफल रहा है। **(पैराग्राफ 5.2.1)**	एनबीए के दौरान, एनजीपी (निर्मल ग्राम पुरस्कार) कार्यक्रम का मुख्य घटक था। निर्मल ग्राम पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन ग्राम पंचायतों को दिए गए थे जो निर्मल बन गए हैं और यह देश में स्वच्छता पहलों में तेजी लाने के लिए एक बढ़ा उत्प्रेरक था। यह एक बड़ी समर्थनकारी पहल है जो कि संपूर्ण आईईसी गतिविधि का भाग है। अतः एनजीपी से जुड़े कार्यक्रमों के संदर्भ में किया गया खर्च आईईसी से इतर की गतिविधियों पर किए गए व्यय नहीं माने जा सकते। अध्याय 5 के संदर्भ में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का उत्तर – सूचना, शिक्षण और संप्रेक्षण (जैसा कि सीएजी की वेबसाइट apms.nic.in में अपलोड किए गए उत्तरों में उल्लिखित है) (राज्यों से प्राप्त उत्तर अपलोड किए गए हैं)

अभिसरण

अभिसरण, संबंधित सरकारी कार्यक्रमों से सहायता द्वारा इष्टतम परिणाम सुनिश्चित करने की एक रणनीति है। 2007 के टीएससी दिशा–निर्देशों के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बीपीएल हेतु निर्मित सभी घरों में टीएससी के तहत एक शौचालय बनवाया जाना था। परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009–12 के दौरान अन्य योजनाओं के साथ कोई अभिसरण नहीं था। 2012–14 के दौरान इंदिरा आवास योजना तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अभिसरण में बहुत ही कम प्रतिशत में (औसतन 6 प्रतिशत) आईएचएचएल बनाए गए। तथापि, मनरेगा के साथ अभिसरण में अथवा स्थानीय या अन्य स्रोतों से सहायता लेकर अन्य संघटकों जैसे विद्यालय शौचालय, आँगनवाड़ी शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं के अंतर्गत कोई उपलब्धियाँ नहीं थी। मंत्रालय अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तौर पर स्कीम के कार्यान्वयन में किसी भी कॉरपोरेट निकाय को सम्मिलित करने में भी विफल रहा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे की ओर से मानव मल के असुरक्षित प्रक्रिया और रेल ट्रैकों पर खुले में शौच को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(पैराग्राफ 6.3, 6.4 और 6.6)

जहां तक मांग सृजन के लिए आशा जैसे सहायक स्टॉफ की तैनाती का संबंध है यह सूचित किया जाता है कि एनबीए दिशा–निर्देशों के अनुसार फील्ड कार्यकर्त्ताओं जैसे कि भारत निर्माण स्वयं सेवकों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं, स्कूल टीचर आदि को मांग सृजन के लिए और साथ ही व्यवहारगत परिवर्तन संबंधी संवाद शुरु करने के लिए ग्रामीण स्तर पर शामिल किया जा सकता है। इसमें आईईसी के लिए चिह्नित निधियों प्रेरकों को उपयुक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। चूंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रतिनिधि एनएसएससी का सदस्य था अतः एनआरएचएम से पृथक प्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन में राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) और नेहरु युवा केंद्र एशोसिएट्स के स्वयं सेवकों की सहायता लेकर इस मामले को युवा एवं खेल मंत्रालय के साथ उठाया है और जहां कहीं आवश्यकता हो उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए राज्यों को भी कहा है। बहुत से राज्य इन सवयं सेवकों की सहायता ले रहे हैं।

अध्याय 6 के संदर्भ में पेयजल एवं सवच्छता मंत्रालय का उत्तर – अभिसरण (जैसा कि सीएजी की वेबसाइट apms.nic.in में अपलोड किए गए उत्तरों में उल्लिखित है)

(राज्यों से प्राप्त उत्तर अपलोड किए गए हैं)

निगरानी एवं मूल्यांकन

मंत्रालय, निगरानी एवं मूल्यांकन (एमएंडई) अन्य प्रभार के अंतर्गत अनुमोदित निधियों का उपयोग करने में विफल रहा तथा 2009–10 से 2013–14 के दौरान केवल 0.32 करोड़ (शीर्ष के अंतर्गत बुक किए गए 22.40 करोड़ में से) एमएंडई के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों पर व्यय किए गए तथा शेष 22.08 करोड़ की राशि को अन्य गतिविधियों की ओर विपथित कर दिया गया।

(पैराग्राफ 7.2)

कार्यक्रम की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को मॉनीटर करने के लिए, मंत्रालय ने एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के माध्यम से ऑनलाइन मॉनीटरिंग पर भरोसा किया जिसके माध्यम से जिला/ग्राम पंचायत डाटा अपलोड करेंगे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऑनलाइन प्राप्त डाटा की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रणाली नहीं थी। मंत्रालय भी वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदनों के प्रतिनिरीक्षण द्वारा अपनी विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित नहीं कर रहा था। इस चूक के कारण, समेकित सूचना प्रणाली पर वास्तविक प्रगति को अधिक सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कोई समवर्ती मूल्यांकन या कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा की शुरूआत नहीं की थी।

(पैराग्राफ 7.3 और 7.6)

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि 22.40 करोड़ रु. के कुल खर्च की तुलना में मंत्रालय एम और ई के अंतर्गत केवल 0.32 करोड़ रु. ही गतिविधियों में उपयोग कर पाया। शेष 22.08 करोड़ रु. अन्य गतिविधियों में उपयोग किए गए थे जो निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रशासन से संबंधित थे जैसे कि 'ग्राम पंचायतों के वास्तविक सत्यापन के लिए एजेंसियों के लिए किया जाने वाला भुगतान'। मंत्रालय की यह दलील कि एनजीपी (निर्मल ग्राम पुरस्कार) के लिए ग्राम पंचायत का सत्यापन मॉनीटरिंग का एक भाग था और इस पर किया गया खर्च को विपथन के रूप में नहीं समझा जा सकता। किंतु लेखा परीक्षक मंत्रालय की इस दलील से सहमत नहीं हुआ।

इस बिंदु को भविष्य में अनुपालन के लिए ध्यान में रखा गया है, तथापि यह संकेत किया गया कि एसबीएम (जी) कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मल ग्राम पुरस्कार स्कीम बंद कर दी गई है।

गांव/ग्राम पंचायतों/ब्लॉक/जिलों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ निष्पादन संकेतकों के आधार पर एक विश्व बैंक परियोजना शुरु की गई है। मंत्रालय ने खुले में शौच मुक्त स्थिति (ओडीएफ) के सत्यापन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। ओडीएफ सत्यापन के लिए एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मॉडयूल भी विकसित किया गया है। राज्यों से सभी विद्यमान ओडीएफ गांवों/ग्राम पंचायतों के ओडीएफ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया गया है और उन्हें 31 दिसंबर, 2015 तक आईएमआईएस को सूचित करने को कहा है।

	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संदर्भ में ऑनलाइन मॉनीटरिंग को सुदृढ़ किया गया है और पब्लिक डोमेन/ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली में उपलब्ध वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लाभार्थियों के नामों और पतों सहित सभी डाटा तैयार करके एसबीएम जी के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाई गई है। दिनांक 2.10.2014 के बाद निर्मित शौचालयों के चित्रों को अपलोड करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरु किया गया है। आईएमआईएस में अब खुले में शौच मुक्त स्थिति की निगरानी करने के लिए मॉडयूल भी शामिल है। इस मॉनीटरिंग की समीक्षा बैठकों/वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से राज्य के अधिकारियों के साथ नियमित क्षेत्र दौरों और संवादों के माध्यम से भी और अधिक सुदृढ़ किया गया है। तीसरे पक्ष की मॉनीटरिंग को भी एनएसएसओ जैसी एजेंसियों के माध्यम से भी सुदृढ़ किया गया। फोटोग्राफ लेने के कार्य को भी उचित अंकन के लिए आईएमआईएस में शामिल किया गया है। अध्याय 7 के संदर्भ में पेयजल एवं सवच्छता मंत्रालय का उत्तर – निगरानी और मूल्यांकन (जैसा कि सीएजी की वेबसाइट apms.nic.in में अपलोड किए गए उत्तरों में उल्लिखित है) (राज्यों से प्राप्त उत्तर अपलोड किए गए हैं)